राजस्थान विधान सभा

२८ वीं बैठक, बुधवार, दिनांक–२६ मई, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ५ बजकर ५ मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८८५

बंध सूरवाल के निर्माण से पूर्व उस भूमि, कुओं तथा अन्य सम्पत्ति का मुआवजा जो उसमें आ गए

श्री श्रीदास गोयल—क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बन्ध सूरवाल का निर्माण करने से पहले वह भूमि, कुए तथा अन्य सम्पत्ति जो डूब बन्ध में आ जाती हैं सरकार द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों से मुआवजा देकर प्राप्त कर ली गई ?

(ख) यदि नहीं तो क्यों और अब कब तक मुआवजा दिया जावेगा ?

(ग) कौन-कौन से ग्रामों की बस्ती इस बन्ध के पेटे में आती है या उससे प्रभावित होती है ?

(घ) इन बस्तियों को पुनः बसाने के लिये क्या सरकार ने वहाँ के निवासियों को भूमि बतला दी है व अन्य सुविधाएँ दे दी है ?

(ङ) यदि कोई सुविधायें दी गई है तो क्या-क्या और नहीं तो क्या-क्या सुविधा देने का ख्याल है ?

(च) क्या इस बन्ध में बहने वाली प्रमुख नदी गम्भीर का बहाव–मार्ग बन्द किया जा चुका है ?

(छ) यदि हाँ, तो जो ग्राम इसी बरसात में डूब जावेंगे वहाँ के निवासियों का क्या होगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)– (क) नहीं ।

(ख) कार्य शीघ्र ही आरम्भ करने को था और यदि प्राप्त करने की कार्यवाही करते तो समय बहुत नष्ट होता । कलेक्टर व राजस्व सचिव से स्वीकृति माँगी है । शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने पर मुआवजा दिया जावेगा ।

Page No.2

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ग) अटुन कलां व अटुन कलाँ की झोंपड़ियाँ व अटुन खुर्द। इससे प्रभावित होनेवाली बस्तियाँ महु, सुरवाल, आजनोही, मेजपुरा, खुसाली, सघेना, नीहरड, गोगोर इत्यादि।

(घ) हाँ। उन्हें भूमि बतला दी गई है।

(ङ) कुए और मन्दिर बना दिये जावेंगे और मकानों इत्यादि का मुआवजा दिया जावेगा।

(च) नहीं।

(छ) फिलहाल सवाल पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या ८८६

गर्डा तालाब (तहसील किशनगंज) को रामगढ़ नहर से लगे हुए खेतों में पानी न मिल सकना

श्री कँवरलाल जेलिया--क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गर्डा तालाब, तहसील किशनगंज (जिला कोटा) को रामगढ़ नहर से लगे हुये खेतों में पानी न मिल सकने का क्या कारण है?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय काश्तकारों ने राजस्थान सरकार के पास अपनी शिकायत प्रस्तुत की है? यदि हाँ, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया?

(ग) क्या यह सही है कि गर्डा तालाब के पेटे में काश्त हो रही है? यदि हाँ, तो यह किसी खातेदार की या किसी जमींदार की है? यदि हाँ, तो किसकी व कितने बीघा?

(घ) क्या इस तालाब के पेटे में काश्त करने के सम्बन्ध में उक्त खातेदार या जमींदार ने राजस्थान सरकार से कोई शर्तनामा कर रखा है?

(ङ) क्या इस तालाब के पेटे में अन्य काश्तकार भी खुदकाश्त सरकार की आज्ञा से कर सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(च) गर्डा तालाब की दुरस्ती में कितनी रकम किन-किन कार्यों में खर्च हुई है?

(छ) क्या उक्त कार्य सन्तोषप्रद हुए हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(क) मुख्तलिफ काश्तकारान की ओर से रूकावटें पैदा करने के कारण नहर रामगढ़ से तमाम खेतों को पानी नहीं दिया जा सका।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ख) स्थानीय काश्तकारों की दरख्वास्तें प्राप्त हुई थीं और उन पर कलेक्टर सा० कोटा, एस० डी० ओ० सा० रेवेन्यू और पुलिस विभाग की सहायता ली गई। गर्रा (उम्मेद सागर) तालाब की फीडर चेनल पर जो नाजायज बन्धे बना लिये गये थे उनको हटवाया गया लेकिन इस पर भी जमीदारान व काश्तकारान नहर रामगढ़ ने दूसरे आसामियों की बारी के पानी को रोक दिया। इस अड़चन से पानी के बँटवारे में गड़बड़ पैदा हुई। तमाम इरीगेशन स्टाफ और पुलिस की मदद से इन्तजाम किया गया; ताहम पानी की कमी को पूरा न किया जा सका।

(ग) तालाब गर्रा (उम्मेद सागर) के पेटे में काश्त की जा रही है। मौजा गर्रा की मिसल नं० ७२ व बन्दोबस्त सौयम के अनुसार इसकी मिल्कियत न तो किसी खातेदार की है और न किसी जमीदार की।

यह तो गवर्नमेंट की मिल्कियत है।

(घ) जहाँ तक मालूम किया गया ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है।

(ङ) इस तरह की कोई रुकावट नहीं है। महकमा माल द्वारा जमीन दी जाती है।

(च) तालाब गर्रा (उम्मेद सागर) के रेजिंग और स्ट्रेंग्थनिंग के लिये १,६०,३००) रुपये की मंजूरी हुई थी उसमें से ८४,०८६।=॥ खर्च हुए हैं और काम अभी भी करना बाकी है।

(छ) कार्य संतोषजनक है और अभी खत्म नहीं हुआ है।

श्री कँवरलाल जेलिया—राजस्थान सरकार गर्डा तालाब से प्राप्त जमीन को अपनी मिल्कियत समझती है तो क्या अब इस पर किसी जमींदार का इजारा है?

श्री टीकाराम पालीवाल—वह सरकार की मिल्कियत है और वहाँ काश्त करने के लिये किसी को भी दी जा सकती है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या इसमें आज तक काश्त नहीं हुई?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि गर्डा तालाब के सारे पेटे में जो जमीन काश्त हो रही है वह सारी एक ही जमींदार के पास है?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री कँवरलाल जेलिया—यदि काश्तकार उक्त तालाब के पेटे की जमीन काश्त को देने के लिये राजस्थान सरकार को आवेदन-पत्र दें तो सरकार उन पर क्या सोचेगी?

Page No.4

श्री टीकाराम पालीवाल—यही सोचेगी कि वह जमीन दी जा सकती है या नहीं।

श्री कँवरलाल जेलिया—गर्डा तालाब की दुरुस्ती का जो कार्य हुआ है उसे क्या राजस्थान सरकार पर्याप्त समझती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा कि वह काम चल रहा है।

प्रश्न संख्या ८८७

राजस्थान में आदिवासियों की जन-संख्या तथा उनकी सर्वांगीण उन्नति

श्री लक्ष्मण हीरात—क्या बैकवर्ड क्लास मन्त्री महोदय यह बतावेंगे :

(क) राजस्थान में आदिवासियों की जन-संख्या कितने प्रतिशत है; कृपया तहसीलवार आँकड़े बतायें ?

(ख) आदिवासियों के शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या प्रवृत्तियाँ चलाई जा रही हैं और इसमें सरकार को कहाँ तक सफलता मिली है ?

(ग) राजस्थान में कुओं पर आदिवासियों को जो रकम दी गई है वह तहसीलवार किस हिसाब से बाँटी गई है ?

(घ) आदिवासियों को जो रकम कुओं पर दी जाती है वह रकम पर्याप्त है ? क्या यह सच है कि कई तहसीलों के एक कुए पर पूरी रकम ५००) रुपये नहीं देकर ४०० रुपये अथवा इससे भी कम दिये गये हैं ? ऐसा क्यों ?

(ङ) पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के उत्थान का कोई प्रयोजन है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—(क) राजस्थान में आदिवासियों की जन-संख्या के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) राजस्थान में आदिवासियों के उत्थान के लिये सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रवृत्तियों की सूची टेबल पर रख दी गई है। इनमें संतोषप्रद सफलता मिल रही है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ग) रकम का वितरण तहसील की सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जन- संख्या व सहायता की जरूरत को ध्यान में रख कर किया गया है। तहसीलवार आँकड़ों की सूची टेबल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No.5

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(घ) हाँ, आवश्यकतानुसार सहायता दी गई है।

(ङ) तमाम प्रवृतियों पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही चल रही है।

श्री सोहनलाल भटनागर—आदिवासियों के पास कितनी भूमि है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--इस बारे में अलग प्रश्न पूछिये तो बतला सकता हूँ ?

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या सरकार यह महसूस करती है कि उनके पास इकोनोमिक होल्डिंग नहीं हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--सरकार केवल महसूस ही नहीं करती है बल्कि उनको जमीन भी दी है।

श्री सोहनलाल भटनागर—किस-किस तहसील में जमीन दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जहाँ-जहाँ जमीन उनको दे रहे हैं वह अच्छी से अच्छी जगह पर है और यह बात आप जानते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या आदिवासियों को कुओं के लिये रकम दी जा रही है : क्या उसके स्थान पर उनको कंप्रेसर देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या--उनको रकम देना नितान्त आवश्यक है। कंप्रेसर की व्यवस्था सरकार कर रही है और कुछ जगह व्यवस्था की भी है। अभी-अभी बाँसवाड़ा, डूँगरपुर और चित्तौड़गढ़ में कंप्रेसर भेजे हैं।

श्री खेतसिंह—मुख्यतया कौन-कौन सी जातियाँ आदिवासियों में शुमार की जाती हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--Bhils throughout scheduled area.

श्री कँवरलाल जेलिया—किशनगंज, शहाबाद के आदिवासियों के लिये क्या-क्या सहायता दी जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—किशनगंज, शहाबाद में आदिवासी लोग नहीं सहरिया लोग रहते हैं जो आदिवासियों में शुमार नहीं किये गये हैं, फिर भी उनको दूसरी सहायता देने का सरकार विचार कर रही है।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या सहरिया लोग राजस्थान गवर्नमेंट से इस चीज की उम्मीद नहीं करते ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उम्मीद करते हैं, तभी तो सहायता देने का विचार किया जा रहा है।

एक सदस्य—कुत्रों पर जो रकम सालाना आदिवासियों को सरकार की ओर से दी जाती है उसमें से कितनी लेप्स हो जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहाँ के लोग निष्क्रिय होते हैं वहीं की रकम लेप्स होती है, बाकी की नहीं होती।

श्री खेतसिंह—भील जाति में क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये उदयपुर के भील हैं और जोधपुर के नहीं होते ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, ऐसी बात नहीं है जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शिड्यूल्ड एरिया के डूंगरपुर, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ के भीलों को आदिवासी माना गया है; दूसरों को नहीं माना है।

श्री कँवरलाल जेलिया—राजस्थान में कोटा के आदिवासियों के लिये कुत्रों पर कितनी रकम रखी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सूची मैंने टेबल पर रख दी है, बहुत लम्बी लिस्ट है, सारी तफसील उसमें देखी जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह (दाँता रामगढ़)—क्या शेरगढ़ के भील भी आदिवासियों में शामिल कर लिये गये हैं ? (हँसी)

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरी सूची में तो नहीं है। माननीय सदस्य बतावेंगे तो अवश्य उन्हें शामिल कर लेने पर विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या ८८८

वाटिका तहसील चाकसू के कपड़े के व्यापारियों द्वारा ४-२-४६ को कपड़े का कोटा लेते समय रुपया जमा कराना

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) वाटिका तहसील चाकसू के कपड़े के किन-किन व्यापारियों ने तारीख ४-२-४६ को चाकसू तहसील में कपड़े का कोटा लेते समय कितने-कितने रुपये जमा कराये थे ?

(ख) इन रुपयों को वापिस प्राप्त करने के लिए व्यापारियों ने तहसील में जिला सप्लाई अफसर तथा डिप्टी कमिश्नर सिविल सप्लाई के दफ्तर में कितनी दरख्वास्तें दीं ?

[श्री नारायण चतुर्वेदी]

(ग) इन लोगों का रुपया अभी तक वापिस क्यों नहीं लौटाया गया ?

(श्री भोगीलाल पंड्या के बदले श्री कुम्भाराम आर्य खड़े हुए और उन्होंने प्रश्न संख्या ८८६ के उत्तर को पढ़ना प्रारम्भ किया)

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्या यह सही सवाल का उत्तर दिया जा रहा है ? (हँसी)

श्री कुंभाराम आर्य—हमारी तरफ से जल्दी ही हुई है सुस्ती तो नहीं हुई।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—पर यह जल्दी अक्लमन्दी के साथ नहीं हुई है ? (हँसी)

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने खड़ा हुआ था, पर आप (श्री कुम्भाराम) उत्तर देने लग गये।

(प्रश्न का उत्तर देते हुए)

(क) वाटिका ग्राम में ४-२-४६ को निम्नलिखित व्यापारियों को कोटे का कपड़ा दिया गया।

१. मेसर्स गोविन्द नारायण मोहनलाल।

२. मेसर्स रामप्रताप सूरजमल।

(ख) इन दोनों ने क्रमशः २५०) और ५००) की जमानत दी। मेसर्स गोविन्द नारायण मोहनलाल को यह जमानत ता॰ १०-१-५३ को वापिस कर दी गई।

(ग) रामप्रताप सूरजमल के हिसाबात में ऑडिट ने कुछ ऐतराज उठाये, इस वजह से असल कागजात तहसील चाकसू में वापस भेजे गये हैं। ज्योंहीं ऐतराजों के जवाब आ जायेंगे रुपया दे दिया जायगा।

श्री नारायण चतुर्वेदी—ये कागजात तहसील को वापिस कब भेजे गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तारीख तो याद नहीं, लेकिन जब ऑडिट के ओब्जेक्शन हुए तब वे कागजात तहसील को भेजे गये।

श्री नारायण चतुर्वेदी—(ख) में कितनी दरख्वास्तें आई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—२ दरख्वास्तें आई, कोई ५०० थोड़े ही आई।

श्री नारायण चतुर्वेदी—मेरा खयाल है कि ५०० नहीं तो कम से कम ५० दरख्वास्तें तो आ चुकी होंगी।

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, किन्हीं कारणों से एक को वापिस नहीं मिली है तो उसी ने बार-बार की होगी। एक को तो वापिस मिल गई, दूसरे को भी मिल जायगी।

श्री नारायण चतुर्वेदी—कब मिल जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऑडिट के ऐतराजात का जवाब मिल जायगा तब दे दी जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के निर्णय की सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को दी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इत्तला क्या, रुपये ही दे दिये जाते हैं। एक को दे दिये गये तो हैं, दूसरे के ऑडिट के ऐतराज की वजह से, नहीं दिये गये। गलती उसकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गलती उसकी थी, तो क्या सरकार गलती करने वालों को अपने निर्णयों की सूचना नहीं देती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐतराज उसके पास भेजे गये हैं, तो इत्तला भी उसके पास भेजी गई होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर्टिक्युलर केस में इत्तला दी गई या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब ऐतराज उसके पास भेजे गये हैं तो इत्तला जरूर उसके पास गई होगी।

श्री नारायण चतुर्वेदी—कब भेजी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तारीख तो मालूम नहीं, अलग से प्रश्न पूछा जाता तो मैं बताता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस केस में इत्तला भेजी गई या नहीं, यह तो आपको निश्चित रूप से मालूम है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऑडिट का ऐतराज उनके पास पहुँच गया, इसलिए इत्तला भी जरूर मिल गई होगी।

प्रश्न सं० ८८६

सवाई मानसिंह औषधालय में जनवरी-फरवरी, १९५४ में लेडी डाक्टर की नियुक्ति

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.9

[श्री नारायण चतुर्वेदी]

(क) सवाई मानसिंह अस्पताल में जनवर-फरवरी, १९५४ में किसी लेडी डाक्टर की नियुक्ति हुई है ?

(ख) अगर हाँ, तो किनकी व कौनसी तारीख से व किस केडर में ?

(ग) क्या इस केडर के और भी कोई डाक्टर इस समय इस अस्पताल में काम कर रहे हैं, अगर हाँ, तो कौन-कौन व कब से ?

(घ) इस अस्पताल में एकीकरण व्यवस्था (Integrated set up) व बजट १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३ व १९५३-५४ के अनुसार इस केडर के कितने डाक्टरों की sanctioned posts हैं ?

(ङ) सी. ए. एस. क्लास वन केडर की कितनी पोस्ट हैं ?

(च) अगर 'घ' का उत्तर 'ना' में है तो क्या यह डाक्टर क्लास वन केडर की जगहों में काम कर रहे हैं ? अगर हाँ, तो कौन-कौन सी तारीख से ?

(छ) क्या प्रश्न के (क) भाग से सम्बन्धित डाक्टरनी, पुरुष डाक्टर की खाली जगह (अगेन्सट दी वेकेन्सी ऑफ मेल सी. ए. एस. वन) में काम कर रही है ? अगर हाँ, तो उसकी क्या विशेष योग्यता है और क्या सरकार के पास और मेल सी. ए. एस. वन या सी. ए. एस. द्वितीय नहीं थे जो वहाँ पोस्ट किये जाते ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) जी हाँ, फरवरी में एक लेडी डॉक्टर की अस्थाई रूप से।

(ख) डाक्टर मिस सी. पद्मनाभन की ५ फरवरी, १९५४ से सी. ए. एस. श्रेणी २ में सी. ए. एस. श्रेणी १ के रिक्त स्थान में।

(ग) जी हाँ, तीन डाक्टर।

१. डाक्टर के. एस. भालानी, २ जून सन् १९५१ से।

२. डाक्टर जीवनलाल १०-३-५३ से।

३. डाक्टर गुलाबचन्द २ जून, १९५१ से।

(घ) एक भी नहीं।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

(ङ) ३१।

(च) जी हाँ, इसका उत्तर (ग) में दिया जा चुका है।

(छ) जी हाँ, यह मेडिकल ग्रेज्युएट है और इसकी नियुक्ति अस्थाई रूप से की गई थी। अब १६-५-५४ से स्थानान्तिरित कर दिया गया है।

(ज) जी हाँ। इस लेडी डाक्टर को १६ मई, सन् १६५४ से जनाना अस्पताल जयपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--सी. ए. एस. क्या होता है, क्या माननीय मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे ?

(चुप्पी)

एक माननीय सदस्य--यह अस्थाई नियुक्ति क्यों की गई थी ?

(चुप्पी)

श्री अध्यक्ष--जवाब दीजिये कि यह अस्थाई नियुक्ति क्यों की गई थी ?

श्री कुम्भाराम आर्य--डाक्टर मिस सी. पद्मनाभन स्वर्गीय श्री पद्मनाभन, चीफ मेकेनिकल इन्जीनियर, की सुपुत्री हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज जयपुर से एम. बी. बी' एस. की डिग्री प्राप्त कर ली......

(हँसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--(हँसते हुए); क्या श्री पद्मनाभन की सुपुत्री हैं, इसलिए उनकी अस्थाई नियुक्ति की गई है ?

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह किया गया है कि अस्थाई नियुक्ति क्यों की गई ?

श्री कुम्भाराम आर्य--जगह खाली थी इसलिए की गई।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--सी. ए. एस. का क्या मतलब है ?

श्री कुम्भाराम आर्य--हाउस को मालूम हो जायगा कि आपको यह भी ध्यान नहीं है।

Page No.11

[श्री कुम्भाराम आर्य]

(हँसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मन्त्री को ध्यान है या नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं आपकी अज्ञानता दूर करने के लिए तैयार नहीं।

(हँसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—अगर मालूम नहीं है तो सेक्रेटरी साहब से पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—Order, Next.

प्रश्न सं० ८६०

किशनगढ़ के यज्ञनारायण औषधालय में सन् १६५३-५४ में औषधियों का प्रबन्ध

श्री चान्दमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राज्य के प्रत्येक होस्पिटल को दवाइयों के लिए अलग-अलग रकम बजट में स्वीकृत है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किशनगढ़ के यज्ञनारायण होस्पिटल के लिए ५३-५४ के वर्ष में दवाइयों के लिए बजट में कितनी रकम स्वीकृत की गई और कितने रुपयों की खरीद की गई ?

(ग) इन दवाइयों में पेन्सिलिन के इन्जेक्शन कितने मूल्य के थे ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) जी हाँ।

(ख) १०,००० रुपये की कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण सब दवा नहीं खरीदी जा सकी और केवल २५००) रुपये की दवा १६५३-५४ में भेजी जा सकी। शेष रकम की औषधि खरीद ली गई है और भेजी जा रही है।

(ग) उस समय पेन्सिलिन के इन्जेक्शन भी स्टॉक में नहीं होने के कारण नहीं भेजे जा सके, अब भेजे जा रहे हैं और उनका मूल्य ५६० रुपये है।

श्री चाँदमल मेहता—५३-५४ वर्ष की पूरी रकम ५३-५४ में खर्च नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कुछ इस विषय के नियम बनाने थे इस वजह से।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बजट प्रोविजन कितना था ५३-५४ का ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह प्रश्न का विषय नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न के भाग (ब) में यह मौजूद है कि, "क्या राज्य के प्रत्येक हॉस्पिटल को दवाइयों के लिए अलग-अलग रकम बजट में स्वीकृत है ?"

श्री कुम्भाराम आर्य—पहले कह दिया कि १०,००० रुपये।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही नहीं है कि यज्ञनारायण हॉस्पिटल के अधिकारियों के बार-बार कहने पर भी, उन्हें दवाइयाँ नहीं दी गईं, मौके पर दवाइयाँ नहीं भेजी गईं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—नहीं, दवाइयाँ जाती रही हैं।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय मन्त्री एक ओर तो बताते हैं कि ४ हजार की ही दवाइयाँ भेजी गईं; ६ हजार रुपयों की दवाइयों की आवश्यकता थी वह किन कारणों से नहीं भेजी गईं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कारण के लिए आपको पहले कह दिया।

श्री चान्दमल मेहता—अभी दवाइयाँ भेजी, वह कब भेजीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—२-१०-५३ को, २७-१२-५३ को और.........।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक थीं या होमियोपैथिक ?

श्री कुम्भाराम आर्य—हॉस्पिटल में कौनसी दवाइयाँ भेजी जाती हैं आप समझ लें।

(हँसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जो ६०००) रु० की रकम ५३-५४ की सेन्कशन्ड रकम में से लेप्स हो गई है, वह ५४-५५ के बजट की रकम के अलावा दी जायगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आगे जितनी दवाइयों की आवश्यकता होगी, मिलती रहेंगी।

Page No.13

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस वर्ष इस औषधालय के लिए कितना प्रोविजन दवाइयों के लिए रखा गया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—ये बजट के अंक हैं, अतः इसके लिए अलग से प्रश्न पूछते तो ले आता।

प्रश्न सं० ८६१

सिलोरा ग्राम (तहसील किशनगढ़) से बनक्षेत्र की मोनारों का फासला

श्री चान्दमल मेहता—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) सिलौरा ग्राम (तहसील किशनगढ़) से कितनी दूरी पर फौरेस्ट एरिया के मोनारें लगाई गई है ?

(ख) क्या यह सही है सिलोरा ग्राम के मवेशी इस ग्राम के पड़ोस के रखत में चरा करते थे सो अब बन्द कर दिए गए हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) आध मील से भी अधिक।

(ख) जी नहीं। सिर्फ कूप सालरमाला में, जिसमें सम्वत् २००७ में कटाई हुई थी, पाँच साल के लिए चराई बन्द है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या जो मवेशी चरते हैं उनकी चराई वसूल की जाती है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सरकार की जानकारी में है कि इस गाँव के चारों तरफ फोरेस्ट एरिया है और मवेशियों के चरने के लिए काफी जमीन नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव—आपको मालूम है कि मवेशी तो चरते हैं।

श्री चान्दमल मेहता—जिस जमीन पर मवेशी चरते हैं तो उसकी चराई ली जाती है; जहाँ पर चराई नहीं ली जावे ऐसी जमीन फोरेस्ट की वजह से नहीं है, क्या यह सरकार की जानकारी में है।

श्री अमृतलाल यादव—(अश्रव्य)

Page No.14

प्रश्न संख्या ८६२

गागूदा (त० अराई) के तालाब से इस वर्ष जिस फसल से आबपाशी की गई उसमें कूओं की भूमि।

श्री चाँदमल मेहता--क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गागूदा (तहसील अराई) के तालाब से इस वर्ष कितनी फसल की आबपाशी की गई ? उसमें कूओं की जमीन कितनी थी ?

(ख) क्या यह सही है कि गोली के किसानों की माल (काश्त) की इस तालाब से आबपाशी होती आई है, लेकिन इस वर्ष सिंचाई विभाग के अधिकारियों की ज्यादती से ४०० बीघा करीब जमीन में पानी नहीं मिलने से पैदावार नहीं हो सकी ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में मंत्री के पास प्रार्थना-पत्र पेश हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल--(क) इस वर्ष तालाब गागूदा किशन सागर से १२३४॥।२ बीघा की आबपाशी हुई है जिसमें २० बीघा कूओं की जमीन भरी है।

(ख) यह बात सही नहीं है।

(ग) इस सम्बन्ध में इस विभाग को कोई ज्ञान नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही है कि न केवल लोगों ने प्रार्थना-पत्र ही पेश किये बल्कि गोली के किसान १० रोज तक जयपुर में बैठे रहे थे और उन्होंने यह मांग की थी कि गोली के किसानों की जमीन को न पिला कर कूओं की जमीन को पिलाई की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल--मैं जवाब दे चुका हूँ। मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या रजिस्टर्ड लेटर भेजा गया और उस लेटर की रसीद माननीय मन्त्री महोदय के दफ्तर की है ? क्या वह रसीद फर्जी मानी जावे ?

श्री टीकाराम पालीवाल--सामने आवेगी तो मालूम हो जावेगा।

श्री चाँदमल मेहता--क्या सरकार अब इस बात की जांच करने के लिये तैयार है कि कूओं की जमीन कितनी पिलाई गई और जिस जमीन को पिलाने का हक था उस जमीन को नहीं पिलाया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल--कोई निश्चित शिकायत आवेगी तो जांच की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोली के किसानों की कितनी जमीन की आबपाशी की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने इसका पहले उत्तर दे दिया है।

श्री चाँदमल मेहता—प्रश्न यह है कि गोली के किसानों की जमीन की आबपाशी नहीं की गई, इसका आपने उत्तर दिया है कि यह सही नहीं है; तो कितने बीघा जमीन की आबपाशी की गई, क्या सरकार बतावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कुल जमीन की आबपाशी मैंने बतला दी है।

श्री चाँदमल मेहता—मैं (ख) के सप्लीमेंटरी प्रश्न का जवाब चाहता हूँ जिसके उत्तर में यह बताया गया है कि यह बात गलत है। कितनी जमीन को पानी नहीं दिया गया और कितने बीघा में आबपाशी की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आप इसके लिये अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जानकारी हासिल करके जवाब दूँगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि गोली के तालाब की आबपाशी होती आई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जिनकी आबपाशी होती आई उसकी होती आई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि गोली के तालाब की आबपाशी हुई ?

श्री अध्यक्ष—The reply has been given.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो (ख) का पहला सैन्टेन्स मैंने पढ़ा है, उसका प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—He has given a written reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—गोली के सम्बन्ध में जवाब नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—That has been answered.

प्रश्न संख्या ८६३

भाखरा नहरों पर बेटरमेंट फीस व एकरेज रेट

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सिंचाई विभाग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भाखरा नहरों पर betterment fee व acreage rate क्या होगी ?

Page No.16

श्री टीकाराम पालीवाल—(बोलने के लिये खड़े हुए)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपके पीछे नहीं है। (हंसी)।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—भाखरा पर औसत एकरेज रेट १८० रु० पर एकड़ पूरे इलाके में, जहां आजकल सिंचाई नहीं होती है, होगा और ६० फी एकड़ उन इलाकों से होगा जहां पर बरसात के दिनों में कुछ दिनों के लिये गगर नदी के पानी से सिंचाई हो जाती है। बीकानेर सरकार द्वारा इस प्रकार के किसी वायदे का किया जाना नहीं पाया जाता।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या बीकानेर गवर्नमेंट ने जो वायदा कर रखा है उसके मुताबिक बेटरमेंट फी (betterment fee) लगावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जिस वायदे की बात कही गई है उसकी जांच कर ली जावेगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—अगर बीकानेर गवर्नमेंट ने कोई तहरीरी वायदा किया है तो उससे ज्यादा बेटरमेंट फी नहीं लगावेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(अश्रव्य)

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या यह सही है कि बीकानेर सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई तहरीरी वायदा किया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह मालूम किया जावेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बेटरमेंट फी का प्रश्न उठा है, उसका मतलब यही है कि जो प्रश्न है उसकी पूरी जानकारी......

श्री अध्यक्ष—There can be no hypothetical question.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The Minister must be prepared.

श्री टीकाराम पालीवाल—The Hon'ble Member himself is not sure whether there exists such a question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब यह बेटरमेंट फी का सवाल आया उस समय क्या सरकार ने वायदे के बारे में जांच की ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८६४

राजस्थान सरकार द्वारा क्लास फोर सर्वेन्टस में हरिजनों की भर्ती

श्री धर्मपाल पंवार--क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान सरकार की साधारण सर्विसां, जैसे चपरासी वगैरह में गत तीन सालों में कितने कितने व्यक्ति नये भर्ती किये गये और उनमें अस्पताल व म्युनिसिपेलिटियों के मेहतरों को छोड़कर बाकी सर्विसों में कितने प्रतिशत हरिजन कर्मचारी रखे गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)--इस विषय की जानकारी एकत्रित की जा रही है। पिछले साल ५३-५४ से नियुक्तियाँ इस प्रकार हुई :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जातियाँ
मार्च	१६	४६
अप्रेल	२४	६
मई	२०	१०
जून	१०	७
जुलाई	१०	१३
अगस्त	२	३
सितम्बर	६	२
अक्टूबर	४	३
नवम्बर	६	१
दिसम्बर	६	३
जनवरी, १९५४	६	३
फरवरी, १९५४	३	२
	कुल १२३	कुल १०४

श्री धर्मपाल पंवार--(अश्रव्य)

श्री भोगीलाल पंड्या--जो आपने पूछा उसका जवाब दिया है।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या सरकार की जानकारी में है कि चपरासी को भर्ती करते समय हरिजन का पूरी तरह से ख्याल नहीं रखा जाता ?

Page No.18

श्री भोगीलाल पंड्या—रखा तो जाता है और अगर इस सम्बन्ध में कोई मालूम होगा तो उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या यह सही है कि हरिजनों को इसलिये नहीं लिया जाता कि वे घर के काम में उपयुक्त नहीं हो सकते या किसी को पानी आदि नहीं पिला सकते।

श्री भोगीलाल पंड्या--मेरे सामने ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है। अगर आवेगा तो तो इसको दूर करने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस प्रकार का कानून बनावेगी कि प्रत्येक मन्त्री के दरवाजे पर रहने वाला चपरासी......

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८६५

नागरिक रसद विभाग का स्पेशल एकाउन्ट्स अधिकारी तथा उसका प्रोमोशन

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Minister for Civil Supplies be pleased to answer :—

(a) Who is the Special Accounts Officer, Civil Supplies at present ?

(b) Was he working as Accounts Officer in the Rehabilitation Department at Bikaner during 1950-51 ?

(c) Was an amount of Rs. 5500/- withdrawn from the Bank and defalcated on a cheque from the cheque book kept in custody of this then Accounts Officer ?

(d) What have been the findings of the Government enquiry in it ?

(e) Has the Government granted extension to this officer for 1 year ?

(f) How has the Government promoted this officer and even granted extension to him while the results of the enquiry in which he was involved have not been finalised ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(अ) श्री बोदराज कपूर आजकल रसद विभाग में स्पेशल अकाउन्ट्स ऑफिसर हैं।

(ब) न हीं। नवम्बर १९४९ से अप्रेल १९५० तक थे।

Page No.19

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(स) और (द) इसका उत्तर पुनःस्थापन मन्त्री द्वारा प्रश्न संख्या २६ के उत्तर में दे चुके हैं।

(प) हां, चूँकि यह ऑफिसर इस विभाग में पिछले तीन वर्ष से कार्य कर रहे थे इसलिये यह आवश्यक था कि हिसाब पूरे करवाने के लिये इनको और रखा जावे। सरकारी कार्य के हित में होने से इनको एक्सटेन्शन दिया गया।

(फ) इन्टीग्रेशन में ऑफीसरों में इनका नाम सबसे ऊँचा आया इसलिये इनको युनिफाइड पे स्केल दे दिया गया। इनको कोई प्रोमोशन नहीं दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'डी' का उत्तर चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले इनका उत्तर दिया जा चुका है, इसलिए आवश्यकता अनुभव नहीं की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'सी' का उत्तर दिया जा चुका है। मुझे (डी) का उत्तर चाहिए। उसके बारे में कहा गया कि जांच पूरी नहीं हुई है।

श्री भोगीलाल पंड्या—'डी' का मैं जवाब दे चुका हूँ। प्रश्न २६ से इसका जवाब दिया जा चुका था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न २६ के उत्तर में यह कहा गया था कि जांच चालू है। मेरा प्रश्न 'डी' यह है कि उस जांच का नतीजा क्या हुआ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि यह सम्बन्धित विभाग से पूछते तो बता देते। मैंने इस सम्बन्धी कागजात मंगाये तो पता चला कि नतीजा अभी निकला नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या यह समझा जाय कि उपरोक्त नतीजे पर पहुँचे बगैर और बगैर जांच किये ही एक्सटेन्शन दे दिया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक्सटेन्शन, सप्लाइज़ में हिसाब ठीक करने के लिए आवश्यकता थी, इसलिए दिया गया। वे पहले नम्बर में आये थे इसलिए उनको रखा गया। आगे जब दूसरे आवेंगे तो वे हट जावेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कलेक्टर ने जांच नहीं की और उस जांच के नतीजे के ऊपर विचार किये बिना ही इनको एक्सटेन्शन दे दिया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या—मामला विचाराधीन होता है या सबजुडिस होता है तो बताया

[श्रीभोगीलाल पंड्या]

नहीं जा सकता। यदि कोई फैसला हो गया है तो उसका जब अन्तिम निर्णय होगा तब पता लग जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही नहीं है कि कलेक्टर ने जांच कर ली थी?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक कि फैसला न हो जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सप्लाई विभाग द्वारा एक्स्टेन्शन देने के पहले कलेक्टर की जांच के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या--अगर ऐसी बात होती तो सिविल सप्लाईज़ विभाग उनको वापिस नियुक्त करता ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८९६

यज्ञनारायण औषधालय, किशनगढ़ में शेडौलेस लेम्प

तथा रेफ्रीजिरेटर का न होना

श्रीचाँदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के यज्ञनारायण होस्पिटल में शेडोलेस लेम्प और रेफ्रीजिरेटर नहीं है?

(ख) यदि हाँ, तो इसकी कब तक व्यवस्था कर दी जायगी?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) जी हाँ।

(ख) आशा है कि इस वर्ष यह व्यवस्था की जायगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—इन अस्पतालों में रेफ्रीजीरेटर क्यों रखे जाते हैं?

श्री कुम्भाराम आर्य—कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका रखना अनावश्यक होता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जैसे किस प्रकार की वस्तुएं और क्यों ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं सदस्य महोदय को पढ़ाने के लिए, माफ करिए, उत्तर नहीं देता।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८६७

मेडिकल कॉलेज के सर्वोच्च सदस्यों को मेडिकल कॉलेज होस्टल्स के वार्डन न बनाना

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Wiil the Minister in charge Public Health Department be pleased to state—

(1) Whether it is a fact that the Senior most members of the Medical College staff are not appointed as the wardens of the Medical College Hostels ?

(2) Whether it is a fact that the Assistant Warden of the Ladies Hosptal is not a member of the staff of the Medical College ?

(3) If so, why the Government does not take immediate steps to appoint a senior member of the Medical College staff as the warden of the Ladies Hostel ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(१) जी नहीं। यह कोई जरूरी नहीं है।

(२) जी हाँ। किन्तु वह सवाई मानसिंह मेडिकल होस्पिटल के स्टाफ में है, जो टीचिंग इन्स्टीट्यूशन है।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.22

प्रश्न संख्या ८६८

राजस्थान के क्षेत्र में हिंसक जीवों की सुरक्षा का प्रबन्ध

श्री जुझारसिंह—Will the Minister-in-charge of Forests be pleased to state—

(1) What programme the Government of Rajasthan has for the preservation of Wild-Life within its territory ?

(2) Is it a fact that the wild life in Rajasthan is sharply on the decline as a result of indiscrimination and unauthorised shooting by interested persons and negligence of the forest stass to check them ?

(3) How many 'poaching cases' have been reported to the Government during the last one year and what action has been taken over each of them ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(१) सरकार एक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड (State wild life Board) जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर रही है और कुछ स्थान पर सेन्चुरीज़ (sanctuaries) नियत कर रही है।

(२) नहीं।

(३) अवैध शिकार फोरेस्ट एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। यह अपराध सरकार को रिपोर्ट नहीं किए जाते। वन विभाग द्वारा या तो ऐसे अपराध मुआवजा लेकर तय कर दिए जाते हैं या अदालत में चालान किये जाते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या रेन्जर के पास जो स्टाफ है वह इस प्रकार का शूटिंग का प्रबन्ध करने के लिए नाकाफी है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मन्त्रीजी ने जो जवाब पढ़ा वह समझ में नहीं आया और सुना नहीं गया। यदि वे दोहराए तो ठीक होगा।

('आवाज नहीं आई' इस प्रकार की सदन में आवाज)

श्री अमृतलाल यादव—शेष भाग या एक भाग।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सभी भाग सुनने में नहीं आए।

Page No.23

श्री अमृतलाल यादव—(१) सरकार एक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर रही है और कुछ स्थानों पर गेम सैंक्चुअरीज नियुक्त कर रही है ?

(२) नहीं।

(३) अवैध शिकार फोरेस्ट एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। यह अपराध सरकार को रिपोर्ट नहीं किए जाते। वन विभाग द्वारा या तो ऐसे अपराध मुआवजा लेकर तय कर दिए जाते हैं या अदालत में चालान किए जाते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन नहीं हो रही है। जंगलों में देखा जाय कि करीब-करीब वाइल्ड लाइफ खत्म सी हो रही है।

श्री राज हिम्मतसिंह—क्या मन्त्री महोदय दरा रेन्ज तशरीफ ले गए थे ? उन्होंने कितनी वाइल्ड लाइफ देखी ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं दरा में गया था और वहाँ काफी वाइल्ड लाइफ देखी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या शेरों के प्रिजर्वेशन के लिए कुछ विशेष प्रोटेक्शन लिया जा रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव—कई प्रकार के शेर होते हैं, किन के लिए कह रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजस्थान में जो शेर होते हैं उनके लिए कह रहा हूँ।

(हँसी)

श्री अमृतलाल यादव—राजस्थान में दो प्रकार के शेर होते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरी जानकारी में तो एक प्रकार का होता है।

श्री अमृतलाल यादव—मैं आपकी जानकारी के लिये कह दूं कि टाइगर होता है, लिओपर्ड होता है और दूसरी किस्म के पेन्थर आदि होते हैं।

(विपक्ष द्वारा हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—कृपा करके माननीय मन्त्रीजी यह बतलावें कि लिओपर्ड को शेर कब से माननीय सरकार समझने लग गई है ?

(हंसी)

श्री अमृतलाल यादव—लिओपर्ड, पेन्थर, टाइगर, लोइन इन सबं के लिए गाँव वाले शेर कहा करते हैं, इसलिए कि शेर की तरह भयानक होते हैं। शिकार के पोइन्ट ऑफ व्यु से अलग नाम होते हैं वे मैंने आपको बताए। वन विभाग सब की हिफाजत करता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह बताया गया था कि शेर दो प्रकार के होते हैं, टाइगर और ल्योपर्ड। मैं यह जानना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की कौनसी डिक्शनेरी में लियोपर्ड को शेर की केटेगरी (categoty) में रखा गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—पेन्थर को रखा गया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पेन्थर को कब से शेर कहने लग गए ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—Let him give a full reply.

राज श्री हिम्मतसिंह—जब माननीय मन्त्री महोदय दरा में पधारे थे तो क्या कोई मरा हुआ जानवर शिकारियों के देखने में आ गया था ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ, आ गया था।

राज श्री हिम्मतसिंह—कौन सा जानवर था ?

श्री अध्यक्ष—जानवर था।

कु० श्री जसवन्तसिंह—दो पैरों वाला था या चार पैरों वाला ?

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री देवीसिंह—सेंक्चुअरीज़ कहाँ कहाँ और कितनी कायम हो रही हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—चार-पाँच जगह सेंक्चुअरीज़ नियुक्त करना है। स्थानों के बारे में सोचा गया है किन्तु निश्चित अभी नहीं हुआ है।

१. सवाई माधोपुर।

Page No.25

[श्री अमृतलाल यादव]

२. अलवर।

३. भरतपुर में बर्ड सेंक्चुअरी।

४. धौलपुर।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों हुई ?

श्री अमृतलाल यादव—इसलिए कि जो शिकार प्रेमी सज्जन हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था करे।

("गलत है" इस प्रकार की विरोधी पक्ष की ओर से आवाज)

श्री कंवरलाल जेलिया—जंगलों में जो किसान रहते हैं उनकी इससे असुविधा होती है, उसके लिए भी क्या सोचा गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—इसका ध्यान रखा गया है, कोई असुविधा नहीं होगी।

श्री राजा हिम्मतसिंह—प्रिज़र्वेशन आफ वाइल्ड लाइफ, क्या सेंक्चुअरीज़ के लिए होती है ?

श्री अमृतलाल यादव—केवल सेंक्चुअरीज के लिए ही नहीं है। It is a...—

श्री राजा हिम्मतसिंह—क्या वाइल्ड लाइफ वहाँ की शोभा के लिए आवश्यक नहीं है ?

राजा श्री मानसिंह—Is the proposed bird sanctuary at Bharatpur for birds ?

श्री अमृतलाल यादव—It is not for blids.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it for the birds of passage ?

श्री अमृतलाल यादव—For every kind of birds.

राजा श्री मानसिंह—What are those kinds of birds, please ?

श्री अमृतलाल यादव—I am not an expert of birds. I can't say.

राजा श्री मानसिंह—When were the birds allowed to be shooted within the limits of the proposed sanctuary ?

श्री अमृतलाल यादव—इसके लिए मैं कोई निश्चित नहीं बता सकता हूँ।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८६६

सरवाड़ तहसील के सरकारी खजाने का रुपया

भेजने का स्थान

श्री चांदमल मेहता—क्या अर्थ मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

सरवाड़ तहसील के सरकारी खजाने का रुपया कहाँ भेजा जाता है और उक्त रुपये को पहुँचाने में प्रतिवर्ष टी. ए. व डी. ए. का कितना खर्च होता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—सरवाड़ तहसील के सरकारी खजाने में जो आवश्यकता से अधिक रुपया रहता है वह सब ट्रेज़री किशनगढ़ की मारफत राजस्थान बैंक, किशनगढ़ में जो सरकारी खाता है उसमें जमा करा दिया जाता है। इसके पहुँचाने में लगभग ६००) रुपया टी. ए., डी. ए. के तौर पर सालाना खर्च होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ये रुपये लाने वालों के साथ गार्ड भी भेजा जाता है।

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इन ६००) रुपयों में गार्ड का खर्चा भी शामिल है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसका प्रबन्ध पुलिस विभाग से होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह ट्रेज़री के अधिकारियों के आने-जाने का खर्चा गिनाया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हाँ, ठीक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर गार्ड का खर्चा इसमें शामिल किया जाय तो कितना होगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं निश्चित आँकड़े तो नहीं दे सकता, किन्तु इससे कुछ ज्यादा होगा ।

प्रश्न संख्या ६००

श्री सुरेन्द्रनाथ, सिंचाई विभाग, भरतपुर के ओवरसियर के आचरण सम्बन्धी प्रतिवेदन

राजा श्री मानसिंह—Will the Minister for Irrigation be pleased to state :

(a) The details of the report submitted to the Government by the Collector, Bharatpur, of the Inquiry Cmmission appointed to inquire into the conduct of Shri Surendra Nath, recently Overseer, Irrigatien Department, Bharatpur ?

(b) What action do the Government intend to take in the matter ?

(c) What was the total area in Bharatpur irrigated by the Ajan Bund System in the year 1952 and in the year 1953 ?

(d) Was any water released to U. P. from the bund when the same could have been used to irrigate Bharatpur lands in the year 1953 ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(a) The details of the Commitee's report are as follews.

(i) Shri Surendranath be discharged from Government service.

(ii) Purshottam and Thukri Daroghas should be transferred and.

(iii) for the future, at the time of letting out water for irrigation, a programme should be drawn up and water should be let out under the supervision of the Assistrnt Engineer in collaboration with the N. T., and that the programme be duly notified beforehand to the villagers.

(b) The investigations of the Committee did not disclose any specific case of bribery on the part of the Overseer. It seems that he had become very unpopular in the locality and there had been a considerable amount of propaganda against him. It was, in the circumstances, considered adequate to

[राजा श्री मानसिंह]

transfer him elsewhere and to warn him to work more carefully in future.

(c) The total area irrigated during the year :—

1952 —57,117 Bighas

1953 —48,633 Bighas

(d) No.

राजा श्री मानसिंह— Is it not a fact that the Hon'ble Minister and the President of the District Congress Committee visited the area which had been irrigated in U.P. where the water was released?

श्री टीकाराम पालीवाल— No information is with the Covernment.

प्रश्न संख्या १०१

पंचवर्षीय योजना के बाकी के दो वर्षों में बाँसवाड़ा जिले में नवीन सिंचाई के कार्य

श्री धूलजी भाई—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना के बाकी के दो वर्षों में बांसवाड़ा जिले में किन-किन नवीन सिंचाई कार्यों का आरम्भ करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) लघु एवं दीर्घ सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण किये गये अथवा किये जा रहे तालाबों के कारण जिन गांवों की भूमि, मकान आदि सम्पत्ति डूब में आ रही है उन्हें सरकार की ओर से क्या मुआवजा दिया जाता है ? यदि हां, तो बांसवाड़ा जिले में किन-किन गाँवों में कितना मुआवजा दिया गया ?

(ग) क्या सरकार के समक्ष ऐसे मामले भी हैं जिनका निर्णय दो वर्ष हो जाने पर भी अभी तक नहीं किया गया और कई किसान खेती की भूमि के अभाव में बेकार तथा रहने की भूमि के अभाव में बेघरबार हो रहे हैं ?

(घ) क्या सरकार इन मामलों में अब शीघ्रता से निर्णय देगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—(क) पंचवर्षीय योजना के बाकी के दो वर्षों में बांसवाड़ा जिले में कोई नया काम आरम्भ करने का विचार नहीं है।

Page No.29

श्री धूलजी भाई—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जिन लोगों को दो साल से मुआवजा नहीं मिला क्या उनको जल्दी मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हां, जल्दी की जायेगी।

श्री धूलजी भाई—जसवन्तपुरा तालाब के किसानों को अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला ?

श्री टीकाराम पालीवाल—करीब-करीब तय हो चुका है।

श्री धूलजी भाई—उन्हें कानून के अनुसार मुआवजा कब मिलेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जल्दी, बहुत जल्दी।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—बाँसवाड़ा जिले के किस-किस गांव में कितना-कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अभी तक कहीं नहीं दिया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या इन दो सालों में जिन किसानों को मुवावजा नहीं दिया गया और जो बेकार बैठे हैं उसके लिये क्या कुछ कन्सीडर किया जायेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—किसान बेकार नहीं, खेती कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—मुवावजा देने में देर क्यों की गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जाँच-पडताल में समय लग जाता है।

श्री भैरोंसिंह—अब कब तक उम्मेद की जाय ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने उत्तर दिया कि बहुत जल्दी मुआवजा दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह—माननीय मंत्री जल्दी की परिभाषा करेंगे

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६०२

मई १९५२ में जयपुर के रामगंज बाजार के क्षेत्र में उधाराम नेचलदास को बेचा गया चना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Civil Sepplies pleased to answer :

Page No.30

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(a) Is it a fact that in May, 1952, gram was sold to M/s, Udharam Nechaldass, ARD N. 4, Area No.3, Ramganj Bazar, Jaipur ?

(b) How many maunds of gram was sold to him and in how many days ?

(c) By whose orders was the gram sold ? Was he competent to order these sales ? What is the date and number of the Order ?

(d) At what rate was the gram sold and what was the then market rate ?

(e) How much loss occurred, if any, to the Government ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(अ) हाँ ।

(ब) एक हजार मन चना मेसर्स उधाराम नेचलदास ए. आर. डी. नं. ४ को इस प्रकार दिया गया ।

(१) ५.६.५२ को ५० मण
६,६,५२ को १५० मण
७,६,५२ को ४०० मण
९,६,५२ को ४०० मण

इसके अलावा निम्नलिखित चना दूसरे ए. आर. डीज़. को दिया गया ।

मेसर्स तोपखाना देश भंडार ५० मण
,, ऋषिकेश १३ मण
,, मोंगूमल मूलचन्द १३ मण
,, हनुमानबक्स बोदी १०० मण
,, वरियामल मूलचन्द ५० मण
,, पोहूराम कोटूमल ५० मण

(स) मई १९५२ में मन्त्री, रसद विभाग ने जयपुर के गोदामों का निरीक्षण किया थां । चने की हालत टीक न होने से और बाजार में भावऊंचा होने से लोगों को सस्ते भाव पर चना मिल सके, यह आज्ञा दी गई थी। इनका वितरण ए. आर. डीज़ की मार्फत खाने वालों (उपभोक्ताओं) को कर दिया जावे ।

Page No.31

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(डी) यह चना सरकारी मोटे अनाज की दर यानी १३,५,४ प्रति मन के हिसाब से बेचा गया। बाजार में चना इससे मंहगा मिल रहा था, उस समय बाजार भाव १५ और १६ के बीच में था।

(ई) सरकार को कोई नुक्सान नहीं हुआ है, क्योंकि यह चना निश्चित सरकारी दर पर बेचा गया था, जो सब मोटे अनाजों के लिए स्वीकृत थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Question part (c), "By whose orders was this gram sold ? Was he competent to order these sales ? What is the date and number of the order ?

श्री भोगीलाल पंड्या—By the order of the Civil Supplies Minister. He was competent to order.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is the number and date of the order ?

श्री भोगीलाल पंड्या—It was verbal order.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it not a fact that there is no such order in the entire record of the Department ?

श्री अध्यक्ष—Order please ! Other questions will be left.

श्री भोगीलाल पंडया—मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने खुद ने वहाँ पर जाकर, जब बाजार में चने का भाव ऊंचा चला गया था, वर्बल आर्डर दिया था कि रुपये के तीन सेर के हिसाब से चने बेचे जाँय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस प्रकार का ऑर्डर सिविल सप्लाइज़ की फाइल में दर्ज किया हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—लाल फीताशाही के कारण देरी हो जाती है, इसलिए मैंने वर्बल ऑर्डर दे दिया था, ताकि जनता को जल्दी से जल्दी सस्ता चना मिल सके। ए. आर. डी. के मार्फत चना बेचा गया। बाद में इस ऑर्डर को कन्फर्म कर लिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस तारीख को कन्फर्म किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं पूरी तौर से निश्चित तारीख तो बता नहीं सकता, किन्तु लगभग मेरे वर्बल ऑर्डर के एक महीने बाद कन्फर्म कर लिया गया।

प्रश्न संख्या ६०३

एडवर्ड मेमोरियल, जयपुर, में स्थित मेडिकल कालेज होस्टल के सहायक वार्डन की व्यवस्था में कमी

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Will the Minister-in-charge of Medical & Public Health Department be pleased to state:—

(1) Whether it is a fact that the Assistant Warden who is incharge of the Medical College Hostel at the Edward Memorial is quite young and inexperienced with the result that there is hardly any control over the residents of that Hostel ?

(2) If the reply to (1) is in the affirmative why the Government does not appoint an experienced and senior Member of the Staff as the warden of this Hostel ?

श्री कुम्भाराम आर्य—(१) वह युवा हैं और अनुभवी है।

(२) प्रश्न पैदा नहीं होता।

कु० श्री जसवन्तसिंह—उनकी क्या उम्र है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—युवा की जो होती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह तो साहब, माननीय अध्यक्षजी; क्या यह जवाब ठीक है ? मालूम नहीं हो तो साफ कह दें कि मालूम नहीं, पर इस तरह जवाब देना यह तो अध्यक्ष महोदय......

श्री कुम्भाराम आर्य—कौन से काल तक युवा रहते हैं, आप बता दीजिए ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह तो कोई जवाब का ढंग नहीं है।

श्री भैरूँसिंह—क्या यह सही है कि उनकी उमर १८ साल से कम है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—१८ साल से अधिक है।

श्री जसवन्तसिंह—उनका तजुर्बा क्या है, यह बताइएगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—श्रीमानजी के लगभग।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं एम. एल. ए. हूँ, क्या वह भी एम. एल. ए. हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह तजुर्बा नहीं है, यह तो आपका अधिकार है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या यह सरकार को पता है कि सिनेमा हाउस में जो गड़बड़ हुई थी उसमें मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों का हाथ था ? ऐसी हालत में जब कि वार्डन अनुभवी है तो इस घटना को क्यों नहीं रोका ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मेरे पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अगर आपके पास ऐसी शिकायत आवे तो क्या कार्यवाही करने को आप तैयार हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हाँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री अवनिकुमार मुकर्जी

प्रश्न संख्या ६०४

एडवर्ड मेमोरियल में स्थित मेडिकल कॉलेज होस्टल में न ऊँची दीवारें और न दरवाजे

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Whether it is a fact that there are neither high walls nor any gates in the Medical College Hostel at the Edward Memorial with the result that the hostellers manage to remain away from the Hostel beyond the prescribed hours ? If it is so, why should not immediate arrangements be made for providing high walls and gates at the Medical College Hostel ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(ए) जी हाँ।

(बी) जी नहीं, दीवारें भी हैं, और दरवाजे भी हैं और बन्द होने पर कोई बाहर भी नहीं जा सकता।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न के छपने में गलती हुई है। मैंने यह प्रश्न किया था कि सवाई मानसिंह होस्पिटल में जो होस्टल है उसके बारे में क्या यह नहीं हैं, एडवर्ड मेमोरियल के बारे में नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कैसे यह हो गया ?

श्री अध्यक्ष—(श्री सचिव को सम्बोधित करते हुए)

[श्री अध्यक्ष]

Where is the original question ?

(अल्प विराम के अनन्तर)

नेक्स्ट, श्री जयचन्द्र मोहिल ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मेरे ऐतराज का क्या हुआ साहब ?

श्री अध्यक्ष—देख रहे हैं ।

प्रश्न संख्या ६०५

राजस्थान के प्रत्येक जिले को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत

रकम तथा उसका उपयोग

श्री जयचन्द्र मोहिल--क्या मन्त्री ,सामुहिक विकास योजना विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) राजस्थान के हर ज़िले को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी कितनी रकम दी गई और उसका उपयोग किस कार्य द्वारा किया जा रहा है ? हर जिले के आँकड़े क्रमशः बतावें ?

(ब) आबादी और क्षेत्रफल प्रत्येक जिले का कितना कितना है ? बेकवर्ड एरिया किस जिले में ज़्यादा है ?

(स) क्या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य जिले के एरिया, आबादी और बेकवर्डनेस का खयाल रखते हुए किए जा रहे हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो रकम राजस्थान के लिए रखी गई है उसका जिलेवार बंटवाड़े के आँकड़े केवल सिचाई, सड़क व गाँव में पीने के पानी की योजना मदों के उपलब्ध हैं, और वह सूची सदन की मेज पर रखी जा रही है । अन्य मदों के जिलेवार आँकड़े उपलब्ध नहीं है । इसके अलावा जो रकम राजस्थान के लिए पाँच साल के वास्ते रखी गई है उसके मदवार बंटवारे की सूची सदन की मेज पर रखी जा रही है ।

(ब) प्रत्येक जिले की आबादी व क्षेत्रफल के आँकड़े सदन की मेज पर रखे जा रहे हैं । बेकवर्ड एरिया किस जिले में ज्यादा हैं, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । अनुसूचित क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं वे निम्न प्रकार है—

Page No.35

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(१) जिला बाँसवाड़ा

(२) जिला डूंगरपुर

(३) जिला चित्तौड़गढ़ में तहसील परतापगढ़ ।

(ख) नहीं ।

(सूचियें में विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गईं)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ।

प्रश्न संख्या ६०६

सन् १९५४-५५ में जयपुर शहर की 'सी' स्कीम में सड़कें डम्बर

की बनाना तथा उनकी मरम्मत

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--Will the Minister for Public works be pleased to state:—

(i) Will the roads in the 'C' Scheme, Jaipur city, be tarred and repaired during 1954-55 ?

(ii) Whether electric lights at some important points at least would be provided in the 'C' Scheme, Jaipur during the next financial year ?

(iii) Whether water supply would be made available through pipes of proper dimensions to some areas at least in 'C' Scheme Jaipur City during the coming year ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—

(i) The matter is under consideration of the Government. It is expected that the roads in 'C' Scheme, Jaipur City, would be tarred and repaired during 1954-55.

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

(ii) The matter is under active consideration of the Government.

(iii) This is also receiving consideration of the Government.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या यह समझा जावे कि 'सी' स्कीम जैसी इम्पोर्टेन्ट जगह में पानी और बिजली की भी व्यवस्था नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—व्यवस्था तो है, पर उसको और सुधारने की जरूरत मालूम पड़ती है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या 'सी' स्कीम के निवासियों को यथेष्ट पानी और बिजली नहीं दी जा रही है और क्या सरकार कोई इन्तजाम करने के विषय में नहीं सोच रहीं हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—गौर किया जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस वर्ष पानी और रोशनी का ठीक तौर से इन्तजाम होने की उम्मीद की जा सकती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसा ही सोचा जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या पिछले दो दिनों में 'सी' स्कीम में पानी की सप्लाई ब्रेक डाउन हो चुकी है, ऐसी कोई सूचना सरकार को है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इसके बारे में जाँच करावेगी कि बहुत कम पानी लोगों को मिल रहा है और थाइसिस हो गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—थाइसिस का तो कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, पानी का प्रेशर कम जरूर है, जैसा और भी कई जगह है। इसका भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या पानी की कमी, राजस्थान विधान सभा भवन में जो खस-खस की टट्टियाँ लगी हैं उनमें पानी खर्च होने की वजह से है ?

Page No.37

श्री टीकाराम पालीवाल— सुना नहीं मैंने, क्या कहा आपने ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—It is a very important question, Sir.

श्री अध्यक्ष—Order ! order !! Mr. Gulab chand has the first right to put his question.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या यह सही है कि 'सी' स्कीम में पानी की लाइन आधा इन्च की है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसी सिविल लाइन्स में भी सप्लाई है आधे इन्च की।

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, वहाँ 'सी' स्कीम में यह लाइन पहले से पड़ी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कारण है कि 'सी' स्कीम में आधा इन्च से ज्यादा की पाइप लाइन नहीं डाली जावे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जिस समय यह लाइन डाली गई थी उस समय आबादी 'सी' स्कीम की कम थी और अब थोड़े दिनों से आबादी बढ़ गई है, इसलिये अब लाइन को बढ़ाने की जरूरत पैदा हो गई है।

श्री जसवन्तसिंह—यह पानी की जो कमी दिखाई दे रही है वह राजस्थान विधान सभा में जो हाल ही में खस के परदे लगे हैं उनमें इतना ज्यादा पानी खर्च किया जाता है कि यहाँ से चलकर नीचे की सीढ़ियों तक पानी पहुँच जाता है तो इधर पानी ज्यादा खर्च हो जाने की वजह से है क्या ?

श्री अध्यक्ष—That is the privilege of the House

(विराम)

श्री चाँदमल, नेक्स्ट।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—मेरा और एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—Sorry. Question No. 907.

प्रश्न संख्या ६०७.

१ मार्च, १९५४ तक के राजस्थान में प्रचलित समस्त कानून

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—(i) Will the Minister for Law please place on the Table of the House, a complete and exhaustive list of all laws, bye-laws, rules and anything having the force of law in the State of Rajasthan or any part thereof on the first day of March, 1954 ?

(ii) Have all these been printed and published ?

(iii) Are all these available to the public in printed book form on payment of price ?

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मंत्री)—(क) १. ७ अप्रैल, १९४९ से मार्च, १९५४ तक की अवधि के अन्दर राजस्थान विधान सभा द्वारा अधिनियमित किये गये समस्त कानूनों की एक परिपूर्ण सूची सभा की मेज पर रख दी गई है।

२. राजस्थान पर लागू किये गए केन्द्रीय कानूनों की एक सूची सभा की मेज पर रख दी गई है।

३. विभिन्न संधिपत्रान्तर्गत राज्यों के कानूनों की एक सूची बना ली गई है, किन्तु उसकी जांच हो रही है। वह अभी तक सदन की मेज पर रखे जाने के लिये तैयार नहीं है। उसे सही रूप देने में कुछ समय लगेगा।

४. नियमों इत्यादि की सूची अभी तक तैयार नहीं है और उसका संकलन हो रहा है।

(ख) राजस्थान के समस्त कानून राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हो चुके हैं और पुस्तक रूप में मासिक क्रम में मुद्रित हो चुके हैं।

समस्त केन्द्रीय कानून गजट आफ इन्डिया में प्रकाशित होते हैं और राजस्थान राज पत्र में पुनः प्रकाशित होते हैं।

(ग) अधिनियमों और अध्यादेशों की अलग-अलग एक-एक प्रतियां सरकारी मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग, जयपुर में और मासिक क्रम में, सरकारी मुद्रणालय, जोधपुर, में विक्रयार्थ उपलब्ध हैं।

केन्द्रीय कानूनों की प्रतियां मैनेजर, केन्द्रीय प्रकाशन, देहली से उपलब्ध हो सकती है।

(सूचियें विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Have the laws made by the various covenanting States been published ?

श्री टीकाराम पालीवाल—They were published by the authorities which made them. Various forms of laws existed in the covenanting States. They were Acts, Rules and Regulations, Hidayats, etc. and had the force of State Laws. All of them could not be published by the Rajasthan Government now. They had been issued by the covenanting States in their respective Gazettes.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Is the Hon'ble Minister aware of the legal principle--Ignoratio legis neminem excusat.

On that ground are they not going to be published ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Our lawyers are always competent to help them.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the Government aware that there is a persistent demand for many of these laws on the part of the public for knowledge for implementation and for other purposes.

श्री अध्यक्ष—There is persistent demand for publication of all these laws.

श्री टीकाराम पालीवाल—Most of them are now obsolete.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the Government aware that even some important legislation of the kind of Tenancy Acts of the various covenanting States are not available today for sale to the public ?

श्री टीकाराम पालीवाल—I am not aware of this situation..

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the government conduct an enquiry as to which of the vital laws are not made available to the public even on offering sale price ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६०८

सन् १९५३-५४ के प्रारम्भ में रसद विभाग में जमा सिक्योरिटीज़

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्री, रसद विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सप्लाई विभाग में सिक्योरिटीज़ के रूप में सन् ५३-५४ के आरम्भ में कितनी रकम जमा थी ?

[श्री चाँदमल मेहता]

(ख) सन् ५३-५४ में कितने व्यक्तियों को कितनी रकम वापिस लौटाई गई ?

(ग) कितने व्यक्तियों की सिक्योरिटीज़ वापिस लौटाने के मामले सरकार के विचाराधीन हैं ?

(घ) कितने व्यक्तियों ने सिक्योरिटीज़ नहीं लौटाने की वजह से सन् ५३-५४ में राजस्थान सरकार के खिलाफ सूट्स दायर किये ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--(क) सन ५३-५४ के वर्ष के आरम्भ में सिक्योरिटीज़ के रुपये राजस्थान सरकार के पास ३८, ७२, ४३५ रु० ६ पा० जमा थे।

(ख) सन् ५३-५४ में १८३३ पार्टियों को ६, १६, १९७ रु० १२ आ० ६ पा० की सिक्योरिटीज़ वापिस लौटाई गई।

(ग) ६८३ पार्टियों के मामले सिक्योरिटीज़ वापिस लौटाने के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) ५३-५४ के वर्ष में ५ पार्टियों ने सिक्योरिटीज़ रिफन्ड न होने की वजह से राजस्थान सरकार के खिलाफ सिविल सूट दायर किये।

श्री चांदमल मेहता--जो मामले विचाराधीन हैं वे कब तक फैसल किये जा सकेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या--उनमें खामियां रह गई थीं, उनकी कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी। वह पूरी होते ही रुपये दे दिये जायेंगे।

श्री चाँदमल मेहता--क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह है कि कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद जब तक अधिकारियों को कुछ पैसा नहीं मिलता है तब तक पेमेन्ट नहीं करते हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या--यह आप से नई सूचना मिली है। यदि वह सत्य होगी तो इसकी जांच की जायगी।

श्री चाँदमल मेहता--क्या मन्त्री महोदय किसी विशेष अफसर को जांच करने के लिये नियुक्त करने की कृपा करेंगे कि इसमें देरी क्यों की जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--देरी कोई नहीं की जा रही है। देरी की जाती तो ६ लाख रुपये वैसे दिये जा सकते थे ? जल्दी से जल्दी दूकानों का हिसाब जांचने का प्रयत्न किया जा रहा है। सब जगह ऑडिट पार्टियाँ जांच कर रही हैं और जहां-जहां हिसाब तय हो गया वहां रुपये दिये जा सकेंगे।

श्री चाँदमल मेहता--क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि जहां लाखों

[श्री चाँदमल मेहता]

रुपये की सिक्योरिटीज़ जमा हों तो उसके बावजूद इतनी बड़ी रकम में से ६ लाख रुपये ही सरकार के द्वारा लौटाये जा रहे हैं; क्या यह काफी है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन दूकानों के हिसाब जल्दी तैयार हो गये उन दूकानों को रुपये जल्दी मिल गये।

प्रश्न संख्या ६०६

मेडिकल कॉलेज के पेथोलोजी के रीडर का चीफ पब्लिक एनेलिस्ट के ऑफिस में कार्य करना

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Will the Minister-in-charge of Medical and Public Health Department state :—

(i) Whether the Reader of the Pathology Department of the Medical College has to atttnd to Bacteriological work every day at the office of the Chief Public Analyst, Jalebi Chowk, Jaipur-

(2) Can the Government not arrange to send specialised samples from the office of the Public Analyst to the Pathology Department of the Medical College instead of making it compulsory for the Reader of the Pathology Department to attend to the work in an improperly equipped laboratory at the Chief Public Analysts' Office.

(3) If the procedure outlined in (2) is adopted, will it not facilitate the functioning of the Pathology Department of the Medical College ?

(4) Is the Govt. prepared to act accordingly ?

(श्री कुम्भाराम आर्य के थोड़ी देर तक उत्तर देने के लिए खड़े न होने पर)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--माननीय अध्यक्ष, क्या हो गया ? जवाब ?

श्री कुम्भाराम आर्य--(क) जी हां।

(ख) जन स्वास्थ्य रसायनशाला में बेक्टेरियोलोजीकल का एक स्थायी विभाग है और उसका उन्मूलन कार्यक्षमता की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

(ग) वर्तमान प्रबन्ध से पेथोलाजी विभाग के कार्य संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

(घ) इस समय इसकी कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि क्या रीडर की पेथोलाजी विभाग में कार्य-संचालन की कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री कुम्भाराम आर्य--यह समय का विभाजन है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--क्या पेथोलाजी डिपार्टमेंट के जो हैड हैं उनकी राय इसमें ली गई है कि उनके कार्य-संचालन की वहां आवश्यकता है या नहीं।

श्री कुम्भाराम आर्य--इतना तो सरकार जानती है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--क्या उनकी राय ली गई है ?

श्री कुम्भाराम आर्य--राज्य चलाना है।

(हंसी)

एक सदस्य--इस तरह से 'राज्य' नहीं चलेगा।

श्री कुम्भाराम आर्य--इस तरह से राज्य ज्यादा चलेगा। इससे बहुत लोगों का लाभ होगा।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ६१०

मेजा डेम पर कर्मचारियों की संख्या

श्री चुन्नीलाल बिड़ला--क्या सिचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मेजा डेम (जिला भीलवाड़ा) पर सरकार के कितने कर्मचारी किस-किस काम पर मुकर्रर हैं ?

(ख) कितने गांव, कूए व कितनी जमीन इससे डूबने वाली है और क्या इसके एक्वायर करने की कार्यवाही हो चुकी है या कोई अधिकारी इस काम के लिये नियुक्त किया गया है ?

[श्री चुन्नीलाल बिडला]

(ग) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि विशेष अधिकारी मुकर्रर नहीं किये जाने से व तत्काल कार्यवाही नहीं होने से काम में बड़ी रुकावट व देरी होती है ?

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) मेजा डेम (जिला भीलवाड़ा) में इस काम के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किये हैं उसकी सूची निम्न प्रकार है :—

असिस्टेन्ट इन्जीनियर	१
क्लर्क	२
ओवरसियर	३
ट्रेसर	२
चपरासी	२
मिस्त्री	१
मेट	८
ड्राइवर	१
डाकरसा	१

(ख) इसके अन्दर मौके पर ओवरसियर लग रहे हैं। और इसमें डूबने वाली इस तरह की जमीन का तखमीना बन गया है और एक्वायर करने की कार्यवाही करेंगे तथा इस बान्ध के बनने से जो गांव पानी में डूबेंगे उनकी सूची साथ में है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(ग) इस बान्ध के बनाने में ८२ हजार रुपये लगेंगे। एक्वीज़ीशन ऑफिसर की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है।

(घ) इस बांध को २ साल से पूरा करने का कार्य होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस काम में मजदूर जो लगेंगे उनकी देख-भाल करने के लिए कोई मेडिकल ऑफिसर की भी नियुक्ति की जा रही है या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आवाज साफ नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष—मजदूरों के लिए मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं।

श्री चुन्नीलाल बिडला—यह ब्रान्ध...(अश्रव्य)...

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हां।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या मेडिकल ऑफिसर के नहीं जाने से कोई मजदूर वहां बीमार हो जाता है तो उनको कोई मेडिकल एड (medical aid) नहीं मिलेगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी कोई शिकायत गवर्नमेंट के पास नहीं आई।

एक माननीय सदस्य—कितने मजदूर काम कर रहे हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मजदूरों की संख्या मेरे पास नहीं है।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री भैरोंसिंह, डि० नं० ११ ने दिनांक २५-५-५४ से २८-५-५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्ताव

गंगानगर के किसानों द्वारा प्रदर्शन करने पर उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आज की कार्यवाही स्थगित करने के लिए और एक विषय पर बहस करने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव आया है। मैं उसको पढ़ देता हूँ :—

"That this House do adjourn to discuss the arrest of 18 persons from Ganganagar while they were peacefully and lawfully demonstrating at the gate of the Jalebi Chowk (Jaipur) in the evening of the 25th May 1954."

मैं यह कह दूँ कि यह मामला ऐसा कोई अर्जेन्ट पब्लिक इम्पार्टेंस का नहीं है जिसके लिए कि इस विधान सभा की कार्यवाही स्थगित करके उसका विचार किया जाय। इसलिए मैं इसको रूल आउट करता हूँ।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री अध्यक्ष—अब हम बिजनेस ऑफ दी डे पर आते हैं। श्री टीकाराम पालीवाल।

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—Mr. Speaker, Sir, I lay, as required under clause (5) of Article 320 of the Constitution of India a copy of the amendment made by His Highness the Rajpramukh to Rule 14 (2) of the Rajasthan Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1951.

राजस्थान सिंचाई तथा जलोत्सारण विधेयक, १९५३. (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Yes. Legislative Business. Irrigation and Drainage Bill. Consideration from Clause 32. Yes, Shri Jawan Singh.

('Gone out' सदन में आवाज)

Then Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 32 :—

"In Part (b), delete the words (from line 4 to line 8) 'or of any repairs alterations, or additions to the irrigation work or of any measures taken for regulating the proper flow of water therein, or for maintaining the established course of irrigation which the Divisional Irrigation Officer considers necessary'."

माननीय अध्यक्ष, अभी क्लॉज़ ३१ के द्वारा यह निश्चय किया गया है कि यदि किसी इरिंगेशन work या अन्य किसी तरीके से जिसका कि सारा प्रबन्ध सरकार के हाथ में है, उसके जरिये से यदि सिंचाई के लिए पानी लिया जाय तो उसकी किस प्रकार की दर होगी और दर निश्चित करने के साथ-साथ पानी देने का तरीका क्या होगा और तरीके में यह चीज भी लिखी हुई है कि किन-किन शरायतों के अनुसार पानी दिया जा सकेगा। लेकिन इस क्लॉज़ के पार्ट (बी) में सरकार ने यह लिखा है कि :

"No claim shall be made against the State Government for compensation in respect of loss caused by the failure or stoppage of water in an irrigation work by reason of any cause beyond the control of the State Government."

और इसके आगे मैंने जिसका संशोधन रखा है कि इन शब्दों को Delete कर दिया जावे, वह इस प्रकार है :

Page No.46

[श्री भैरूँ सिंह]

"Or of any repairs, alterations or additions to the irrigation work, or of any measures taken for regulating the proper flow of water therein, or for maintaining the established course of irrigation which the Divisional Irrigation officer considers necessary"

इन शब्दों को डिलीट कर दिया जावे।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय इस सदन में इस बिल पर कल चर्चा हो रही थी उस वक्त किस आधार पर कम्पेन्सेशन देने की और जिन लोगों ने वाटर कोर्स बनाये हैं उनके ऊपर किस-किस प्रकार की शरायतें होंगी इन विषयों पर खास तौर से चर्चा हुई थी। सरकार की ओर से सिंचाई मन्त्रीजी ने बार-बार यह आश्वासन दिया था कि जहाँ तक हो सकेगा उन लोगों को यथा-शीघ्र कम्पेन्सेशन (Compensation) दे दिया जायगा। लेकिन आज ही प्रश्नोत्तर-काल में जब बाँसवाड़ा जिले के प्रश्न आये उस वक्त यह स्पष्ट मालूम हो गया कि चाहे सदन में इस प्रकार का आश्वासन दिया जाय, सरकार की इसमें कुछ भी नीयत हो, पर यदि पानी बन्द करने के कारण से, डेवलपमेंट वर्क्स के कारण से यदि किसी आदमी को बराबर पानी नहीं मिले और उससे उसका नुकसान हो तो उसको जल्दी से जल्दी कम्पेन्सेशन नहीं मिल सकता। अभी मन्त्रीजी ने बताया था कि बांसवाड़ा में काफी नुकसान होने के कारण उसकी जाँच करने के कारण से उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिल सका। इस बात की दलील से जो आश्वासन दिया जाता है उस पर अक्षरशः विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस क्लॉज़ पर विचार किया जाने वाला है उस पर कुछ कहने के पूर्व में आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि कल जब पुलिये बनाने का सवाल सामने था उस वक्त मन्त्रीजी ने फरमाया था कि जब वाटर कोर्स आदि सरकार के खर्चे से बनाए गए हैं तो पुलिये वगैरह किसानों के खर्चे से बनेंगे। इसका कारण आपने यह दिया था कि जब बड़े-बड़े पुलिये बनाने की जरूरत होती है तो वह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन छोटे-छोटे पुलिये बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं व्यक्तियों की है। यही मान लीजिए कि वाटर कोर्स किसी ने बना लिए और उन पर जो पुलिये बनाने का खर्चा हुआ वह सारा वहाँ वालों ने कर दिया लेकिन इस बात की तो उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए कि किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि उनको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जब इस क्लॉज़ को पढ़े तो इसमें कोई गुन्जायश नजर नहीं आती कि उनको कहीं पानी नहीं मिला तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी होगी। हाँ सरकार के कन्ट्रोल के बाहर की बात हो और पानी नहीं आता तो कम्पेन्सेशन नहीं देते। बरसात की कमी के कारण, इर्रिगेशन को नुकसान हो सकता है, चेनल टूट जाने के कारण या वाटर कोर्स फूट जाने के कारण किसी जगह पानी नहीं जाता है, गवर्नमेंट के कन्ट्रोल के बाहर की बात से पानी नहीं आता है तो मान लीजिए कि कम्पेन्सेशन नहीं दे सकते किन्तु यदि सरकार ने किसी पुलिये को ठीक नहीं कराया, मरम्मत नहीं कराई या सरकार की गफलत के कारण इर्रिगेशन वर्क्स की मरम्मत नहीं होने पाई और इस कारण से पानी पर कन्ट्रोल नहीं हो सका, मरम्मत नहीं कराने के कारण या सरकार की अन्य गफलत से यदि पानी नहीं दिया जाय और किसान को

Page No.47

[श्री भैरूँसिंह]

नुकसान हो तो उसका भी कम्पेन्सेशन नहीं क्लेम कर सकते, यह व्यवहार की चीज नहीं हो सकती। यदि ऐसा कानून बनाया जाय तो वह न्यायसंगत नहीं हो सकता। सरकार कानून बनाकर वाटर कोर्स पुलिये, बेटरमेन्ट चार्जेज़ या अन्य चार्जेज़ लगा सकती है तो सरकार लगावे लेकिन यदि चार्जेज़ लगाती है तो सरकार का कर्त्तव्य है कि उनको राहत देने के लिए भी सरकार काम करे और किसी प्रकार की एक्सक्यूज़ नहीं निकाले। यह क्लॉज सरकार के अधिकारियों को और अधिक Compensation की छूट देने का है। सरकार के अधिकारी यदि चाहें तो अपनी गफलत से इरिगेशन वर्क्स की मरम्मत नहीं करायेंगे और तरह-तरह की रुकावट डालेंगे। इरिगेशन विभाग के जितने अफसर, एस. डी. ओ. आदि हैं उन पर किसी प्रकार का सरकार का अंकुश नहीं है जिसके कारण वे अफसर शीघ्र ही रोक-थाम करें और काश्तकारों को राहत मिल सके। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है। जिन कारणों पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं हो सके या जो सरकार के कन्ट्रोल के बाहर की चीज है उन कारणों से नुकसान हो तो सरकार कम्पेन्सेशन न भी दे तो ठीक है लेकिन अधिकारियों की गफलत के कारण यदि किसी इरिगेशन वर्क की मरम्मत न होने के कारण या पुलिये टूट जाने से नुकसान होता है तो सरकार का कर्त्तव्य है और यह न्याय संगत भी है कि सारे नुकसान का सरकार कम्पेन्सेशन दे और इसलिए मैंने यह संशोधन रखा कि इन शब्दों को इस क्लॉज़ में से डिलीट कर दिया जाय। सरकार के कन्ट्रोल बाहर की चीज हो तो सरकार भले ही कम्पेन्सेशन न दे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 32 :—

"In sub-clause (a) (i) add at the end :

'Provided that proper notice of such stoppage has been given to the person or persons affected by it before the usual sowing period.'

क्लॉज़ ३२ के सब क्लॉज़ (ए) पार्ट (२) की ओर यदि आप ध्यान दें तो यह उसमें यह दर्ज है कि किस किस परिस्थिति में पानी रोका जा सकेगा। विशेष प्रकार की परिस्थिति का वर्णन तो पार्ट (१) और पार्ट (२) में है और कितने पीरियड के लिए किसी खास कारण की वजह से पानी बन्द करने की नौबत आयगी इसका अधिकार पार्ट (३) में दिया गया है :

"(iii) Within periods fixed from time to time by the Divisional Irrigation Officer."

अब ऐसा मुमकिन हो सकता है कि डिवीजनल इरिगेशन आफिसर अपना निर्णय दे और यह तय करे कि अमुक समय के लिए, ८ दिन के लिए, १५ दिन के लिए या महीने भर के लिए पानी बन्द रहेगा। लेकिन यह निर्णय इस प्रकार की फसल की बुवाई होने के बाद दे। इसका नतीजा यह होगा कि फसल तो लोगों ने इस आशा से बो डाली कि पानी जितना हर साल

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मिलता है, अमूमन मिलता है उतना मिल जायगा। खाद और दूसरा खर्चा उसी अन्दाज से कर डाला कि जितनी सारी आवश्यकता है उतना पानी मिल जायगा। लेकिन इस बीच में डिविजनल इरिंगेशन ऑफीसर ने फैसला कर दिया कि वह आवश्यक फसल ठीक पूरी तरह से पक कर तैयार नहीं हुई है। महीना, २० दिन पहले जब सिंचाई की आवश्यकता होती है उसी वक्त १५ दिन, महीने भर के लिए वह पीरियड घोषित कर दे कि पानी बन्द रहेगा तो नतीजा उसका यह होगा, माननीय सदस्य, कि सारे इलाके में, जहाँ ऐसा हुक्म जारी किया जायगा, फसल नष्ट हो जायगी और ऐसा हुआ भी है।

पिछले वर्ष इस किस्म की शिकायत गंगानगर इलाके से आई है और अचानक इस प्रकार का पानी बन्द करने से लोगों को कितनी कठिनाई हुई थी वह वहाँ के रहने वाले लोग ही जानते हैं।

जब डिविजनल ऑफीसर को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह पीरियोडिकली पानी बन्द करने का समय निश्चित करे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह निर्णय देने का काम उस पर काफी समय पहले ही करने का डाल देना चाहिए। उस पर यह जिम्मा डाल देना चाहिए कि बोवाई होने से पकने तक के अर्से के लिए वह पानी बन्द करने का निर्णय नहीं दे, यह बन्धन तो बहुत मामूली और व्यवहारिक बन्धन है। इससे बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि अचानक पानी बन्द न होने से फसल नष्ट होने की नौबत आ ही नहीं सकेगी। डिविजनल ऑफिसर के लिए भी यह कठिनाई की बात नहीं। यह कोई एक्सट्राऑर्डिनेरी (Extraordinary) कारण की बात नहीं, यह तो रूटीन तरीके के काम के लिए ऐसा किया जाता है। सफाई के लिए, मिट्टी ज्यादा जम गई हो तो उसको निकालने के लिए, ऐसे ही कामों के लिए पानी बन्द करने की आवश्यकता होती है। तो इसका अन्दाजा काफी समय पूर्व ही लगाया जाना चाहिए। यदि इतना सा भी अन्दाजा काफी समय पहले से डिविजनल इरिंगेशन ऑफिसर नहीं लगा सकता तो उसका तात्पर्य यह होगा कि वह अपनी गैर जिम्मेदारी से, कमजोरी से या गलती से हजारों बीघा फसल के ऊपर दुष्परिणाम होने की परिस्थिति पैदा कर सकता है।

जब अधिकार देते हैं कि वह समय निर्धारित करे कि किस-किस जगह कितने-कितने समय के लिए पानी बन्द रखा जायगा तो उस पर इस प्रकार का बन्धन लगाया जाना बहुत जरूरी हो जाता है जिससे कि ऐसा निर्णय करने का मौका आये तो वह काफी समय पहले ऐसा निर्णय करे। ऐसा करने से जिस हल्के के लिए वह निर्णय हो उस हल्के के लोगों को बोवाई के पहले ही मालूम हो जाय कि वहाँ उनके हल्के में उस समय के लिए पानी बन्द रहेगा; जिससे खाद बीज और मेहनत के रूप में लोगों की लाखों रुपयों की कमाई के खतरे में पड़ने का मौका न आने दें।

इन्हीं शब्दों के साथ धारा ३२ के सब क्लॉज़ (ए) के बारे में मैंने जो अपना अमेंडमेंट पेश किया है उसे मैं सदन और माननीय मन्त्री की रजामन्दी के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—(a)(i) and (a)(iii), both the amendments you have moved ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Pardon, Sir ?

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member has to move two amendments. I think both of them have been moved ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Both can be taken as moved.

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, श्री व्यास ने दो अमेन्डमेंट्स मूव किये, उनके बारे में कहूँ कि उनमें कोई ओब्जेक्शनेब्ल बात नहीं, किन्तु वे आवश्यक बिल्कुल नहीं।

माननीय सदस्य, ऐसा लगता है, कि इस प्रिजम्पशन को लेकर चलते हैं कि ऑफीसर्स जरूर गलत तरीके से ही काम करेंगे। डिवीज़नल इरिगेशन ऑफीसर की हैसियत के आदमी को यह क्रेडिट देना चाहिए कि वह जो डिसिजन्स लेगा वह इन्टेलिजेन्ट और रीज़नेबल डिसीज़न्स लेगा। उसके डिसिजन लेने से पहले गवर्नमेंट की सेंक्शन होगी और गवर्नमेंट सब बातों को देखेंगी।

यह मानना ठीक नहीं कि अभी एक लॉ में प्रोवाइड नहीं है तो वह ऐसे मौकों पर ही डिसीजन लेगा। यह गलत धारणा होगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस चीज की ऐसी आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिये। इसके अलावा भी जरूरत पर खण्ड ६१ में रूल्स बनाने के पावर रिज़र्व कर लिए हैं और ऐसी आवश्यकता पड़ने पर रूल्स बनाये जा सकते हैं।

दूसरा अमेंडमेंट माननीय श्री भैरोंसिंहजी का है, उसके बारे में यही कहना है कि वे शायद शब्दों के अर्थ को सही रूप में नहीं समझे, वरना यह अमेंडमेंट पेश करने की आवश्यकता नहीं आती। उनका ऐसा खयाल है कि शायद गवर्नमेंट वाटर चैनल्स को प्रोपर स्टेट में नहीं रखेगी और उससे जो लोस होगा उसका इलाज वे करना चाहते हैं।

जहाँ रिपेअर्स की बात है, एब्सेंस ऑफ रिपेअर्स करने के कारण लोस हो। रिपेअर्स करने के कारण, कोई ओपरेशन्स करने के कारण जो टेम्परेरीली फ्लो रुकता हो that will be a temporary stoppage of supply of water. उसकी वजह से पानी के बहाव को रोकना पड़े तो उस समय वह किया जायगा।

रिपेअर्स का मतलब उन्होंने समझ लिया है एब्सेंस ऑफ रिपेअर्स; which it never means.

[श्री टीकाराम पालीवाल]

"No claim shall be made against the State Governmet for compensation in respect of loss caused by the failure or stoppage of the water in an irrigation work by reason of any cause beyond the control of the State Government or of any repairs, alterations or additions to the irrgation work or of any measures taken for regulating the proper flow of water therein, or for maintaining the established course of irrigation which the Divisional Irrigation Officer considers necessary."

इसके पहले जो कुछ काम करना सरकार को जरूरी लगे यानि उसी समय रिपेअर्स करानी हो और उस समय जो पानी रुक जावे उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता।

मैं समझता हूँ कि मैंने जो भाषण दिया है उसको सुनने के बाद माननी सदस्यों को इसके बारे कोई शक नहीं रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि वे अपने एमेंडमेंट्स को वापिस ले लेंगे। मुझे मालूम नहीं कि मेरे इतना कहने पर भी माननीय मित्र श्री एच. के. व्यास अपना एमेंडमेंट वापिस लेंगे या नहीं मगर यह मानते हुए कि इसकी आवश्यकता नहीं है, इस एमेंडमेंट को उन्हें वापिस ले लेना चाहिए। मैं इसको स्वीकार करने से असमर्थ हूँ।

श्री भैरूँसिंह (१६)—I beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

Leave granted.

श्री भैरोंसिंह—I withdraw my amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I also beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

Leave granted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I withdraw.

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 32 be accepted.

Page No.51

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

Clause 32 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 33, Amendment by Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 33:

"Delete Clause 33 and renumber the rest of the clauses accordingly."

माननीय अध्यक्ष, जिस क्लॉज़ पर अभी हम विचार करने जा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद आज जो सरकार कार्यवाही कर रही है उससे पुराने जमाने में कलेक्टिव फाइन नाम की जो प्रथा अंग्रेजों ने इजाद की थी उसकी याद आती है।

श्री अध्यक्ष—Five minutes time for the amendment to be moved and if necessary two minutes time for reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Till yesterday Members took more than 15 minutes......

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member can finish within 5 minutes. Five minutes are too much, Brevity is the soul of wit.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It must be understood on that side also.

श्री अध्यक्ष—It is.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Now, there are hardly four or five amendments to the whole Bill. There would not be any delay.

मैं यह कह रहा था..........

श्री अध्यक्ष—The bill has taken sufficiently longer time than expected.

Page No.52

श्री हरिकृष्ण व्यास—The amendments can be accepted.

श्री अध्यक्ष—Please go on.

श्री हरिकृष्ण व्यास—All right.

श्री अध्यक्ष—Do not encroach upon your own time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह अर्ज कर रहा था माननीय अध्यक्ष कि इस क्लॉज़ के पढ़ने के बाद दो......

Do I move amendments to Clauses 33 and 34 ? and save time ?

श्री अध्यक्ष—If they are so related to each other.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member can move his amendment to Clause 33 which is under consideration.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then I will move amendment to clause 34 also. I will not speak later on, if that is permissible ?

श्री अध्यक्ष—But then there is another amendment moved by Shri Bhairon Singh.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I could not do that. My five minutes can be added to this.

श्री अध्यक्ष—No, no.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस क्लॉज़ के पढ़ते समय वही कलेक्टिव फाइन की प्रथा जो अंग्रेजों ने शुरू की थी उसकी याद आ गई और वह इसलिए याद आ गई कि यहाँ भी ऐसा ही दर्ज किया गया है। इसमें यह दर्ज किया गया है कि यदि किसी की गलती की वजह से या किसी की बगैर इजाजत के पानी इस्तेमाल किया जाने की हालत में यह पता नहीं चल सके कि किसने ऐसा किया तो फिर जिसके खेत में वह पानी गिरा; या तो वह या वे सब लोग कि जिसको उस पानी के पैसे देने का बोझ हो उनसे वह वसूल की जावेगी।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब इस सिल-सिले में वैधानिक दृष्टि से देखा जाय तो मान लीजिये कि एक माइनर चल रहा है और उससे एक खेत में पानी दिया जा रहा है या दो खेतों में पानी दिया जाता है और इस माइनर में रिपेअर्स न होने या माइनर कहीं से टूट गया है और पानी निकला और आस-पास के खेत हैं वहां पहुँच गया और गिरा, चाहे इस पानी की उस खेत वालों को आवश्यकता हो चाहे न हो, मगर माइनर के टूट जाने से वह पानी उनके खेतों में चला गया। चाहे पानी का उपयोग उस खेत में हुआ हो या नहीं, मगर वह पानी जावेगा कहाँ, उन्हीं खेतों में तो जावेगा। अब सरकार ने पता लगाने की कोशिश की, मगर पता नहीं लगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है मगर निर्णय यह हुआ कि या तो जिनके खेतों में पानी बह कर गया वे लोग या उस माइनर से जिन-जिन लोगों को पानी देने का इन्तजाम है वे जितना भी पानी बह कर निकला है उस सारे पानी का पैसा, चार्ज उन लोगों पर किया जावेगा। क्या इसके बारे में उनकी कोई जिम्मेदारी है नहीं है? माइनर की रखवाली के बारे में भी क्या उनकी जिम्मेदारी है या नहीं? मगर पैसा उनसे लिया जावेगा। यह तो ऐसी ही हालत हो गई कि शहर में चोरी नहीं हो, यह चोरी नहीं होने का जिम्मा पुलिस का है और अगर चोरी हो जाती है और पुलिस उस चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहती है तो उस चोरी का सारा का सारा पैसा शहर वालों को देना पड़ेगा। यदि इस प्रकार का कायदा सरकार बनावे तो यह दूसरी बात है मगर इस प्रकार के कायदे बनाने का यह मतलब होगा कि कानून अन्धा है। कानून की निगाहों में दोषी, दोष करने वाले और निर्दोषी में कोई फर्क नहीं है। उस पानी से किसी ने लाभ उठाया है या नहीं उसमें कोई फर्क नहीं होगा। यह मुमकिन है कि माइनर के टूट जाने से ५ खेतों में वह पानी गया है। आप राजस्थान में सबसे सरसब्ज इलाके की हालत को देखकर पता लगावें तो आपको मालूम होगा कि बीसियों बार ऐसी वारदातें होती हैं, माइनर टूट जाते हैं और पानी निकल कर खेतों में और रास्ते पर पड़ा रहता है दो तीन दिन तक और एक तालाब-सा भरा नज़र आता है। यह पानी जिन लोगों के खेत में जा कर पड़ता है उनको उस पानी से बजाय फायदा होने के बड़ी भारी परेशानी होती है। वे लोग तो यह चाहते हैं कि पानी जल्दी से जल्दी सूखे तो वे जमीन का उपयोग कर सकें। लेकिन इस धारा के अनुसार उन लोगों पर जिम्मा आवेगा पानी के चार्जेज देने का, अगर माइनर टूटा है या किसी ने तोड़ दिया है, इसमें सारे इलाके पर बोझ आवेगा। हो सकता है १०-२० गाँवों पर भी इसका बोझ आ जावे। चाहे उस इलाके का माइनर टूट गया हो रिपेअर्स की कमी के कारण या किसी ने जान-बूझ कर तोडने की कोशिश की हो, मगर पता नहीं लगने का नतीजा यह होगा कि सबसे चार्जेज़ लिये जावेंगे।

इसलिये इस प्रकार की धारा को जिसमें जुल्म किया हो या नहीं, जुल्म करने वाला और जुल्म नहीं करने वालें में कोई फर्क नहीं है। किसी ने गलती की है या नहीं, उस पानी से किसी ने फायदा उठाया है या नहीं, फिर भी उनको दंड दिया जाता है। इसलिये इस प्रकार की धारा बिल में रहना गैर वाजिब है और इसको हटा दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ और समय की कमी को ध्यान में रखते हुये मैं अपना एमेन्डमेंट स्तुत करता हूँ और एक शब्द में यह कहना चाहता हूँ : "One good turn deserves another. कभी-कभी आशा नहीं होते हुए भी एमेन्डमेंट विद्ड्रा करना पड़ता है उसी प्रकार कभी कभी-आशा नहीं होते हुए भी सरकार इस एमेन्डमेंट को स्वीकार करने की स्थिति पैदा कर देगी।

श्री भैरूंसिंह (१६)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendmnnt to Clause 33 :—

"Delete Clause 33 aud substitute the following in its place :—

'If water supplied through a water course is used in an unauthorised manner, the person or persons on whose land such water has flowed, shall be liable or jointly liable, as the case may be, to the charges made for such use if the land has derived benefit therefrom,"

माननीय अध्यक्ष, इस क्लाज के दो अंग हैं। पहला तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से इस पानी का इस्तेमाल करे तो उससे उस पानी के बहाने का जितना चार्ज होगा सारा का सारा देना होगा। जहाँ तक पहले अंग का प्रश्न है यह उचित है। यदि कोई आदमी किसी पानी को इस्तेमाल करता है जब कि वह उस पानी को इस्तेमाल करने का अधिकारी नहीं होता है और छुपे हुए रूप से करता है तो इसके लिये यह आवश्यक होना चाहिये कि पेनल्टी के साथ-साथ उससे चार्जेज़ भी वसूल किए जावें।

लेकिन जहाँ तक इस दूसरे अंग का सम्बन्ध है मैंने अपना यह संशोधन रखा है कि उसअंग को इस धारा से हटा दिया जाय। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया था उसी तरह से मैं भी आपके जरिये, माननीय मन्त्रीजी का ध्यान उस पुराने समय की ओर ले जाना चाहता हूँ जिसके लिये माननीय मन्त्री और उनके साथी सब एक साथ यह कहा करते थे कि ये सारी की सारी हरकतें प्रतिक्रियावादियों की हैं। हमारे राजस्थान में पुरानी प्रथा प्रचलित थी और अभी भी कई जगह हैं कि यदि एक गाँव में चोरी हो जाय और खोजियों ने पीछा किया और बदकिस्मती से खोज आगे नहीं चले और एक ऐसे गाँव में आ गये जिसका उससे सम्बन्ध नहीं है, तो उन निर्दोष गाँव के रहने वालों को सामूहिक जुर्माना देना पड़ता है। आज उस जमाने को प्रतिक्रियावादियों का जमाना कहने वाले, उस जमाने को बुरा जमना बताने वालों की सरकार की ओर से यह कानून जब सामने आता है तो यह समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ फिर उत्पन्न हो गई हैं कि उस जमाने का सरकार याद करके उसी प्रकार का कानून विधान सभा में रखे। यदि यह मान लिया जाय कि किसी व्यक्ति ने जान-बूझ कर नाली को तोड़ दिया है और उससे उसने फायदा उठाया है तो यह लाजमी है कि उस व्यक्ति को लाजमी तौर पर सजा मिलनी चाहिए और सजा के साथ-साथ इरिगेशन चार्जेज़ भी उससे वसूल किये जाने चाहिए। किन्तु यदि कोई व्यक्ति, ऐसा हो सकता है, और यदि यह कानून इसी रूप में रहे कि उसने जान-बूझकर उस नाली को तोड़ा है, फायदा उठाने की गरज से नहीं, बल्कि दूसरों को नुक्सान पहुँचाने की वजह से, ताकि उससे पानी बहकर दूसरों के खेतों में जाय, जिससे लोगों की फसल बर्बाद होगी और उनको कलेक्टिव जुर्माना अदा करना पड़ेगा तो चोरी करे कोई और जुर्माना अदा करे कोई और। यदि चोरी करने वाले की अफसरों द्वारा मालूमात नहीं हो सकती है तो वे मालूमात करने की कोशिश करें और सरकार अपने अधिकारियों को आदेश दे, लेकिन यह कभी नहीं होना चाहिए कि सरकार की कमजोरी दूसरों पर मढ़ी जाय। यदि सरकार को जानकारी में नहीं आ सकता है कि फलाँ आदमी ने नुक्सान पहुँचाया किन्तु यह कानून बना देना, चूंकि जिस व्यक्ति ने नुक्सान पहुँचाया

[श्री भैरूंसिंह]

है उसका पता नहीं चला है, अतः जिन तीन-चार खेतों में पानी बह कर चला गया है उनको सामूहिक जुर्माना देना पड़ेगा, एक अन्यायपूर्ण बात होगी। पानी देने के भी दो तरीके हो सकते हैं। फसल यदि पक गई है और उसमें यदि पानी और चला जाय तो फसल को भी नुक्सान होगा और उसके साथ-साथ उसको इरिगेशन चार्जेज भी देना पड़ेगा। परिस्थिति यह भी हो सकती है कि फसल बोई गई हो, उसमें पानी की आवश्यकता हो और पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जान-बूझ कर नाली को तोड़ा गया हो तो उससे अवश्य जुर्माना वसूल किया जाय। किन्तु किसी व्यक्ति ने नुक्सान पहुँचाने की वजह से, यदि कोई चाहे कि उससे उसकी फसल को नुक्सान पहुँचे और फिर जुर्माना भी वसूल हो तो उस व्यक्ति को इस क्लॉज़ के मातहत शरण नहीं मिल सकती है। सरकारी अधिकारी भी इसमें सहयोग देंगे और जुर्माना वसूल करने के लिए तैयार हो जावेंगे। इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि पहला अंग स्वीकार कर लिया जाय और बाकी क्लॉज के दूसरे अंग में मैंने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, पहले संशोधन के बारे में माननीय सदस्य ने भाषण दिया; उससे मुझे ऐसा लगा कि वे इसके स्कोप को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाये हैं। उन्होंने मिसाल दी कि मान लीजिये माइनर बंध टूट गये तो जगह-जगह पानी के तालाब भर जावेंगे, नुक्सान हो जायगा आदि। यह सेक्शन माइनर्स को निश्चित रूप से रेफर नहीं करता है। यह उन वाटर कोर्सेज़, जो छोटे वाटर कोर्सेज़ हैं, जिनको कल्टीवेटर्स बनाते हैं, मेन्टेन करते हैं, थोड़ा पानी बहा कर खेतों में जाता है यानी छोटी चीजों को रेफर करता है और यह बिल्कुल जरूरी है कि जहाँ इस प्रकार वाटर कोर्सेज़ को तोड़ने वालों को मालूम न हो, यदि मालूम हो जाता है तो जुर्माना उसको देना पड़ेगा, पेनाल्टी भी वह देगा। उसके लिए ऐसा क्लॉज़ रहना आवश्यक है, ताकि आस पास के लोग प्रयत्न करें कि किस व्यक्ति ने उसको तोड़ा है, उसको आइडेन्टीफाई करने के लिए यह क्लॉज़ रखा गया है and if they fail they must bear the consequences. सारा बर्डन गवर्नमेंट का है नागरिकों का नहीं है, इस बात को मान कर नहीं चला जा सकता। सरकार का भी कर्तव्य है और नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है। चोर को तलाश करने का, डाकुओं को गिरफ्तार कराने का नागरिकों का भी कर्तव्य है। इससे उनका भी हित होगा। तो इस प्रकार की जिम्मेदारी उन पर रखी जानी चाहिए। अगर ऐसी जिम्मेदारी नहीं रखी जावेगी तो लोग विजीलेन्ट नहीं रहेंगे। सरकार के लिए यह असंभव है कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में जो वाटर कोर्सेज़ हैं उनके लिए चौकी, पहरा लगावे। यह जिम्मेदारी किसानों की है, काश्तकारों की है। जिन्होंने वाटर कोर्सेज़ बनाये हैं, जिनसे जिनके खेतों को पानी जाता है, जिनको जिनसे बेनिफिट होता है उनकी जिम्मेदारी है कि वे चोरी करने वाले का पता लगाये, आइडेन्टीफाई (identsiby) करें। मैं दोनों ही अमेन्डमेन्ट्स को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I reserve this time for Clause 34. I would like te take this time for discussing Clause 34.

श्री अध्यक्ष—No, no.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then I speak now.

श्री अध्यक्ष—If it is necessary to give reply, then reply; otherwise do not reply for only reply's sake

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is only a question of conservation of time. Reply is necessary for both and both are identical. So I give repey to this then.

मेरे माननीय मित्र ने जो बात कही है वह क्लॉज़ की अन्त की लाइन से मेल नहीं खाती है। अगर कोई व्यक्ति जिसने यह कार्य किया है अथवा जिनको इसका फायदा मिला है, आइडेन्टीफाई हो जाने की बात तो दूसरी है, लेकिन "If such person cannot be identified or if such land has not derived that benefit"; या तो आदमी का पता नहीं लगा अथवा जिस जमीन में पानी गया है उसने उसका कोई फायदा नहीं उठाया है। तब क्या करना है ? तो उसके लिए क्लियर है कि बेनिफिट डिराइव (benefit derive,) करने की सूरत में या बगैर बेनिफिट डिराइव किये सामुहिक रूप से पैसा देवे। माननीय मन्त्री ने कहा कि अगर इस प्रकार का कानून नहीं रखेंगे तो चारियों की अधिकता हो जायगी और चोरी से पानी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पहले इतना खतरा उठायेंगे तो उनको दूसरी बातों को भी देखना पड़ेगा। अगर कोई दिमाग से गलत सोचने वाला हो, पागल हो या समझदार न हो तो दूसरी बात है। लेकिन उसका जो बेनिफिट डिराइव करना है उसको देखना पड़ेगा कि उसका बेनिफिट क्या है ? आप कहते हैं कि "Even if such land has not derived any benefit"; अगर पानी बह कर गया है, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है तो फिर मोटिव (motive) किसका क्या हो सकता है ? या तो यह सेबोटेज (sabotage) हो सकता है या नेग्लीजेन्स का नतीजा हो सकता है। अतः इसमें फाइन की व्यवस्था करनी चाहिए और यह भी उन पर करना चाहिए जिसने की भूल की है या जिस पर जिम्मा है।

आप फाइन ओवरसीयर पर कीजिये, डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन ऑफीसर पर कीजिये। इससे भी यदि पूरा नहीं पड़ता है तो आप इरिगेशन मिनिस्टर पर फाइन तय कीजिये; किन्तु आप इन पर एक्शन ले नहीं सकते। आप तो उन बेचारे गरीबों पर जोर डालना चाहते हैं कानून के जरिये कि पता लगाइये कि किसने गोली चलाई। वे बेचारे अपना धन्धा छोड़कर पता लगाने जायेंगे गोली चलने वाले का, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। इस प्रकार की चीजें हम करते रहेंगे तो फिर अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति अपना धन्धा छोड़कर यह काम करेगा। इसलिये मैं अपने अमेन्डमेंट को वापिस लेने को तैयार नहीं हूँ और सदन अपनी राय देकर इसको मन्जूर करे, यही मेरी सदन से प्रार्थना है।

श्री भैरूँसिंह (वि० ८० १६)—माननीय अध्यक्ष, मेरे संशोधन पर जो उत्तर माननीय मन्त्री ने फरमाया कि अगर इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी लोगों पर नहीं रही तो असल मुलरिम का पता नहीं लगा सकेंगे। कुछ डाकुओं का और चोरों का पता लगाने के काम को कर्तव्य बताकर उन

Page No.57

[श्री भैरूंसिंह]

लोगों का कर्तव्य होना चाहिये, वे इस प्रकार के कार्य करने वालों को, पकड़वाने में सरकार का साथ दें; यह जनता का कर्तव्य है; मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। अगर इस प्रकार की कोई हरकतें होती हों और इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाय जो कानून के खिलाफ हो तो उसका पता लगाने का कर्तव्य हर आदमी का है। इस बात को चाहे मन्त्री महोदय कहें या न कहें। जिस व्यक्ति में थोड़ी बहुत भी समझ है वह इस बात को मान कर चलता है। जहाँ पर कानून का उल्लंघन होता हो तो ऐसा करने वालों का पता लगाना हर आदमी का कर्तव्य है। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि इसी प्रकार आप इस जगह भी कर्तव्य को कर्तव्य के रूप में रहने दीजिये, उस पर कानूनी बंधन मत डालिये। अगर हमें किसी ऐसे कर्तव्य को लिगेलाइज करना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे कानूनी बन्धनों से समाज पर बुरा असर तो पड़ने वाला नहीं है। इस बात को निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। इस प्रकार के कर्तव्य को किसी भी हालत में कानूनी रूप में नहीं लाना चाहिये। मन्त्री महोदय को मालूम होगा कि गत वर्ष इस प्रकार की कार्यवाही से सिर्फ गंगानगर डिवीजन में किसानों को २ लाख रुपया फाइन के रूप में देना पड़ा। उन्होंने बारबार शिकायतें की कि हमने नालियां नहीं तोड़ीं। इरिगेशन ऑफिसर ने व उसके कुछ चपरासी-अहलकारों ने मिलकर रिश्वतें लेने की गरज से छोटी छोटी नालियों को तुड़वा दिया। नालियों के तुड़वा देने के बाद में नालियों की मरम्मत करवाने के लिये पैसे नहीं लिये। जब पैसे नहीं मिले तो जुर्माना देना पड़ा, यह जुर्माना केवल गंगानगर इलाके में गत वर्ष दो लाख के करीब सरकार एकत्रित किया। इसलिये मैं फिर से निवेदन करूंगा, माननीय मन्त्री से, कि इस प्रकार का कार्य केवल कर्तव्य ही समझ कर छोड़ देना चाहिये। उस पर आप कानूनी बन्धन न लायें केवल कर्त्तव्य समझ कर छोड़ दें। अगर कर्तव्य को ठीक नहीं करते हैं तो सरकार की ड्युटी है कि इस प्रकार के क्राइम्स को रोकने के लिये सरकार उपाय करे।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amdnement to Clause 33 moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is dropped.

(विराम)

The question is thst the amendment to Clause 33 moved by Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amdndment is lost.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

The question is that Clause 33 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The clause 33 is added to the Bill. Now we come to Clause 34.

There are two amendments to Clause 34. They are identical. I allow one, which is to be moved by Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 34. "Delete Clause 34 and re-number the rest of the clauses accordingly."

अभी-अभी इसी प्रश्न पर अथवा यों कहिये कि संबन्धित प्रश्न पर बहस हो रही थी और उस बहस का निर्णायक नतीजा इस हद तक निकला कि जिससे यह साफ प्रतीत हो गया कि ३४ के क्लॉज की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें यह लिखा है,

"If water supplied through a water course be suffered to run to waste, and if, after inquiry by the Divisional Irrigation Officer, the person through whose act or neglect such water was suffered to run to waste cannot be discovered, all the persons chargeable in respect of the water supplied through such water course shall be jointly liable for the charges made in respect of the water so wasted."

यों तो यह मानी हुई बात है कि पानी सप्लाई दर असल रेगुलर होती है। इस प्रकार यह या तो सिचुएशन की अनभिज्ञता है या एक प्रकार का डिसटोरेटेड आउट लुक सरकार के दिमाग में है। वह इस प्रकार माननीय अध्यक्ष, कि वाटर कोर्स कोई २४ घंटे तो खुला नहीं रहता। उसके लिए समय निश्चित रहता है। उस समय का ध्यान लोग बराबर रखते हैं। कभी कभी तो किसी की बारी रात को चार बजे आती है तो वह बेचारा रात को उठकर अपने खेत के लिए नाले वगैरह जो भी पानी के सोर्स होते हैं उनको ठीक-ठाक रखते हैं ; in utter readiness to receive water वाटर रिलीज़ होता है उस समय के लिए वह किसान बहुत लालायित रहता है और उसको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करता है। तो ऐसी परिस्थिति में "water allowed to run to waste" का सवाल ही पैदा नहीं होता।

अब यह सवाल कब आयगा ? यह सवाल तब आता है जब कि इस वाटर कोर्स से जिन-जिन लोगों को पानी मिलना चाहिये उनको सूचना नहीं दे; या तो अचानक बगैर सूचना के पानी रिलीज़ कर दिया जाय या जहाँ से पानी रिलीज़ करना है उस जगह बगैर किसी के पानी रिलीज़ किए पानी रिलीज़ हो गया। बाँध के टूट जाने से या किसी की नेगलीजेन्स की वजह से तो उसके लिए अगर पता न लगे तो मतलब यह हुआ कि सरकार के मुलाजिमों ने गलती की है। चूंकि वाटर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कोर्स में पानी की सप्लाई करने के लिए किसी न किसी को पानी रिलीज़ करना पड़ता है और जो पानी रिलीज़ करने वाला है या तो उसने बगैर समुचित सूचना के पानी रिलीज किया या उस पर देखभाल नहीं रखी। वगैर रिलीज किये हुए तो पानी रिलीज़ नहीं होगा......

श्री अध्यक्ष—(दो सदस्य सर्व श्री ईश्वरसिंह और सरदारसिंह जब परस्पर बातें कर रहे थे) माननीय सदस्यों को बातें करना हो तो लोबीज़ में चले जायें। The House is nat to be used as lobby.

श्री हरिकृष्ण व्यास (अपना भाषण जारी रखते हुए)— मैं यह कह रहा था माननीय अध्यक्ष, कि जो क्लाज ३४ है वह एक absurd proposition है। इसलिए यह क्लॉज़ न रखा जाना चाहिये। बिजली घर से बिजली सप्लाई होती है, उसको अगर कोई फिजूल खर्च करने लग जाय, यह किस प्रकार मुमकिन हो सकता है। यह तो बिजली सप्लाई करने वाले के हाथ में है कि वह बिजली सप्लाई करेगा ही नहीं तो वह फिजूल बिजली कैसे जला सकता है। अगर बिजली की लाइन चालू नहीं होगी तो अपने यहाँ के स्विच ओन करने से भी कुछ भी नहीं हो सकेगा। यही बात इसी वाटर कोर्स के लिए भी लागू है। वगैर सूचना के तो वाटर कोर्स खोला नहीं जाता; तो फिर वेस्टेज का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह कैसे मुमकिन है ? इस प्रकार के वाटर के वेस्टेज करने वाले की जिम्मेवारी किसी पर नेल डाउन करने की बात फिजूल है। यह क्लॉज ३४ एबसर्ड है, अपने खुद के मुलाजिमों की गलती का पता लगाने के काम को कानूनी मुलम्मा पहनाकर दूसरों पर डालना है।

मेरा खयाल है कि व्यावहारिक तौर पर जिन्होंने इस प्रकार के वाटर सप्लाई को देखा है वह इस काम को अच्छी तरह से जानता है, वही तसदीक करेगा कि यह जो क्लॉज है इसके सिलसिले में जो घटना का जिक्र है वह तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अधिकारी की नेग्लीजेन्स (लापरवाही) न हो। इसलिए इस तरह नेग्लीजेन्स को प्रोत्साहन देने का क्लॉज नहीं रखना चाहिये, इसे हटा दिया जाना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ अपना यह संशोधन पेश करता हूँ।

श्री भैरूँ सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष—Is it very necessary to Speak ? आपको और कुछ कहना है ?

श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)—केवल एक ही पोइन्ट कहना है।

माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन रखा उसके अलावा और बात मुझे सदन के विचारार्थ रखनी है।

[श्री भैरू सिंह]

इस बिल के क्लॉज़ ३३ में यह बताया है कि—

"Or if such land has not derived benefit"

यदि उस जमीन को उस पानी से कोई फायदा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि वह पानी बेकार गया है। तो जब हमने इस प्रकार का क्लॉज ऊपर बना लिया तो मैं देखता हूँ कि उस प्रकार का क्लॉज नीचे और बनाने की जरूरत नहीं है। ऊपर स्पष्ट है कि चाहे जमीन को फायदा हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन नुकसान पहुँचाने वाले को यदि पता न लगा तो सरकार उसी से इस प्रकार के चार्जेज़ वसूल करेगी। फायदा होता तो वह अदा करने के लिए तैयार है, और फायदा न होने की सूरत में यदि सरकार वसूल कर रही है तो बाद में इस प्रकार के क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं रहती। जब बेकार जमीन का ऐसा प्रोवीजन बन चुका है तो दुबारा इस प्रकार के क्लॉज़ को बनाना ठीक नहीं है। "वेस्टेज (wastase)" का मतलब यह है कि किसी प्रकार का फायदा न हो जमीन को और पानी व्यर्थ में चला जावे तो इस क्लॉज़ के जरिये से पानी अगर व्यर्थ में जाता है तो उसका एवजाना देना पड़ता है और क्लॉज़ ३३ के जरिये यह अदा करना पड़ता है। जुरमाना देने का सेन्स एक ही है दोनों Clauses का। इसलिए क्लॉज़ ३४ को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इससे पहले के क्लॉज़ के सम्बन्ध में बहस हो जाने के बाद भी फिर करीब-करीब उसी चीज को उठाया गया। यह कहा गया है कि पानी देने के लिए जो लोग खड़े रहते हैं उनकी वजह से पानी के वेस्ट जाने की सम्भावना ही नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि अगर सम्भावना नहीं होगी व्यर्थ जाने की तो वसूल करने की, भी आवश्यकता नहीं होगी।

यह भी कहा गया कि व्यर्थ पानी बहा देने से किसी को भी लाभ नहीं होगा, तो वह ऐसा करेगा ही क्यों? लेकिन वे भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्वभावतः कि जो कभी कभी गलत काम करते हैं अपने लाभ के लिए, पर दूसरे उससे भी आगे बढ़कर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत काम करते हैं केवल दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए। ऐसे सभी प्रकार के लोगों पर निगाह रखने की जरूरत है। उनको पकड़ने की, उनको कानून के दायरे में लाने की और दण्ड दिलाने की भी जरूरत है।

और ये दोनों ही सेक्शन्स, ऐसे आदमियों को मालूम करके उनको दण्ड दिलवाने की जिम्मेदारी वहाँ के लोगों के जिम्मे करते हैं; उस सम्बन्ध में सीधी-सादी बात यह है। यह टैक्स इसलिए वसूल किया जाता है कि इस तरह से उन लोगों पर जिम्मेदारी रखी जाती है कि वे इस प्रकार की

Page No.61

[श्री टीकाराम पालीवाल]

चेष्टा करें, सावधानी रखें कि इस प्रकार से गलत काम करने वालों को अछूता न निकल जाने दें। अगर वे चेष्टा नहीं करते हैं तो इससे दो बातें जाहिर होती हैं कि या तो वे भी इसके साथ शामिल हैं या जागरूक नहीं हैं, अपने कर्त्तव्य के प्रति। निश्चित रूप से यह कहना उचित नहीं है कि छोटे-छोटे जो वाटर कोर्स हैं उनके पास भी सरकारी ओवरसियर देख-भाल के लिए रखा जावे, या ऐसिस्टेन्ट इन्जीनियर या चौकीदार रखा जावे। अगर वे नहीं रख सकें तो यह सारी जिम्मेदारी सरकार की है, तो यह कहना कतई उचित नहीं है। अगर सरकार चौकीदार न रखे और पानी किसी शरारती द्वारा खराब कर दिया जावे तो या तो इन सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना होना चाहिये या मिनिस्टरों पर जुर्माना होना चाहिए, ये कोरी बहस की बातें हैं, जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। समाज में एक बात नहीं कई बातें ऐसी हैं जिनके लिए जन साधारण की जिम्मेदारी रखी जाती है और यह भी उनमें से एक है। तो कहने का मतलब यह है कि यह बहुत जरूरी है कि इस सैक्शन को इस बिल में रखा जावे। हमने इस पर गहराई से विचार किया है और सारे क्लॉज़ेज़ करीब करीब, जिनमें से एक यह भी शामिल है, पुराने एक्टों के आधार पर बने हैं जो बहुत दिनों से चल रहे हैं। इस स्पष्टीकरण के साथ मैं इन दोनों संशोधनों को मानने में असमर्थ हूँ।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment move by Shri H. K.-Vyas to clause 34 be accepted ?

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question that clause 34 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 34 is added to the Bill.

(विराम)

Shri Bhaironsingh.

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १९)—I don't want to move this amendment, Sir.

श्री अध्यक्ष—The question is that clause 35 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 35 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 36,

(विराम)

The question is that 36 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 36 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 37,

(विराम)

The question is that clause 37 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 37 is added to the Bill.

(विराम)

Clauss 38, 39 and 40.

(विराम)

The question is that clauses 38, 39 and 40 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 38, 39 and 40 are added to the Bill.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 41. Shri Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker Sir, I beg to move the following amendment to clause 41:—

"Delete clause 41 and renumber the rest of the clauses accordingly."

क्लाज ४१ इस बिल का एक अंगभूत क्लॉज़ नहीं है। वह वसूली के सिलसिले में एक ठेकेदारी की प्रथा शुरू करने का क्लॉज है और पहले इसके कि इस क्लॉज को क्यों हटाया जाना चाहिए इसके बारे में कुछ बातें अर्ज करूं मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए सदन को.........

टीकाराम पालीवाल—I think I can save my friend's time, Sir, by accepting this amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Thank you.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House.

(स्वीकृत)

Clause 41 is deleted and rest of the clauses should be renumbered accordingly.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस वसूली की ठेकेदारी तो चलो खत्म हो गई अब राज्य की ठेकेदारी भी खत्म हो जावे।

(७ बजकर १० मिनिट पर श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—Clause 42. Shri Jawan Singh to move his amendment to clause 42. (अनुपस्थित)

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—Shri Jawansingh is absent. But I am prepared to accept his amendment.

(श्री सभापति के खड़े होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, unless an amendment is moved it cannot be accepted. Either it must be moved by the Hon'ble Member or the — —

श्री सभापति—The mover of the Bill accepts it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—So, he has to move it and read it out. We do not know his amendment.

श्री टीकाराम पालीवाल—I beg to move, "That the words 'or Patel' be added after the words 'Lambardar' wherever it occurs."

श्री सभापति—The question is that clause 42, as amended, is added to the Bill.

श्री टीकाराम पालीवाल—I have moved it, but the House must accept it.

श्री सभापति—I will first put the amendment as moved by the Hon'ble Member. The question is that the amendment to clause 42 be accepted. Is it the leave of the House to accept it ?

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Now, the Question is that clause 42, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The clause, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clauses 43, 44, 45 and 46.

(विराम)

There are no amendments to clauses 43, 44, 45 and 46. As such I put the Question. Is it the leave of the House to add these clauses to the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 43, 44, 45 and 46 are, therefore, added to Bill.

(विराम)

Clause 47 is deemed to be moved. Mr. H. K. Vyas to move his amendment to sub-clause (2).

श्री भैरोंसिह (वि० सं० १६)--ओन ए प्वाइन्ट आफ आॅर्डर, सर। माननीय चेयरमेन, क्लॉज ४१ को सदन में स्वीकार नहीं कराया गया कि इसको संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

श्री सभापति—माननीय स्पीकर ने मुझे ऐसा बताया है कि क्लॉज ४१ तक हो चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--Clause 41 has been deleted, Sir.

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)--सदन की स्वीकृति नहीं ली गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ले ली है।

श्री सभापति—जहां तक मुझे मालूम हुआ है सदन की स्वीकृति ले ली गई है। यदि इसमें कोई संदेह हो तो इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री भैरूँसिह—सदन की प्रोसीडिंग्ज़ को देख लिया जाय।

श्री सभापति--इसकी जांच की जा रही है, तब तक क्लॉज़ ४७ ले लिया जाय।

क्लॉज ४७ को move किया हुआ मान लिया जाय। इसके amendment (एमेंडमेंट) को पेश करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir should I move both of my amendments at a time or separately ?

श्री सभापति--Both the amendments may be moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 47, "sub-clause (2), part (1) Line I; "Substitute the word 'two' in place of 'six'."

The second amendment I beg to move is as under :—"sub-clause (2), part (2) Line 1-after the word 'land' insert the words 'half of'."

At the outset Mr. Chairman, I must congratulate the Hon'ble Minister for Irrigation for having atleast once shown the good sense in accepting an amendment moved by me and I wish, Sir, that the same good sense shall continue to prevail while considering his attitude in regard to this amendment also. When I make this submission I am aware that he is the Minister for Finance and may be that, as Minister for Finance, he may not be very well

Page No.66

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

disposed of towards the amendment that I am moving but at the moment he is not the Minister for Finance but Minister for Irrigation. He is piloting a Bill under the portfolio of Irrigation and I am sure he will show the same sagacity as he displayed in relation to clause 41. I would summarize the whole thing on which my amendment stands by saying that we have to touch the question of the amount of charges which should be leviable in respect of any improvements made or any irrigation facilities so provided. According to clause 47, sub-clause (2) a certain standard has been prescribed and that standard runs like this, Sir :—

"Such rate shall be fixed as nearly as possible so as not to exceed either of the following limits." This maximum limit which has been prescribed is the main line of contention in regard to my amendment. In part (1) it has been said that, "Six percent per annum on the first cost of the said works adding thereto the estimated yearly cost of the maintenance and supervision of the same and deducting therefrom the estimated income, if any, derived from the works, excluding the said rate;"

Now, I have moved an amendment for the reduction of six percent to two percent, Sir, and the reasons are like that. In the first place it should be presumed, Sir, that the Government is not a commercial concern. It should also be presumed that the Government cannot, therefore, claim to be treated at par with any other commercial concern. Six percent per annum is the limit provided as reasonable profit by the Government of India, by a Committee appointed by the Government of India in respect of even private undertakings. It should, therefore, stand to reason that in regard to the works which are undertaken by the Government, maintained by the Government and run by the Government the standard to be laid down should at least be less, rather much less than what has been laid down in respect of private concerns. That is the first point. I am in this connection referring to the Committee appointed by the Government of India to go into the question of reasonable profits. That Committee during the course of the year 1952-53 submitted its report which has been accepted by the Government of India and six percent is the figure put in as the reasonable profit for the business concerns in regard to the industry.

My second reason for the moving of an amendment is very substantial and probably it is very directly related to the absurd wordings of the clause. I beg to draw attention of the House to line 2, Sir, which reads, "the estimated yearly cost of the maintenance and supervision of the same, shall be added."

Page No.67

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

I am unable to understand as to the cost of how many years is going to be added. The original cost of a works can be certainly detained, but the cost of yearly maintenance and supervision that can probably for one particular year can be determined; this means as if it is going to be only one year that this determination is necessary. If that is not going to be so how many years, estimated cost of maintenance and supervision deducting therefrom the estimated income shall be added to the original cost of the works ? That would bring us to the question of the total life of the work and something like depreciation, Sir. And the moment we concede the point of the depreciation then, Sir, in regard to the lands and buildings,' I submit that the Government of India and the Income-Tax authorities have also prescribed a certain standard. May I be permitted to draw the attention of the Hon'ble Member to the provisions of the Income-tax Act and the rules made thereunder wherein even in respect of big industrial concerns, factories and other undertakings 2% has been prescribed as depreciation on buildings...... (राज्यपक्ष द्वारा कुछ ध्वनियें) Shall I .....

श्री सभापति—You can carry on the speech and in the meantime I would compliment the Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I would certainly not keep back my compliments because the recepient of the compliments is the Hon'ble Member himself. Therefore, resuming back to my argument and submission, I contend that when even the Income-tax authorities are permitting depreciation upto 2 percent I think it should stand to reason and it would certainly be in the best interest of the Government and the cultivators that the Government should also lay the standard at 2%. It is of course obnoxious to go on adding for years and years irrespective of the total estimated life of the work and the cost of the maintenance and supervision. When I say two percent has to be added that presumes the total life of the work has been definitely estimated. On that basis my first amendment would be that instead of 6% as any of the industrial concern will have it, the Rajasthan Government should satisfy itself only with two percent.

My second amendment is in part (3), Sir, and that is in respect of charges that will be leviable in case of... ....., I am sorry, my amendment is in

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

part (2), wherein the case of agri-cultural land the sum which under the rules then in force for the assessment of land revenue such land might be assessed on the basis of the increase of the annual value or produce thereof caused by the drainage work. Now in this connection my submission is something like this, Sir. What the Government proposes to do is that in the case of agricultural land certain benefits are derived because of the drainage works and whatever the increase in the value of the land to the farmer, out of the total increase, the Government takes an increased revenue. That would be unfair because the farmer who derived benefit participates in the general revenues of the State in two ways. He firstly participates as a tax-payer. Firstly, as the financial source, who gives all the money to the Government to spend for the construction of such irrigation works. Therefore that person has already contributed his might in enabling the Government to construct such works and by being an ordinary tax payer who contributes to the revenues of the State, he has discharged fifty pereent of his obligation. Now, the second part of the obligation comes and that is the obligation of that person as he derives specific benefit. Naturally, therefore, when he has already discharged the fifty percent of his obligation, then in respect of the benefit that accrues to him he should be charged only to the tune of 50% of the increase in value. Now we come to the growth of productivity of land, which,as a result of the introduction of the drainage work or the supply of water started producing more. Then instead of assessing all the increase in value in respect of land revenue only fifty percent should be assessed because in regard to the other fifty percent this farmar, this agriculturist has already contributed his mite by paying to the general revenues of the State. These two are my specific amendments to part (1) and part (2) of sub-clause (2) and the purpose of course is, Sir, to have a more equitable, rational and reasonable system of levying of charges. As the clause stands, Sir, the charges which are supposed to be levied are not only unreasonable but permit me to say they are arbitrary. On the one hand, we are saying that we are maknig all kinds of improvments in the life of the land, on the other hand we claim to be a welfare State. On the one hand we are carrying on propaganda that the cultivators with the money that we spend will derive benefit either by water or through the drainage works constructed. True, if that is the outlook then certainly in respect of certain benefits given to the cultivators the charges should be somewhat less than what is reasonable according to the attitude of the

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ordinary businessman. Even the industrial concerns which do not claim to be welfare persons, even where the propriety of that concern is probably doubtful, even such an industrial concern which has no right nor the courage to say that it is a welfare concern, that charges six percent on the capital value of the concern that has been invested and six percent is the return. Then the world says that the concern is making profits, the world says that the concern is going stout and according to the businessmen it is a running concern. The Government having incurred the expenditure comes forward and says that they are giving them all the benefits but would add to the rate at the rate at which any other concern would give you. Does that behove to the Government? My submission is that it does not. Therefore since one would always like rich people to give more money they should give probobly as an atonement, as far as people of ordinary means are conoerned & would sudmit, Sir that fixing the rate at which it has been done is wrong.

श्री टीकाराम पालीवाल—I think the Speaker has fixed a time limit of five minutes.

श्री सभापति—He has moved two amendments and therefore I gave him ten minutes.

राजा श्री मानसिंह—There is no provision in the rules as regards the time limit during the consideration of the Bill

श्री सभापति—Hon'ble the Speaker has alrerdy fixed a time limit,

राजा श्री मानसिंह—Under what rules, Sir?

श्री सभापति—You may question him when he is in the chair.

राजा श्री मानसिंह—I am questioning the chair.

श्री सभापति—But the Hon'ble Speaker has already given his ruling over it. The Hon' ble Member moving the amendment may continue and finish as early as possible.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I shall resume my sudmission, Sir, and would continue it from the place where it was interrupted.

राजा श्री मानसिंह —On a point off order, Sir, I think the Speaker did not give a ruling but requested the Hon'ble Member to confine himself to the time limit.

श्री सभापति—I do'nt know whether it was a ruling or otherwise, but I was told by the Speaker that five minutes have deen fixed for the moving of an amendment.

राजा श्री मानसिंह—Can the proceedins be examined, Sir?

श्री सभापति—Any way, the Hon'ble Member may continue first and finish as early as possible.

श्री हरिकृष्ण व्यास-What I was submitting was something like this, Sir. It would not behove a State and for that matter to a State which claims to be a welfare State to put itself at par in respect of charges that it levies with any other business concern. My second submission in regard to the State and the rate of charges would be that after all what has the Government to do ? I can at best claim to reimburse the treasury of all the expenditure that has been incurred At best I say because in many cases it may also be necessary for the State to forego part of the money incurred because that is a social contribution made by any other people represented by a State for the welfare of that particular track. For example, to prevent the growth of the desert, to prevent the onward march of the desert certain monies are being spent by all the State Governments as also by the Central Government. (राज्य पक्ष द्वारा बाधा) I am referring to the analogy, Sir. Interruptions like this should cease, Sir.

श्री सभापति—There are no interruptions to the Hon'ble Member at all.

श्री हरिकृष्ण व्यास—So I was making a submission, Sir, that for example in the case of expenditure incurred to prevent the onward march of desert, now Sir, that is a matter which is of concern to the whole country and may be the expenditure has been incurred in a particular area; may be that it is in the Barmer District that we are growing certain trees. It is of course another matter whether the trees grow properly, and if the experiments of the Rajasthan Government generally succeed; but supposing for argumentr's sake that they do succeed it stands to reason that the people of Barmer are benefitted. But the point is that, that has been done for purposes of helping thn people of the entire country. And if that is so, Sir;then naturally it would be most unjust to make those people pay for what has been determined and decided as a social policy, (घंटी) I would finish early, Sir.

Page No.71

राजा श्री मानसिंह—On a point of order, Sir, this imposing of the time limit on the debate and as every bell a symbol, that time is over or is it only a request by the Chair in this particular case ?

श्री सभापति—As already explained I have been told by Hon'ble the Speaker that five minutes have been fixed for the moving of an amendment.

श्री गोपीलाल यादव—क्या आप अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे ?

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—मेरा डिस्क्रिशन इस वक्त काम में नहीं आ सकता जब कि स्पीकर साहब अपना डिस्क्रिशन तय कर गये हैं कि प्रत्येक को ५ मिनिट दिये जायँ।

श्री गोपीलाल यादव—मूवर के लिये डिस्क्रिशन की टाइम लिमिट की बात नहीं। तीन दिन तक बोलना चाहे तो तीन दिन तक का समय देना पड़ता है। जब तक आप बैठे हैं स्पीकर की जगह आप अपना डिस्क्रिशन दे सकते हैं। स्पीकर यदि गलत बात कह गये हों तो उसके माने यह नहीं कि आप उसी पर कायम रहें।

श्री सभापति—मैंने अपना डिस्क्रिशन काम में लिया है। माननीय सदस्य को ५ मिनिट एलॉट किये गये थे, उसकी जगह मैंने १० मिनिट से १२ मिनिट तक दिये हैं।

राजा श्री मानसिंह—Do we understand that in moving amendments to other Bills that may come before the House, we are to confine speeches to 5 minutes ?

श्री सभापति--We will see when they are moved.

Whenever amendments are moved they require a time limit and it will be imposed. The Hon'ble Member may now finish as early as possible.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I will of course obey the order of the chair but I beg to draw the attention of the Hon'ble Chairman to the fact that there is no provision for the imposition of a time limit for the moving of an amendment.

श्री सभापति--I will refer the matter to Hon'ble the Speaker.

राजा श्री मानसिंह—In the meanwhile can the Hon'ble Member continue his speech, Sir ?

श्री सभापति--I have already permitted him.

श्री हरिकृष्ण व्यास—So I was saying, Sir, that what has been done as a part of social policy; what is being done in the interest of the people as a whole by State, though different areas are benefitted by that policy, it would

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

be unreasonable, Sir, to tax immediate recipients of that benefit, as those recipients would be required to pay for something which is a general policy of the State Government.

In the end, Sir, there is a very very important and pertinent point. I think it should be presumed that the Hon'ble Minister for Irrigation should know it. Of courss there is no gain saying the fact that the people are poor. The land which has for years not received any water, the land which has accumulated for years nitrates, the land which has for years not been required to give away these nitrates in the form of vegetation; when that land gets water in the first instance then probably, Sir, there is going to bear abundance of crop. But that lasts for the first few years-say 3 years, or 5 years at the most. During the course of these three-four years all the accumulated nitrogen of that land is already gone and then what would be needed for every crop......(Interruption) My Hon'ble friend is laughing ? Permit me to say that the subject has been introduced and the best thing is to listen and learn rather than laugh. What I am telling are the most scientific principles, that after a few years when the accumulated nitrogen goes away in the form of vegetation then, Sir, for every new crop for everything new that you want that land to grow some natural artificial nitrogen is needed natural nitrogen of course goes away but in the world artificial nitrogen is there to replace it. That is the law of economics and if that law is taken into account then we would be ready to accept the basic proposition. We supplyw ater to an area which for years has not been required to give up nitrogen. Naturally the crop is abnormally good. For the next years it will still he abnormally good. According to this Bill, charges on the land holders are related to these returns These abnormal high returns are made standards of these charges that he would be required to pay. After five years the cost of production is going to increase by the inclusion of cost of fertilizers and the returns are going to be difinitely less than what we called the bumper crop for the first or the second year for that matter. From that point of view it would be unreasonable to charge for the entire increase that resulted from the supply of water and therefore, Sir, on all these grounds I submit that the provisions of the Bill-rather the provisions of the clause are unreasonsble They would certainly not entitle this Government to be called a welfare State but call it managing agency State or a profit earning State. With these words I submit this amendment for the consent of the House, adding that the Hon'ble Member in charge of the Bill will show the same sagacity which he displayed in considering clause 41.

I submit my amendment for the acceptance of the House, Sir.

श्री टीकाराम पालीवाल (सिचाई मन्त्री)—Mr, Speaker, Sir, I am really thankful to the Han'ble Member for the compliments that he made to me. I heard him with all the attention that his learned speech deserved.

All the same I do not intend to inflict as long a speech as my friend has done on this House. I am sorry to disappoint him in his expectations for the kind of segacity that he has expected from me in this respect. It would suffice to say, only that the interest that this Government will have to pay for the investments that are being made on all sorts of irrigation works range from 3% to $4^1/_2$%, and so the proposition of 2% has no relaticn to actual facts or situation. Moreover, the section only prescribes the maximum limit and it should not be taken that the maximum amount will always be realised. It will be open to the Government in view of the particular circumstances of the case to realise anything less. It only says it will go upto that, having set itself to.........

श्री ईश्वरीसिंह—अंग्रेजी में मायनो समझ में नहीं आवे। हिन्दी में बोलनो चाहिये, मोरे समझ में आवे।

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, जब तक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर न रेज़ हो, भाषण में किसी तरह का डिस्टर्बेन्स नहीं होना चाहिये।

राव राजा श्री सरदारसिंह—पोइन्ट ऑफ ऑर्डर में ही तो ये कहते हैं कि हिन्दी में माननीय सदस्य को बोलना चाहिये।

श्री सभापति—हिन्दी में बोलना चाहिये या अंग्रेजी में, यह माननीय सदस्य की मरजी पर है।

राजा श्री मानसिंह—Sir, can the Hon'ble speaker not make it a rule to make a speech in Hindi, Sir?

श्री सभापति—When the Member himself is speaking in English, I am unable to make any request.

राव राजा श्री सरदारसिंह—It is English. I suggest Bengali, Sir.

राजा श्री मानसिंह—I may not be able to speak in Hindi, but I can understand Hindi.

श्री सभापति—On your suggestion I am not going to make any request.

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—I prefer Rajasthani, Sir.

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं स्वयं अंग्रेजी बोलने का शोक नहीं रखता लेकिन धारणा ऐसी चल निकली थी इसलिये बोल गया।

अब इतना ही मुझे कहना बाकी रह गया है कि माननीय सदस्यों ने जितना जो कुछ कहा उस सब को सुना और जो कुछ इस तरीकों से कहते रहे हैं उन सब को जानते हुए और उनके कहने और सदन के समय की तरफ उनके उपदेश को सोचते हुए मैं समझता हूँ कि मुझे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं, सिवाय इसके कि इस शोधन को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ।

श्री सभापति—इस क्लॉज़ के दो संशोधन अंकित किये गये हैं। उनको अलग-अलग लिया जाना ही आवश्यक है। इसलिये मैं क्लॉज़ २ सब क्लॉज़ (१), जिसके संशोधन हैं कि '६' के बजाय '२' रखा गया है वह सदन के सामने उपस्थित करता हूँ। क्या यह सदन को स्वीकार है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Voting before reply, Sir ?

श्री सभापति—I think you did not claim for it; therefore, I had to put it to vote and accordingly I have put it to vote.

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

दूसरा संशोधन इसी क्लॉज़ ४७ के सब क्लॉज़ (२) के दूसरे हिस्से से सम्बन्धित है जिसमें लफ्ज "half of" has to be inserted.

क्या सदन को यह संशोधन स्वीकार है।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४७ बिल का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४७ इस बिल में जोड़े जाने के सम्बन्ध में मत है, अतः क्लॉज़ ४७ इस बिल में जोड़ा गया।

(विराम)

Page No.75

[श्री सभापति]

क्लॉज़ ४८

(विराम)

माननीय सदस्य देखेंगे कि क्लॉज़ ४८ में कुछ डिलीट किये जाने की आवश्यकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लॉज़ ४१ डिलीट हो गया है इसलिये इसमें भी डिलीट करना आवश्यक है।

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir I move that "In line 2 of Clause 48 after the figue 40 the comma (,) and the figure '41' be deleted."

श्री सभापति—क्या सदन को मंत्री महोदय का संशोधन स्वीकृत है।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ४८ इस बिल का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४८ संशोधित रूप में बिल में जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४९। इस क्लॉज़ में कोई संशोधन नहीं है, अतः मैं इसको सदन के मत-प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४९ बिल में जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ५०, श्री व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I beg to move an amendment to Clause 50 that in line two, substitute "three years" in place of "one year" माननीय चेयरमेन, इसमें लोगों को कई बार कठिनाइयें आती हैं। इसलिये जब क्लेम का प्रश्न है तो

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह एक साल की मयाद में समझता हूँ कि कम रहेगी, इसलिये ३ साल की मयाद होनी चाहिये। मैं इस पर ज्यादा कहना आवश्यक नहीं समझता इसलिये मैं इसको प्रस्तुत करता हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत संक्षेप में भाषण देकर अपने भाषण को समाप्त कर दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—When the right is accepted, there is no occasion to say all this.

श्री टीकाराम पालीवाल—मुझे दुःख इस बात का है कि मैं उनके इस प्रश्न को मानने के लिये असमर्थ हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने संक्षेप में भाषण देकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है उसी प्रकार इस एमेंडमेंट को वापिस लेकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दें।

श्री सभापति—प्रश्न यह है......

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेअरमेन, माननीय मंत्री मेरे इस एमेंडमेंट को मानने के लिये तैयार नहीं है तो मैं इसको वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिया जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज ५० बिल में जोड़ा जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५० बिल में जोड़ा गया।

(विराम)

श्री सभापति—क्लॉज ५१, इसके लिये संशोधन है श्री एच. के. व्यास का; वे अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 51 : "Delete the clause 51 and re-number the rest of the clauses accordingly."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैंने मेरे माननीय मित्र के कहने का ख्याल रखने की प्रथा शुरू की, इस उम्मीद से कि यह मामला रेसीप्रोकल है। अब यह मेरे माननीय मित्र के सोचने की बात है कि वे उसको निभायेंगे या नहीं। इसके लिए कोई दलील देना भी आवश्यक नहीं है। इस अमेंडमेंट पर ठोस दलील है और वह यह है कि इस सारे के सारे क्लॉज के जरिये एक विचित्र प्रकार का अधिकार दिया जा रहा है। आप अगर यदि इस क्लॉज़ के ओपरेटिव पार्ट की ओर ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि एक सेन्सस की जा रही है और वह सेन्सस इस बात की की जा रही है कि जैसे राजाओं के जमाने में बेगार नाम की एक प्रथा थी और वह सीधी बेगार मुकर्रर थी कि फलां दिन फलां काम के लिए आना चाहिए। अब राजस्थान सरकार ने उसमें तो थोड़ा संशोधन जरूर किया है और वह किया क्या है कि बेगार को उन्होंने डेलीगेट कर दिया है, सीधी बेगार के बजाय डेलीगेटेड बेगार की प्रथा चालू की जा रही है। जिस इलाके में वर्क्स हों, वहां के लोगों की गणना की जायगी और यह पता लगाया जायगा कि अमुक तारीख के दिन इतने मजदूरों की आवश्यकता है और गणना लगाने के बाद यह नियत किया जायगा कि फलां आदमी इतना लेबर लायगा। इस प्रकार का कानून तो शायद ट्रेड यूनियन एक्ट और दूसरे भारत सरकार के जो कायदे हैं उनका उलंघन करता है और इतना ही नहीं, नीयत का तो यह बिलकुल कचूमर निकाल देता है। एक तरफ हम कहते हैं कि labour should be free; अर्थात् उसको (लेबर को) यह अधिकार होना चाहिये कि अमुक कार्य करे अथवा अमुक कार्य नहीं करे। उस अधिकार को इस कानून के द्वारा छीना जा रहा है और यह कानून लगा कर उन पर बंधन डाला जा रहा है कि तुम मजदूर लाओ। यह आखिर सब किस लिए और क्यों ? इसलिए कि जो सबसे आसान तरीका दुनिया में लेबर प्राप्त करने का जो है उसको उचित तनख्वाह दी जाय। आप अगर आस-पास के इलाकों में, जो तनख्वाह मिलती है उससे दो आना, चार आना अधिक देने को तैयार होंगे तो आपको आवश्यकता से अधिक लेबर मिल सकता है। इसमें कोई शंका और कोई आनाकानी नहीं कर सकता है। लेकिन आप एक और कार्य करने के लिए लोगों को चाहें, लेबर को चाहें और दूसरी ओर जैसा कि इसमें आगे मुकर्रर किया गया है अपनी तबियत से उनको तनख्वाह देना चाहें तो फिर यह मुमकिन है कि दूसरे कार्यों के मुकाबले में, कम तनख्वाह मिलेगी तो लोग आना पसन्द नहीं करेंगे। सरकार जानती है कि कम तनख्वाह देकर काम कराना है और सरकार यह भी जानती है कि ऐसा मौका भी आयगा कि कम तनख्वाह में मजदूर शायद न मिलें इसलिये इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि मजदूर लाने का तुम्हारा कानूनन कर्तव्य है और नहीं लाये तो कानून तोड़ेंगे। इस प्रकार का कायदा फ्युडल कायदा है, सामन्ती कायदा है और यह कायदा १८ वीं सदी का है। लड़ाई के जमाने में जब देश पर हमला हो तो उस जमाने में कॉन्स्क्रिप्शन का कायदा बनता है और वह भी बहुत बड़ी इमरजेन्सी हो तब। सिविलाइज़्ड कंट्रीज़ में कॉन्स्क्रिप्शन (Conscription) के सिवाय मनुष्य के रोजगार की स्वतन्त्रता के अधिकारों पर कोई रोक-थाम नहीं लगाई जाती और न लगाई जानी चाहिए। तो क्या हम यह समझें कि जो वर्क्स हैं इस सीमा तक उनको समझा जाय कि हमला होने पर हर लेबर को कॉन्स्क्रिप्ट करके लाये जाने का अधिकार राज्य को है ? जब हिन्दुस्थान में इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया है तो फिर लेबर को कॉन्स्क्रिप्ट नहीं किया गया है और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

क्या हम यह समझें कि मनुष्य को जो अधिकार दिये गये हैं हमारे संविधान के द्वारा कि वह आजीविका के मामले में स्वतन्त्र रहेगा, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूँगा जो कि एक कानून्दा हैं, गौर करें कि क्या इस क्लॉज़ के जरिये से फ्रीडम ओफ प्रोफेशन (Freedom of profession) के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं ? क्या यह मनुष्य के लिए अनिवार्य नहीं बना रहे हैं कि वह चाहे या न चाहे तब भी उस कार्य के लिए उसको उपस्थित होना पड़ेगा, अमुक कार्य के लिए वह बाधित किया जा रहा है और उसका पालन करना पड़ेगा ? क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं है ? इस महत्वपूर्ण क्लॉज से मुमकिन है कि लेबर की कठिनाइयां बढ़ जांय, और जब संविधान की धाराओं का उलंघन हो रहा है तो यह सारा का सारा कानून ही खटाई में पड़ जाय। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर न्याय की दृष्टि से और कानून की दृष्टि से विचार किया जाय और विचार करने के बाद इस क्लॉज को हटा दिया जाय। यह क्लॉज न्याय की दृष्टि से भी संगत नहीं है और कानून की दृष्टि से भी संविधान की धाराओं का उलंघन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अमेंडमेंट प्रस्तुत करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि इस अमेंडमेंट को मंजूर किया जायगा।

श्री सभापति—दूसरा इस प्रकार का संशोधन श्री चाँदमल मेहता का है।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, इस ५१ वें क्लॉज को डिलीट करने के लिए मैंने अमेंडमेंट भेजा है, जिसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। इस क्लॉज में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी लिस्ट बनाई जाय कि प्रोप्राइटर्स, सब प्रोप्राइटर्स, फार्मर्स उस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं और जो सम्बन्धित बाँध से फायदा उठाते हैं प्रत्येक का जिम्मा होगा कि वे कितने-कितने लेबरर्स सप्लाई करेंगे और यह सारी व्यवस्था उस वक्त के लिए की गई है कि कभी किसी बांध के टूटने का मौका आ जाय, वहां काम करने का मौका आ जाय और उस समय लेबरर्स अवेलेबल न हों। मैं समझता हूँ कि जो व्यवस्था की गई है कार्य जल्दी कराने के लिए व्यवस्था सोची गई है, उसका परिणाम मेरे ख्याल से उलटा होगा। लेबर को मुहैया करने का जहां तक सवाल है एक लिस्ट बनाई जावेगी, किन्तु वास्तव में वे मजदूर नाम मात्र के होंगे, वे काम कर सकेंगे या नहीं यह डाउट की चीज़ है। आगे है कि इतने आदमी देने पड़ेंगे, नहीं देंगे तो सजा होगी, किन्तु वास्तव में यह नहीं देखा गया कि वे उस बांध पर कार्य कर सकेंगे या नहीं।

दूसरी बात यह होगी कि मजदूर नहीं मिले और उस गांव में जिस तरह के मजदूर मिल सके लेना पड़ेगा। उनके (प्रोप्राइटर्स, सब-प्रोप्राइटर्स आदि) के सिर पर भार होगा और जहां गवर्नमेंट एक रुपया, सवा रुपया देती है उन लोगों को जो कि मजदूर मुहैया करेंगे ज्यादा पैसा देकर मजदूरों का इकट्ठा करना पड़ेगा। इतनी सारी बातें होते हुए भी अगर मजदूर न मिले तो आखिर कार यह होगा कि उनको अधिकारियों का कोप-भाजन बनना पड़ेगा, भ्रष्टाचार फैलेगा, उनका छुटकारा नहीं होगा। आगे जाकर यह हो सकता है कि लेबर अवेलेबल पूरा न हुआ; बांध टूट गया, दूसरे लोगों को इससे नुक्सान होगा; आबादी भी बह सकती है, दूसरे खेतों को भी नुकसान हो सकता है।

[श्री चाँदमल मेहता]

इसलिए यह आवश्यक है कि इस तरह का क्लॉज न हो। बांध के होने से कूओं को पानी मिलता है और आम लोग उससे फायदा उठाते हैं किन्तु जब वह टूट जाता है तो कूओं को नुक्सान होता है, कूओं की जमीनों को नुक्सान होता है और आबादी को भी नुक्सान होता है। इसलिए इन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए मेरा निवेदन है कि जहां पर मजदूरों की आवश्यकता हो, वहां पर वे ही मजदूर लिये जांय, जो कि मजदूरी पेशा करते हों, जो सरकारी काम को ज्यादा अच्छी मुस्तैदी से कर सकते हों। आगे चल कर मैंने चर्चा की है कि इसकी आवश्यकता को पूरा कैसे किया जाय? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि इस क्लॉज के सम्बन्ध में जो अमेंडमेंट आया है उस पर वे विचार करें और यह भी सोचें कि जिस मकसद से यह क्लॉज पेश किया गया है उससे उनका मकसद हल होगा या नहीं। मैं मानता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)--सभापति महोदय, वास्तव में गंभीरतापूर्वक मैंने सोचा है इस क्लॉज़ के बारे में और मुझ से भी पहले इस सदन द्वारा बनाई हुई प्रवर समिति ने भी बड़ी गम्भीरतापूर्वक इस पर सोचा है। जिन परिस्थितियों में हमने और जो कार्य हमारे सामने है उसको देखते हुए इस प्रकार के प्रोवीज़न्स का रखना प्रवर समिति को भी जरूरी मालूम हुआ था और मुझे भी जरूरी मालूम पड़ता है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि इस प्रकार के अधिकार साधारणतया आम तौर से काम में लाये जायेंगे। आम तौर से इन अधिकारों का उपयोग नहीं किया जायगा, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इन अधिकारों का उपयोग किया जायगा जब कि नितान्त आवश्यक हो जाय। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था उस समय जब कि इस संशोधन को पेश करते हुए माननीय सदस्य ने बात कही है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, प्रोफेशन के स्वतंत्रता की। आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि वे जहाँ से प्रेरणा लेते हैं उस स्थान में कहीं व्यक्तिगत व प्रोफेशन के स्वतंत्रता जैसी कोई चीज ही नहीं है और इस सदन में आकर वे उपदेश देने लगते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रोफेशन के स्वतंत्रता का। उनके उपदेश की गहराई मैं खुद भी मालूम नहीं कर सका। मैं संकोच नहीं करता इस बात के कहने में कि यह प्रोवीजन सिर्फ इसलिये रखा गया है, कुछ ऐसे तत्व हैं हमारे देश में, चाहे उन लोगों की संख्या थोड़ी ही क्यों न हों, लेकिन वे ऐसे तत्व हैं जो इस बात में लगे रहते हैं कि देश के निर्माणकारी कार्यों में बाधा डाली जाय। दुर्भाग्यवश हमारे देश की साधारण जनता बहुत भोली है जो कई बार लच्छेदार शब्दों के प्रभाव में बह सकती है, खासतौर से उन लोगों की लच्छेदार शाब्दिक प्रभाव में ज्यादा बह जाती है जो खास तौर से इस प्रकार की ट्रेनिंग हासिल किये हुए होते हैं, जिनको खासतौर से ट्रेनिंग मिलती है लोगों को बहकाने की, गलत रास्ते पर डालने की। केवल उन लोगों से रक्षा करने के लिये और काम में कभी बाधा उपस्थित न हो जाय इस दृष्टि से यह प्रोवीजन रखा गया है। आम तौर से सरकार का कोई विचार नहीं कि इस प्रोवीजन को काम में लावे। लेकिन मुझे लगता है कि कल कहीं इसका उपयोग हो जाय, इसकी आशंका उनको हो सकती है और वे जानते होंगे। मैं माननीय सदस्य के इस क्लॉज को डिलीट करने की चिन्ता को सहज ही समझ सकता हूँ। वे क्यों न चिन्तित हों? किन्तु मुझे यह आवश्यक

[श्री टीकाराम पालीवाल]

लगता है। इसके द्वारा जहाँ कहीं इमरजेन्सी हो, देश की रक्षा का प्रश्न हो, आक्रमणकारी से देश की रक्षा करने का सवाल हो; ऐसी हालत में ऐसे अधिकार उपयोगी हो सकते हैं। आज हम सबको हमारे देश के निर्माण कार्य उतनी द्रुत गति से, उतनी चिन्ता से, उतनी जिम्मेदारी से करना है जितनी कि कभी कोई आक्रमण का मुकाबला करने के किए कोई कार्य किया जाता है। आज हमें हमारे देश में थोड़े से समय में बहुत काम करने हैं, इसलिये हमको इन कामों में कभी भी गलत दिशा में, चाहे कोई भी तत्व जो बाहर से प्रेरणा लेते हैं, कोई बाधा न डाल सकें, इसलिये हम अपने पास हथियार रखना चाहते हैं। इसका आम तौर पर उपयोग करने वाले नहीं हैं। इस क्लॉज़ में जो संशोधन रखे गये हैं उनकी चिन्ता को मैं भलीभाँति समझता हूँ और इसको अस्वीकार करता हूँ। या तो वे अपने संशोधन वापिस लेंगे, नहीं तो सदन से प्रार्थना करता हूँ कि वे इसको डिफीट दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमैन, आशा और विश्वास की बात तो जाने दीजिये। इस क्लॉज़ के पक्ष में कोई दलील नहीं दी गई और जब दलील में कोई तथ्य मालूम नहीं होता तो दुनियाँ के अन्दर सब से बड़ी दलील है वह यह है "to be able to hang the dog; give it a bad name"; मुझे उनकी दलील सुनकर बड़ी मुश्किल मालूम हो रही है, क्लॉज़ की जो खामी थी सो तो थी ही किन्तु उसके साथ उनको उसूलों की खामी और प्रेरणाओं की खामी भी दिखाई देने लगी। हमें चाहे कहीं से भी प्रेरणा मिले, परन्तु किसी की प्रेरणा के बारे में उन्हें दिलचस्पी क्यों होने लगी? पहले तो मुख्य मन्त्रीजी को प्रेरणा का पता लगा और अब इरिगेशन मन्त्री महोदय भी इसी नतीजे पर पहुँचे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सही नतीजे पर कोई भी नहीं पहुँच सका। जबकि इस क्लॉज़ को सावधानी से देखने की भी माननीय मन्त्री ने कोशिश नहीं की तो वे कैसे मेरी पार्टी के कार्य-क्रम को पढ़ते। मैं उनको दावे से कह सकता हूँ कि यदि उन्होंने हिन्दुस्तान की कॉम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को पढ़ा होता तो आज वे यह बात, जिसे एक प्रकार से राजनैतिक इल्लिट्रेसी (illiteracy) की बात कह सकते हैं, कभी नहीं कहते। आपने कहा कि हमारी पार्टी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में विश्वास नहीं करती। कहीं शायद उनको किसी सी॰ आई॰ डी॰ की रिपोर्ट का ध्यान आ गया होगा, शायद पुराने सामन्ती जमाने की याद रह गई होगी, उसी को ध्यान में रख कर यह बात कही गई होगी। यदि वे हिन्दुस्तान की कॉम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को पढ़ते तो उनको मालूम होता कि कॉम्युनिस्ट पार्टी न केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की हामी है बल्कि वह धार्मिक आजादी के उसूल को भी मानती है तथा और भी जितने जनता के बन्धनकारी कानून, जो आज की मौजूदा सरकार ने लगाये हैं, उनको अगर हमारी कॉम्युनिस्ट हकूमत हो और अगर हमारा बहुमत हो तो सब से पहले वह यह करेगी इन कानूनों को पोस्टपोन कर देगी। जो भी जनता की स्वतन्त्रता में बन्धन लगाये गये हैं; जैसे नजरबन्दी कानून, प्रेस एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट आदि के जो बन्धन लगाये हैं उन सबको खत्म करेगी, हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिये मौका देगी। जो राजनैतिक इल्लिट्रेसी का परिचय इरिगेशन मन्त्री ने दिया है उसको वे यदि न देते और इस क्लॉज़ के बारे में कुछ दलील देते तो ज्यादा ठीक रहता। जब वे छेड़खानी करते हैं तो मुझे उसका जवाब देने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता।

Page No.81

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उसूल की बात यह है आप इमरजेन्सी के लिये जो प्रोवीजन चाहते हैं तो आप क्लॉज़ ५२ को पढ़ लीजिये। इससे ऐसा पता चलता है कि बिल पेश करने वालों ने बिल को गौर से पढ़ा नहीं मालूम होता, अफसोस तो इस बात का होता है। क्लॉज ५२ में साफ लिखा है कि अगर इमरजेन्सी आ जाय, जिस कार्य से सारे इलाके को खतरा हो तो ऐसी हालत में आदेश दिये जा सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को आदेश दिये जा सकते हैं। भावनाओं के बारे में वे ज्यादा न कहकर मेरी चिन्ता न करते और क्लॉज़ ५२ को पढ़ते तो उनको पता चल जाता कि इस प्रकार के अधिकार तो क्लॉज़ ५२ में दिये गये हैं। मैंने क्लॉज़ ५२ पर भी अमेन्डमेन्ट दिया है, वह जब डिसकस होगा तब मैं इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालूँगा। इमरजेन्सी को आवश्यकता हो तो कुछ न कुछ व्यवस्था करनी ही चाहिये। लेकिन प्रस्तुत क्लॉज़, जिस पर हम बहस कर रहे हैं, इमर्जेन्सी के लिए नहीं है, वह तो डिस्क्रिशन पर छोड़ा है कि जब कभी ऐसी आवश्यकता हो, यह गलत बात है। जब कभी आवश्यकता के लिए मजदूर बुलाना है तो इसके लिए कॉन्सेप्शन (conception) की जरूरत नहीं, कम तनख्वाह पर काम करवाने की जरूरत नहीं। इसलिए सारी जो दलीलें उन्होंने दीं इमर्जेन्सी के आधार पर दीं और वह दलील क्लॉज़ नं० ५२ के लिए लागू होंगी। उस समय मेरा अमेन्डमेन्ट आवेगा तब कोशिश करूँगा यह कहने की।

इसके बाद इधर-उधर की कई बातें कही माननीय मन्त्रीजी ने। यहाँ पर उनका जोर है, बहुमत है उनका, उनके इस जोर पर यह सही है कि सदन इसे पास कर देगा पर विपक्ष की सही भावना की भी आप कद्र करते हैं या नहीं, यह बताना आपका काम है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति—सदन के सामने ५१ वे क्लॉज़ को हटाये जाने का श्री व्यास का संशोधन उपस्थित है। क्या सदन को यह स्वीकार है?

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष के हक में मत है।

कुँ० **श्री जसवन्तसिंह**—Ayes have it, Sir. Ayes की आवज लाउडर है।

श्री सभापति—Do you want Division?

(विभाजन घंटी)

श्री एच० के० व्यास का संशोधन जो खण्ड ५१ को बिल में से हटा दिये जाने के सम्बन्ध में है, सदन के सामने उपस्थित है। क्या यह संशोधन सदन को स्वीकार है।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Page No.82

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्या सदन श्री मेहता को आज्ञा प्रदान करता है।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि खण्ड ५१ बिल में जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ५१ बिल में जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ५२

(विराम)

श्री एच० के० व्यास का इसके सम्बन्ध में एक संशोधन है, वे अपना संशोधन उपस्थित करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक नहीं तीन अमेन्डमेन्ट्स हैं।

श्री सभापति—यानि दो अन्य।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे ही तीनों अमेन्डमेन्ट हैं। तीनों एक साथ रख दूँ, आप एग्री हों तो ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—One by one.

श्री सभापति— You move your amendment to sub-clause 1-sub-para 3.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, क्लॉज ५२ के सब क्लॉज (२) के सब पैरा तीन में मेरा संशोधन इस प्रकार है ?

"Redraft the sub-para as under:—"the said officer may require any person doing labour work in the area to perform duty in the execution of such work."

Page No.83

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अच्छा होता यदि दोनों एक साथ ले लिये जाते। इनमें कनेक्टिंग आइडीयाज़ (ideas) हैं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—No, there are many other amendments. So I have to take sub-clause (1) first.

श्री हरिकृष्ण व्यास—So, I will have to refer to other sub-clauses to explain the purport of my amendment.

श्री सभापति (गुलाबचन्द कासलीवाल)—As you may please,

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब क्लॉज़ जो ५२ है यह एक विशेष इमर्जेन्सी परिस्थिति से सम्बन्ध रखता है और सब क्लॉज़ (१) तीन भागों में बंटा हुआ है। पहला भाग यह है कि यदि डिवीजनल इरिगेशन आॅफीसर को ऐसा महसूस होता हो कि अमुक-अमुक कार्य का कराया जाना और तुरन्त कराया जाना आवश्यक है और यदि वह कार्य नहीं करवाया गया तो बहुत ही गम्भीर स्वरूप का नुकसान होगा और आम लोगों को उससे बहुत बड़ी हानि पहुँचेगी, ऐसा यदि उसको महसूस हो और दूसरा भाग है उसमें यह है कि यदि उस कार्य के लिए सामान्य तरीकों से लेबर जो चाहिये वह उपलब्ध न हो पाये तो उस अफसर को यह अधिकार दिया गया है। मौजूदा सब पैरा तीन में यह कहा गया है कि क्लॉज़ ५१ में जो लिस्ट है उस लिस्ट के मुताबिक लोगों के नाम दर्ज होंगे उसमें। उनमें से किन्हीं लोगों को वह ऐसे आदेश दे सकता है कि अमुक-अमुक कार्य करो।

इसके एवज में माननीय चेयरमेन, मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि उस लिस्ट को तो जाने दो। उस इलाके में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं मजदूर-पेशा लोगों को वह आदेश दे सकता है कि अमुक-अमुक कार्य करो, ऐसी इमर्जेन्सी हो तो। लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी होनी चाहिए और चूंकि उस पर बहस बाद में होगी इसलिए उसकी तफसील में तो मैं नहीं जाऊँगा लेकिन उसके सब क्लाज (३) में, जैसा कि तनख्वाहो का जिक्र है इस प्रकार की विशेष परिस्थिति में आदेश देने का जैसा अधिकार देता है, उसी तरह कुछ बन्धन भी सरकार पर डालना चाहिए कि उस काम को ओवर टाइम वर्क (over time work) समझा जावे और ओवर टाइम वर्क की दुगुनी मजदूरी दी जाती है, पर मेरा वह पूरा अमेन्डमेन्ट बाद में आवेगा इसलिए इसकी तफसील में अभी नहीं जाऊँगा।

मेरे इस संशोधन की मंशा यह है कि क्लॉज़ ५१ की तो आवश्यकता है ही नहीं, पर इसके बाद अगर ऐसी इमर्जेन्सी आवे तो केवल एक बात का अधिकार उसको होना चाहिए और वह यह कि जो मजदूरी का कार्य उस इलाके में करने वाले हैं उनको वह कह दे कि प्राथमिकता इस कार्य को दी जावेगी और ऐसा आदेश मिलने पर ऐसी इमर्जेन्सी में वे बाध्य हों कि वे अमुक-अमुक कार्य करने में सहायता प्रदान करें। तो जो सब क्लॉज़ (१) के सब पैरा (बी) है, मेरे अमेन्डमेन्ट के तरीके से उसका संशोधन हो जाना चाहिए। यह मेरा पहला अमेन्डन्ट है और मैं इसको सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

Page No.84

श्री सभापति—दूसरा एमेण्डमेण्ट है श्री चाँदमल मेहता का।

श्री चाँदमल मेहता—मैं मेरा एमेंडमेंट मूव नहीं करना चाहता हूँ।

श्री समापति—तीसरा एमेंडमेंट है श्री भैरोंसिंह, वि० सं० १६ का।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 52 (1) para 3.,"Delete para 3 and substitute the following in its place :—

" The said officer may require manual labour of any person not incapacitated by reasons of health, age, sex or any other physical disability for the immediate execution of any work. "

माननीय चेयरमेन, जिस समय क्लॉज़ ५१ के ऊपर बहस हो रही थी उस वक्त विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने इस क्लॉज़ को इस बिल से हटाने के बारे में सुझाव रखा और जिस वक्त यह सुझाव रखा गया उसके जवाब में माननीय मन्त्री महोदय ने यह फरमाया कि कई कार्यों की आवश्यकता हो सकती है कि जिसमें यदि सरकार चाहे तो किसी भी डेवलपमेंट के काम में लोगों की मदद ले। इस बात को मैं स्वयं भी जरूरी समझता हूँ लेकिन इस प्रकार की आवश्यकता किसी इमरजेन्सी के वक्त में आये तो सरकार को इस प्रकार के कामों को पूरा करने के लिए यानी जनता का इन कामों के अभाव में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण करने में लोगों की विशेष सहायता ले या लेने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन, मेरा जो संशोधन है वह है क्लाज ५१ में जो सरकार ने अधिकार लिया है : Power to prescribe number of labourers to be supplied by persons benefitted by irrigation works."

क्लाज ५२ में :—

"Procedure for obtaining labour for works urgently required."

कहने का तात्पर्य यह है कि क्लॉज़ेज़ ५१ और ५२, इन दोनों की मन्शा बिल्कुल अलग-अलग है। एक की मन्शा कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स की है तो दूसरे की मन्शा है कि यदि किसी पब्लिक इन्ट्रेस्ट के लिये लोगों की मदद की आवश्यकता पड़े तो सरकार के पास इस प्रकार के अधिकार हों, कि जिस अधिकार के जरिये वह लोगों की मेहनत मजदूरी की आवश्यकता महसूस करे तो उनसे इस प्रकार की सहायता ले सके। पहली क्लॉज़ ५१ में दलील दी गई है कि इस प्रकार के कामों में उन लोगों के लेबर की आवश्यकता हो सकती है, उसका असर क्लॉज़ ५२ पर बिल्कुल नहीं होता है। एक है किसी आदमी को इरिगेशन वर्क्स से फायदे के लिये, तो दूसरा पब्लिक इन्जरी (injury) से बचाने के लिये है। इस प्रकार के काम के लिए लेबर की आवश्यकता हो, तो वह आवश्यकता पूरी की जाय। इस प्रकार मैंने जो अपना संशोधन रखा है कि "not exceeding the number which according to the said list, he is liable to supply."

[श्री भैरूंसिंह]

इसको हटा दें क्यों कि इसका इस क्लॉज़ से कोई संबंध नहीं है। वह लिस्ट बनायेंगें कन्सट्रक्शन आफ वर्क्स के लिए, किसी इरीगेशन वर्क्स की रिपेयर्स कराने के लिए, नये काम बनाने के लिए या उनमें और किसी प्रकार का संशोधन करने के लिये। लेकिन क्लॉज ५२ में इमरजेन्सी के वक्त में पब्लिक इन्जरी हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए लेबर की आवश्यकता हो तो उस वक्त वह सहायता ली जाय। यह दोनों क्लाज़ेज़ अलग-अलग हैं। यह दोनों अलग-अलग होने के कारण लिस्ट के मुताबिक सारा का सारा लेबर प्रोवाइड करें। वह चीज हटनी चाहिए। उसके स्थान पर मैंने संशोधन रखा है " the said officer may require manual labour of any person."

कोई भी आदमी हो। उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा जाय कि नुकसान तो बहुत से लोगों का, सब का, हो लेकिन मेहनत वही करें जो हमेशा से मेहनत करते आये है। नुकशान सबका है बराबर। मजदूर का भी उतना ही नुकसान है और मालदार का भी उतना ही नुकसान है बल्कि मालदार की तो संपत्ति ज्यादा होती है उसको ज्यादा नुकसान होता है। चाहिए तो यह कि जिसका ज्यादा नुकसान हो वह ज्यादा मेहनत करे, लेकिन उसको जाने दिया जाय और इस मापदंड को रखा जाय कि अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार सबको बराबर नुकसान होगा तो यह मानकर चलना चाहिए कि जिन लोगों का नुकासान होने वाला हो वे सभी लोग उस काम में सहयोग दें। कानून भी इस प्रकार का होना चाहिए कि वह किसी विशेष वर्ग की सहायता नहीं ले बल्कि उस इलाके के सब लोगों से सहायता ले और उस सहायता के लेने के लिए यह कानून बना रहे हैं "The said officer may require any person named in such list to furnish as many labourers," (not exceeding the number which according to the said list, he is liable to supply).

जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की सूची सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी कि उसको २० लेबर पेश करना है और उससे ज्यादा का जिम्मा नहीं है तो उससे २० मजदूर पेश कर दिये उसके बाद में वह बिल्कुल फ्री (स्वतन्त्र) है। उसको किसी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिन व्यक्तियों ने उसी प्रकार सूची पेश नहीं की उनको इस प्रकार का कानून पाबन्द नहीं कर सकेगा कि इस प्रकार के लबर में सहयोग दें। इमरजेन्सी केस (emergency case) में इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट को इस प्रकार से लोगों की मदद की आवश्यकता है तो इस प्रकार के कानून को खुल्ला करना पड़ेगा जो किसी एक विशेष वर्ग के लिए न होकर सारे समाज के लिए है, जितने उस जगह के रहने वाले हैं उन सब के लिए है। इसमें इसी प्रकार की नीयत से मैंने अपना संशोधन रखा है कि इमरजेन्सी के समय में जनता के किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए इरिंगेशन ऑफिसर बिना किसी वर्ग विशेष के भेदभाव से सब लोगों से मदद ले। सब लोगों से मदद उसी वक्त ली जा सकती है जब कि पहले वाले पेरा को हटाकर जो मैंने संशोधन रखा है उस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय। माननीय चेयरमेन, इसी आशय से मैंने संशोधन रखा है और उम्मीद है कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करके इसको स्वीकार कर लेंगे।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इसके बारे में क्लॉज़ ५२ बताता है कि स्पेसेफिकली, डेफिनिटली अर्जेन्सी के लिये यह काम आयगा ।

"52 (1) Whenever it appears to a Divisional irrigation Officer duly authorised by the State Government that unless some work is immediately executed, such serious damage will happen to any irrigation or drainage work as to cause sudden and extensive public injury," this refers to clause 51·

"and that the labour necessary for the proper execution thereof cannot be obtaind in the ordinary manner within the time that can be allowed for the execution of such work so as to prevent such injury.

the said officer may require any person named in such list to furnish as many labourers (not exceeding the number which according to the said list, he is liable to supply) as to the said officer seem necessary for the immediate exeation of any work,"

तो इससे मैं समझता हूँ कि अब दोनों माननीय सदस्यों को यह साफ हो गया होगा कि धारा ५१ में जिस लिस्ट का जिक्र किया गया है उसका उपयोग होगा केवल उस समय जब अर्जेन्सी अराइज़ (arise) होगी या जब ऐसा नुक्सान होने वाला होगा जो पब्लिक का नुक्सान है और इस काम को तुरन्त करना चाहिये, क्योंकि समय थोड़ा है और इतने थोड़े समय में ऑर्डिनरी लेबर मुहैया नहीं की जा सकती तब यह लिस्ट काम में आयगी । मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ कह कर they wasted their time and of the House also, मैं समझता हूँ, अब तो उनमें दो रायें नहीं होंगी, सिर्फ थोड़ा- मत-भेद रह गया होगा । माननीय सदस्य बात तो मानते हैं कि इमर्जेन्सी में लेबर तो लेना चाहिये, लेकिन अफसरों को यह राइट होना चाहिये कि अलग-अलग लोगों को कहें कि लेबर देने के लिये आओ । यह केवल प्रोसीजर की बात है । जो बात इसमें रखी गई है वह ज्यादा इफेक्टिव रहेगी इसलिये रखी गई है । लेकिन प्रिन्सिपल तो यही है कि इमर्जेन्सी में समय, of Course on proper payment लेबर लिया जा सकता है । डाइरेक्टली हर आदमी को कहा जाय कि तुम आकर काम करो या चुने हुए कुछ लोगों को, जो ऐसे कामों में इन्ट्रेस्टेड होते हैं, लेबर सप्लाई करने के योग्य हैं, किसी अपने खास प्रभाव की वजह से या और किसी कपेसिटी की वजह से और जो सहयोग दे सकते हैं उनको एप्रोच (approach) किया जाय या सब को एप्रोच किया जाय, यह प्रोसिजर की बात है और जो बात इसमें रखी गई है वह ज्यादा इफेक्टिव है इसलिये रखी गई है, लेकिन प्रिन्सिपल जुदा नहीं है । इसलिये मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य जो दाँता रामगढ़ से आये हैं वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे । दूसरा संशोधन पेमेन्ट के बारे में मूव किया गया है.....

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—सभापति महोदय, क्लॉज़ेज़ ५१व ५२: इन दोनों पर जो संशोधन आये हैं और जो संशोधन बहस करने के लिए, माननीय सदस्यों ने बहस की उसको सुनकर मुझे बहुत बड़ी निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई कि मेरी यह धारणा थी कि इस सदन में कुछ माननीय सदस्य तो ऐसे हैं जो वास्तव में चीजों का अध्ययन करते हैं, लेकिन मुझे यह लगा कि उन्होंने जितना जो कुछ कहा वह दोनों सेकशन्स को, क्लॉज़ेज को, भली-भाँति समझे बिना कह डाला।

यह कहा गया कि क्लॉज ५२ में इमरजेन्सी के लिए करना है इसलिए वह कुछ भिन्न चीज है और उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है और माननीय सदस्य जो जोधपुर के दूसरे पार्ट से आने वाले हैं उन्होंने इसलिए उसको डिलीट करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने क्लॉज़ ५१ को डिलीट करने के लिए इसलिए कहा कि वह आवश्यक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं है।

यह दोनों क्लॉज़ेज़ इन्टर रिलेटेड हैं। फिर दुबारा साफ तौर से पढ़िये। क्लॉज ५१ में सिर्फ "Power to prescribe number of labourers to be supplied by persons benefitted by irrigation works" है और क्लॉज़ ५२ में वे ही आते हैं जो कि सिर्फ इमरजेन्सी के ही मायने में आते हैं। उस चीज को भूल गये, ५१ की बहस क भूल गये। फिर दुबारा दोनों को पढ़कर सुनाता हूँ माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए। क्लॉज़ ५१ यह है—

"51 (1) : In any district in which an irrigation or drainage work is constructed, maintained or projected by the State Government, the State Government may, if it thinks fit, direct the Collector—

(a) to ascertain the proprietors, sub-proprietors or farmers, whose villages or estates are or will be, in the judgment of the Collector benefitted by such irrigation or drainage work, and.

(b) to set down in a list, having due regard to the circumstances of the district and of the several proprietors, sub-proprietors, or farmers, the number of labourers which shall be furnished by any of the said persons, jointly or severally, from any such village or estate, for employment on any such irrigation or drainage work when required as hereinafter provided.

(2) The Collector may, from time to time, add to or alter such list or any part thereof."

इन शब्दों पर बल दिया दोनों ही माननीय सदस्यों ने पढ़ती दफा। क्लॉज़ ५१ में इस लिस्ट के बारे में बताया गया है। लिस्ट की कब जरूरत पड़ेगी और किस काम में आयेग

Page No.88

एक माननीय सदस्य—वह इसमें नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अच्छा, वह बाद में आयगा। जहाँ तक प्रिन्सिपल का ताल्लुक है, इतना पढ़ने के बाद मैं उनसे विश्वास करता हूँ कि वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे। पता नहीं, दूसरे सदस्य जो जोधपुर से आये हैं वे इतना समझाने के बाद भी समझेंगे या नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि पहले समझ में नहीं आया था और अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मुझे खुशी है कि मेरे माननीय मित्र, मन्त्रीजी के भी अब यह पूरी तरह से समझ में आ गया। इमर्जेन्सी के समय कार्य कराने में मतभेद नहीं है, लेकिन मतभेद इस बात का है कि लेबर उपलब्ध किसी दूसरे के जरिए से क्यों की जाय? हमारा मतलब यह है कि लेबरर्स के पास सीधा ही क्यों न अप्रोच किया जाय? यह बात आपके दिमाग में तनिक भी समझ में नहीं आई है। सम एण्ड सब्सटेन्स (sum and substance) यह है कि whether double payment is going to be intensive for the recruitment of the labour or in the alternative the element of force for the method of recruiting the people is to be utilized.

क्लाज़ ५१ के जरिए आप लिस्ट बना रहे हैं किस लिए? इसलिए कि ऐन मौके पर कौन काम करने आवेगा और किस-किस के पास दौड़ते फिरेंगे? आप उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ के लोग बेकार बैठे हैं और दरवाजे दरवाजे पर घूमते हैं कि काम दीजिए। इस मुल्क में मन्त्रीजी कहते हैं कि हमको आदमी काम करने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि केवल एक ही आदमी नहीं मिलेगा बल्कि १ की जगह ५० आदमी दौड़कर आयेंगे, लेकिन तब जब कि उनको मजदूरी का पूरा पैसा मिलेगा। आपको इस काम के लिए दुगुना पैसा देना होगा। यदि आप मार्केट रेट से दुगना पैसा देने को तैयार हैं तो सेन्सिबल (sensible) आदमी को काम करने के लिए आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और आपको १० की जगह ५० आदमी आसानी से मिल जायेंगे। लेकिन मन्त्रीजी इस बात को टाल रहे हैं। वे कहते हैं कि इस बात को हम मानते हैं कि इमर्जेन्सी के समय लेबर लेनी चाहिए। झगड़ा प्रिन्सिपल (सिद्धान्त) का नहीं है प्रोसिजर (प्रक्रिया) का है। मैं कहता हूँ कि झगड़ा केवल प्रोसीजर का नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि आप पूरा पैसा नहीं देना चाहते और यह काम कानून के जरिए कराना चाहते हैं। अमेन्डमेंट पहले तय हो जाय तो बाकी आप से आप तय हो जायेंगे। भाग ३ को मानने के लिए तैयार हैं तो वे बाकी सबको मानने के लिए तैयार हो जायेंगे। हो सकता है कि उनकी हिचकिचाहट यह हो कि वे किसी को पूरा पैसा नहीं देना चाहते। धारा ५२ में लिस्ट की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आप डबल पेमेंट (double payment) देने के लिए तैयार हों। क्योंकि यह बाद में कहने का विषय है इसलिए मैं यह बात बाद में कहूँगा।

श्री भैरूँ सिंह (वि० सं० १६)—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्योंकि दोनों संशोधनों की शब्दावली पृथक-पृथक हैं अतएव पहले श्री एच. के. व्यास का संशोधन सदन के सामने उपस्थित किया जाता है। क्या सदन इसे स्वीकार करता है?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या श्री भैरूँ सिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जावे?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री भैरूं सिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—संशोधन वापिस लिया गया।

(विराम)

क्लॉज ५२ का सब क्लॉज (१) सदन के सामने उपस्थित है। क्या यह विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५२ का सब क्लाज (१) बिल में जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ५२ का दूसरा क्लॉज। श्री एच. के. व्यास इस पर अपना संशोधन उपस्थित करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, बगैर किसी दलील के "sub clause (2) हटा दिया जाय" इस प्रकार का मैं अपना संशोधन सदन के सामने पेश करता हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)— माननीय अध्यक्ष, मैं इस सुधार का विरोध करता हूँ।

(हंसी)

श्री सभापति—क्या सदन को श्री व्यास का संशोधन स्वीकार है।

(अस्वीकृत)

संशोधन नामंजूर हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५२ का सब क्लाज़ (२) बिल में जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विराम)

खण्ड ५२ के सब क्लॉज (३) पर श्री एच. के. व्यास और श्री चाँदमल मेहता के संशोधन हैं। श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ५२ के सब क्लाज (३) में जो मेरा संशोधन है वह इस प्रकार है:—

Line three में जो शब्द "exceed the" को हटा दिया जाय और उसके स्थान पर "be double" शब्द रख दिये जाँय।

इस प्रकार अमेंड किया जाय तो वह इस ढंग से पढ़ा जायगा :

"52 (3)—The State Government shall fix, and may from time to time after the rates to be paid to any such labourers; provided that such rates shall **be double** the highest rates for the time being paid in the neighbourhood for similar work........"

फिर आगे जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लॉज़ ५१ और ५२ पर काफी देर से बहस चल रही थी। उस बहस की जड़ इसी अमेंडमेंट में पाई जायगी। वह इस प्रकार है। मैं एक और भी अत्यन्त आवश्यक कार्य की एनेलोजी में इस अमेंडमेंट पर जोर दूँगा।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बिजलीघर, रेल्वे समाज के लिये आवश्यक एसेंशियल सर्विसेज हैं। उन्हें चौबीसों घंटे चलाना आवश्यक है। उनमें रिपेयर (repair) का या और कोई मौका आता है तो वहां के काम करने वालों को, मजदूरों को नियत समय से ज्यादा काम करना आवश्यक पड़ जाता है। फैक्ट्री एक्ट में इसकी व्यवस्था की गई है कि यदि आवश्यक हो तो अवधि के घंटों से ज्यादा सबसे काम ले लिया जाय। साथ ही यह दर्ज है कि उस विशेष आवश्यकता को मद्दे नजर रखते हुए जो काम लिया जायगा, उसका एवजाना दुगुने हिसाब से दिया जायगा। तो उसूलन में कहूँगा कि मेरी इस बात को फैक्ट्री एक्ट में मान लिया गया है कि ज्यादा काम कराया जाय तो उससे दुगुनी तनख्वाह दी जाय। जब हम यह कहते हैं कि इमर्जेंसी आ गई, सब को कार्य करना आवश्यक है तो जो कार्य करने के लिये आगे आयें और इतना बड़ा काम करें, उसके पैसे देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो? शायद उन लोगों के पास कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको तोड़ कर उन्हें आना पड़ा हो, दूसरी जगह काम करते हों, उसको छोड़ कर आना पड़ा हो। समाज का बंधन व्यक्ति पर हो तो समाज की जिम्मेदारी भी व्यक्ति के प्रति है। सारे समाज के हित के लिये उसे काम करना पड़ेगा जो समाज उसे कहेगा। तो समाज का यह भी फर्ज है कि वापिस उसको न्यायपूर्ण ढंग से कहे कि तुमने समाज की सेवा की है, इसलिये तुम्हें दुगुना पैसा दिया जायगा।

मेरा ख्याल है कि खण्ड ५१ व ५२ से उनको विरोध नहीं था, जैसा कि उन्होंने कुछ देर पहले कहा था। बिजली तथा और दूसरी फैक्ट्रीज़ में जो कायदे आप लागू करते हैं वही यहां पर भी लागू कर दें तो सारी कोन्ट्रोवर्सीज़ (Controversies) मिट जायेगी। डबल पेमेंट का इस क्लॉज़ में प्रोविजन होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना अमेंडमेंट पेश करता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 52 (3) :—

"Delete the words, 'provided that such rates shall exceed the highest rates for the time being paid in the neighbourhood' and substitute as under :—

'provided that such rates shall be one and half times in the day and double in the night of the highest rates for the time being paid in the neignbourhood.'

माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज में मजदूरी देने की जो व्यवस्था की गई है उसमें बताया गया है कि जो हाई रेट्स उस आस-पास के क्षेत्र में होंगी वह दी जायंगी। जब इमर्जेंसी पैदा होती है और जबरन मजदूर लाये जाते हैं, उन लोगों से जो प्रोप्राइटर हों, सब-प्रोप्राइटर हों, फार्मर हों, उनके जरिये लाये जाते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि उन्हें माकूल मजदूरी दी जाय और जब उनसे मजदूरी ली जाती है उस समय आवश्यकताओं को देखते हुए अगर उस बन्ध को खतरा हो, तो उनसे रात-दिन काम लेने का मौका भी आ सकता है और इस तरह उनसे रात में जबर्दस्ती मजदूरी लेने का मौका आ जाय तो उनको मजदूरी भी ज्यादा देना जरूरी हो जाता है।

[श्री चाँदमल मेहता]

इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि उन लोगों को वैसी सूरत में दिन में ड्योढ़ी और रात में दुगुनी मजदूरी दी जाय।

मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री इस पर विचार करके इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि यह सब-क्लॉज असल में सारे झगड़े की जड़ है। झगड़े की जड़ तो असल में वह दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण की भिन्नता है, जिससे माननीय सदस्य और उस पक्ष में बैठे लोग राष्ट्रीय हित के साधनों को देखते हैं।

यह सुझाव रखा गया है कि जो भविष्य में कुछ देने का सुझाव इस क्लॉज में है वह पर्याप्त नहीं है, ड्योढ़ा अवश्य होना चाहिये। मेरा कहना यह है कि जिन परिस्थितियों के लिये यह कानून लागू किया जा रहा है उन परिस्थितियों को भली प्रकार सोचें और राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय कर्त्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी को सामने रखें। मैं यह कहूँगा कि जो पारिश्रमिक इस कानून में दिया जा रहा है उसकी भी आवश्यकता नहीं है।

मैं फिर माननीय सदस्यों का ध्यान इस क्लॉज के पहले हिस्से की ओर ले जाना चाहूँगा : "Whenever it appears to a Divisional Irrigation Officer duly authorised by the State Government that unless some work is immediately executed, such serious damage will happen to any irrigation or drainage work as to cause sudden and extensive public injury;" and not any individual injury. सभी देशों में सिंचाई के बड़े साधन जैसे बांध, केनल्स आदि राष्ट्रीय सम्पत्ति मानी जाती है और जो राष्ट्र के हित के मुख्य साधन माने जाते हैं उनको कोई अचानक हानि का अवसर आवे तो वह अवसर राष्ट्र की हानि का अवसर होता है। ऐसे अवसर पर लोगों का कर्त्तव्य राष्ट्र को हानि से बचाने का हो जाता है। उनको चाहिये कि राष्ट्र की मदद करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां जब कभी ऐसा अवसर आता है तो लोग यह सोचते हैं कि बहुत अच्छा मौका उनके हाथ लगा, इस अवसर पर तो उन्हें दुगुने पैसे लेने चाहिये। यदि हम इस प्रकार से सोचेंगे तो हमारा क्या नैतिक स्तर होगा? हम अपने देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। हम अपने नैतिक स्तर को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है। एक डाक्टर है जिसका कर्तव्य मरीजों की सेवा-सुश्रुषा करने का है और ऑपरेशन आदि करने का साधारणतया उसका कर्त्तव्य है, इसके अलावा मकान पर जाने का साधारणतया उसका शुल्क निर्धारित है। यदि उसके पास कोई पेशेन्ट आवे और वह यह देखे की मरीज की स्थिति गम्भीर है, इससे साधारण शुल्क नहीं लेना चाहिये, इससे तो ज्यादा लेना चाहिये, इसको तो लूट लेना चाहिये तो क्या यह आम जनता की नैतिक भावना के लिये रिवोल्यूशनरी नहीं होगा? जब राष्ट्र के हित का सवाल आता है तो आप कहते हैं और चाहते हैं कि दुगुना, तिगुना व चौगुना रुपया मजदूरों को दिया जावे। आज जितना चाहे मांग कर सकते हैं क्योंकि जब कोई नैतिक

[श्री टीकाराम पालीवाल]

सीमा ही जहां नहीं तो फिर दुगुना, चौगुना, आठगुना, दस गुना भी मांगा जावे तो भी मैं समझता हूँ कि कम है। मैं समझता हूँ कि यह कोई स्थिति को सोचने का आधार नहीं है।

अभी दूसरी बात यह कही गई कि जब ऐसा काम पड़ता है तो ऐसे लोगों को जो काम करना नहीं जानते उनको भी काम करने के लिये प्रोप्राइटर, सब प्रोप्राइटर जबर्दस्ती पकड़ कर ले जाते हैं और उनसे वह काम कराते हैं जिसको उन्होंने कभी नहीं किया है। इसके अलावा यह कहा जाता है कि प्राइवेट फैक्ट्री और दूसरे कारखानों में जब ओवर टाइम वर्क (over time work) लिया जाता है तो उसमें अधिक पेमेन्ट किया जाता है। मैं यह कहूँगा कि ओवर टाइम में अधिक पेमेन्ट की आवश्यकता है और वह इसलिये कि लोग साधारणतया जो काम करते हैं उससे ज्यादा उन पर असर पड़ता है इसलिये ज्यादा पेमेन्ट दिया जाता है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि यह साधारण स्थिति नहीं है। यह तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पब्लिक के सब लोगों को चाहिये तो यह कि वे अपना सहयोग दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब पब्लिक के लोगों को नहीं कहा जाता है कि वे काम करें। इसके लिये कहा जाता है प्रोप्राइटरों और सब प्रोप्राइटरों और फार्मरों को, जिनके गांव और भूमि को इससे फायदा होने वाला है। उनसे कहा जाता है कि इस कार्य से तुम्हारे गांव में फायदा होने वाला है, काम करो। जो काम करने वाले हैं उन्हीं को कहा जाता है कि वे सामुहिक हित के लिये व अपने ही स्वयं के हित के लिये विशेष परिस्थिति में काम करें। परिस्थितियें ऐसी होती हैं और उन परिस्थितियों में यह सोचना कि डयोढ़ा दिया जावे या दुगुना मांगा जावे, यह तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। मेरा यह ख्याल है कि इन सारे संशोधनों की बस एक ही भावना है और वह भावना जो मुझे दिखाई देती है वह यह कि भले कामों में जितनी डिले (delay) की जा सके, की जावे। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई भावना इन संशोधनों के पीछे मुझे दिखाई नहीं देती। मैं निवेदन करूँगा कि उस नेबरहुड (neighbourhood) में जो मजदूरी आम तौर से लोगों को मिलती है उससे अधिक दी जाने की बात यहां प्रोवाइड की हुई है, जो अपने आप में बहुत काफी है प्रोप्राइटर्स, सब प्रोप्राइटरों आदि से कहा जाता है कि वे लेबर लावें और वे ऐसे आदमी को पकड़ लाते हैं जो काम नहीं कर सकते, यह कहा जाता है। यह अनहोनी बात नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे मजबूरी करके लावेंगे। यह तो कलेक्टर का कर्त्तव्य है और कलेक्टर वहां कि स्थिति को देखकर और काम को देखकर मजदूरों की संख्या कायम करेगा और फिर प्रोप्राइटर और सब प्रोप्राइटर यह देखेंगे कि किसान के स्वयं के परिवार में कितने लोग हैं या आमतौर से कितने पर्मानेन्ट आदमियों को वहाँ रहना जरूरी है। प्रोप्राइटर और सब प्रोप्राइटर आमतौर से उन्हीं लोगों को लाते हैं जो उनके रोजाना काम करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी हालत में उनको वही काम करना पड़ता है जो साधारणतया करना पड़ता है और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। वे एक काम को छोड़कर दूसरा काम करते हैं और वह काम सामूहिक हित का है; वे एक काम को छोड़कर सामूहिक हित के लिये काम करेंगे जिसमें स्वयं उनका भी हित निहित है। ऐसी हालत में मुझे खेद है कि मैं दोनों संशोधनों को मानने में असमर्थ हूँ और सदन से यह प्रार्थना करूँगा कि वे दोनों संशोधनों को अस्वीकार करके जो मूल क्लॉज है उसको ही स्वीकार करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय चेयरमेन, माननीय मंत्री का गलत ख्याल है कि हम बिल को पास कराने में कोई देर करने के लिये ऐसा कर रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी हमारी मन्शा नहीं है। तो यह दृष्टिकोण का झगड़ा है कि ज्यादा देना चाहिये या कम; अड़ंगे बाजी से कोई फायदा नहीं। इसलिये मैं एक शब्द इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ।

श्री सभापति—The Hon'ble Member is well aware that the time is up.

श्री हरिकृष्ण व्यास—आधा मिनट।

केवल आधा मिनट कहूँगा। हम और वे सब लोग जो यहां बैठे हैं काम करने के लिये ही बैठे हुए हैं। लेकिन वे लोग कहते हैं कि हम तो काम सम्भालने वाले हैं। जो एम्पलोईज (employees) हैं उनके नीचे काम करने वाले सारे एम्पलोईज हैं, जो राज्य के लिये काम करते हैं। जो सरकार के लिये काम करते हैं वे काम करें और पैसा न मांगे, यह तो उचित नहीं हो सकता। आप यदि शिक्षकों को कहें कि ३५) रुपये ले लो और काम करो। जब उनका गुजर ही नहीं होता तो कैसे काम करेंगे? काम कराने के लिये यह शोभा की बात नहीं कि पैसा न दें। काम कराने वाले के लिये तो शोभा की बात यह है कि वह काम करने वालों से कहें कि पैसा पहले लो और काम बाद में शुरू करो। मैं समझता हूँ कि यह दृष्टिकोण अच्छा है। मैं इन शब्दों के साथ ही साथ अपने संशोधन व वापिस लेने की अनुमति भी चाहता हूँ।

श्री चाँदमल मेहता--माननीय चेयरमेन, माननीय मंत्रीजी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उससे मुझे ऐतराज है और उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। उनके दिमाग में यह बात है कि हम लोग जो बातें यहां कहते हैं वे वक्त जाया करने के लिये और काम में डिले करने के लिये कहते हैं। यदि यहां पर सब बातें कामों को डिले करने के लिये ही की जाती है तो वे ऐसी व्यवस्था ही क्यों रखें? खुद ही कानून पास कर दें, ताकि देरी होने का मौका ही नहीं आवे। यहां तो जिसके दिमाग में वाजिब चीज जंचेगी वह कहेगा। मेरे ख्याल से देरी करने की नियत से ये बातें नहीं कही जाती हैं।

जहां तक दूसरी उनकी तकरीर का सम्बन्ध है मैं यह कहूँगा कि उन्होंने इसके लिये देश-सेवा की भावना का जिक्र किया। मैं यह निवेदन करूँगा कि मजदूरों को रुपया, डेढ़ रुपया जो मिलने वाला है उससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। उसके बजाय बड़े-बड़े अधिकारियों को, जिनको ५००) रु०, १०००) रु० दिये जाते हैं और उनको नौकर भी दिये जाते हैं उसमें कुछ सुधार किया जावे तो देश का ज्यादा फायदा होगा। ("हियर, हियर" और "सच्ची-सच्ची सुना रहे हैं" की आवाजें विरोधी पक्ष की ओर से) क्या उनका यह मजदूरों के लिये भाषण काफी है? खैर, कोई बात नहीं; यदि माननीय मंत्री एमेंडमेंट को स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

Page No.95

श्री सभापति—चूँकि दोनों संशोधनों को वापिस लेने की अनुमति चाही गई है इसलिये क्या सदन उन्हें स्वीकृति देता है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं भी अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति—दोनों संशोधन वापिस ले लिये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५२ का सब क्लॉज (३) बिल में जोड़ा जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड ५२ का सब क्लॉज (३) बिल में जोड़ा गया ।

(विराम)

श्री जवानसिंह सदन में उपस्थित नहीं हैं, अतः उनका संशोधन अपने आप रद्द जाता है । अतः प्रश्न यह है कि क्या क्लॉज ५२ को बिल में जोड़ा जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ५२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

('समय हो गया है' ऐसी सदन में आवाज)

क्लॉज ५३, ५४ तथा ५५.

(विराम)

क्लॉजेज़ ५३, ५४ और ५५ में कोई संशोधन नहीं है, अतः इन तीनों को एक साथ लिया जाता है । प्रश्न यह है कि खण्ड ५३, ५४ और ५५ को बिल में जोड़ा जाय ?

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

खण्ड ५३, ५४ व ५५ बिल में जोड़े गये।

(विराम)

क्या खण्ड ५६ तथा उससे आगे कल लिया जावे ?

(विराम)

कुछ ही मिनिट में यह बिल पूरा हो सकता है; अतएव खण्ड ५६ लिया जाता है। खण्ड ५६ के सब क्लॉज (६) में श्री एच० के० व्यास का संशोधन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति—खण्ड ५६ के सब क्लॉज़ (६) में संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रश्न यह है कि क्या खण्ड ५६ को बिल में जोड़ा जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ५६ बिल का अंग स्वीकृत हुआ।

(विराम)

खण्ड ५७ व ५८.

(विराम)

खण्ड ५७ और ५८ में कोई संशोधन नहीं हैं, इसलिए प्रश्न यह है कि क्या इनको बिल में जोड़ा जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ५७ और ५८ बिल में जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड ५९.

(विराम)

खण्ड ५९ में श्री एच० के० व्यास का संशोधन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति—चूँकि श्री एच० के० व्यास अपने संशोधन को प्रस्तुत नहीं करना चाहते; अतएव प्रश्न यह है कि खण्ड ५६ बिल में जोड़ा जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ५६ बिल में जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ६० में श्री जवानसिंह का संशोधन है।

(विराम)

चूँकि वे सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

प्रश्न यह है कि खण्ड ६० बिल में जोड़ा जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ६० बिल में जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ६१ में श्री जवानसिंह का संशोधन है।

(विराम)

चूँकि वे सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

प्रश्न यह है कि क्या खण्ड ६१ बिल में जोड़ा जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ६१ बिल में जोड़ा गया।

(विराम)

इसके प्रिएम्बल, टाइटल और क्लॉज १ और २ पर विचार सदन की आगामी बैठक में किया जावे या अभी ?

(विराम)

[श्री सभापति]

चूँकि सिर्फ एक ही संशोधन क्लॉज १ में है अतएव मैं उचित समझता हूँ कि क्लॉजेज़ १ व २ और प्रियेम्बल अभी ले लिये जांय।

क्लॉज १, श्री चाँदमल मेहता।

श्री चाँदमल मेहता—Mr. Chairman, I beg to move the amendment as under :—

"The figure '1954' be substituted for the figure '1953' in sub-clause (1) of clause 1."

मैं मानता हूँ कि यह साधारण-सी बात है। अतः माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—I accept it.

श्री सभापति—जो संशोधन श्री चाँदमल मेहता ने प्रस्तुत किया है उसको मेम्बर इन्चार्ज बिल ने स्वीकार कर लिया है। क्या सदन को यह संशोधन स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज दो में कोई संशोधन नहीं है। चूँकि यह शुरू में नहीं लिया गया था, अतः अब सदन के सामने उपस्थित किया जाता है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ बिल में जोड़ा जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २ बिल में जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ जिस तरह संशोधित है बिल में जोड़ा जाय ?

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

क्लॉज़ १ जिस तरह संशोधित है बिल में जोड़ा गया ।

(विराम)

टाइटल और प्रिएम्बल

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस बिल का टाइटल और प्रिएम्बल को बिल में जोड़ा जाय ।

(स्वीकृत)

टाइटल व प्रिएम्बल बिल में जोड़े गये ।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिचाई मंत्री)—Mr. Chairman, Sir, I move that the Bill be passed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I object to this motion because it has been made now when many a members have left. Some of them want to participate in the third stage; so let this motion be made tomorrow.

श्री सभापति—This motion has been made today, but will be considered tomorrow.

We now adjourn to meet again tomorrow at 5 P. M.

(सदन की कार्यवाही ९ बज कर १० मिनिट रात्रि पर कल दिनांक २७-५-५४, के ५ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक—२६ मई, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

[कृपया प्रश्न संख्या ८८७ (ख) का उत्तर देखिये ।]

(१) दैनिक प्राथमिक पाठशालाएं
(२) प्रौढ़ों के लिए रात्रि पाठशालाएं
(३) औद्योगिक शिक्षण केन्द्र
(४) छात्रावास
(५) छात्रवृत्तियों का वितरण
(६) सांस्कृतिक विकास
(७) ताड़गुड़ ट्रेनिंग
(८) सहकारिता का विकास
(९) प्रारम्भिक चिकित्सा सहायता
(१०) बांध और तालाबों का निर्माण
(११) यातायात साधनों के लिए नवीन सड़कों का निर्माण
(१२) आर्थिक य सामाजिक सर्वे
(१३) कृषि विकास हेतु कूओं के खोदने की सहातार्थ

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८८७ (ग) का उत्तर देखिये)

राजस्थान में कूओं के लिए आदिवासियों को दी गई सहायता की तहसीलवार सूची सन् १६५३-५४

संख्या	तहसील का नाम	स्वीकृत साहयता
	जिला उदयपुर	
		रु०
१.	खेरवाड़ा	२८,०००
२.	सराड़ा	२२,०००
३.	सलूम्बर	१६,०००
४.	कोटड़ा	१६,०००
५.	फलासिया	१२,०००
६.	सथरा	७,०००
७.	सराड़िया	२०,०००
८.	बल्लभनगर	८,०००
९.	कुम्भलगढ़	६,०००
१०.	सामनेर	७,०००
११.	गिरवा	१८,०००
१२.	मावली	५,०००
१३.	भोपालसागर	२,०००
	जल । भीलवाड़ा	
१.	माँडलगढ़	५,०००
२.	रायपुर	१,०००
३.	हुरड़ा	१,०००

परिशिष्ट २

संख्या	तहसील का नाम	स्वीकृत सहायता
	जिला चित्तौड़गढ़	
१.	छोटी सादड़ी	५,०००
२.	बड़ी सादड़ी	७,५५०
३.	भैंसरोड़गढ़	८,०००
४.	कचनेरा अरनोद	२,०००
५.	बेगूं	४,०००
	जिला कोटा	
१	शाहांबाद	३,०००
२.	किशनगंज	३,०००

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न ६१० (ख) का उत्तर देखिये)

गोशवारा मौजा बान्ध के बनने से जमीनें व कुये जो जल-मग्न होंगे।

नं० शुमार	नाम गाँव	कुओं की तादाद	क्षेत्रफल बीघा में बीघा	विस्वा	विशेष विवरण
१.	किरतपुरा	०	१४७८	१३	
२.	इरास	०	११२३	१०	
३.	डेडवास	३८	६१२	१०	
४.	पीथास	११५	४४०५	१६	
५.	समेलिया	७७	१६५७	७	
६.	काला खेड़ा	१७	१६४१	२	
७.	सुराम	२	१६०	१५	

परिशिष्ट ४

(वे तारांकित प्रश्न तथा उत्तर जो प्रश्न काल में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

१११. (२१६/एफ. एम.) श्री सुगनचन्द जैन, एम, एल. ए,. डिवीजन नम्बर १४७—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चित्तौड़ जिले में इस साल कहाँ-कहाँ पर तालाब तथा बन्ध बनवाये गये हैं और हर एक पर कितनी-कितनी रकम खर्च हुई है ?

(ख) क्या बेगूं सब-डिवीजन में भी कोई तालाब बंधाये गये हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो वहाँ तालाब न बंधाने का क्या कारण है ?

(घ) सन् ५४-५५ में कहां-कहां पर कौन-कोन से तालाब यथा बाँध बनाने की की योजना है ?

उत्तर

(क) चित्तौड जिले में इस वर्ष तालाबों के जीर्णोद्धार में जो धन-राशि खर्च की गई उसकी सूची इसके साथ प्रस्तुत है।

(ख) बेगूं सब डिवीजन में कोई भी जलाशय नहीं बनाए गए।

(ग) बेंगू में चार जलाशय बनाने की खास माँग की गई, उनमें से तालाब नंदवाई एवं कादुन्दा के तखमीने बन चुके हैं; बाकी दोनो के बारे में जाँच की जा रही है।

[सूची उपलब्ध नहीं हुई]

प्रश्न

११२. (२१६/एफ. एम.) श्री घासीराम, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ४३—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार की निम्नलिखित सड़कों के बारे में कोई योजना है :—

(१) तिजारा से नगीना (ईस्ट पंजाब) लपासा घाटी होते हुये

(२) तिजारा से फिरोजपुर झिरका (ईस्ट पंजाब)

(ख) क्या सरकार यह जानती है कि यहाँ पर २० वर्ष पहिले सड़क थी और वर्षा में खराब हो गई इससे आम जनता को परेशानी है ?

(ग) जनता की आम दिक्कतों को महसूस करते हुये और इन्टर स्टेट्स के महत्व को सामने रखते हुये क्या सरकार इन दो सड़कों को शीघ्र बनवाने की कोशिश करेगी ?

उत्तर

(क) नहीं है।

(ख) P. W. D. के किसी रेकॉर्ड्स इस सड़क का पी. डब्लू. डी. द्वारा देख-भाल की जाने वाली सड़कों में नाम नहीं है। मौके पर भी केवल गाड़ी का रास्ता होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) प्राथमिकता की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सड़कें स्थान नहीं पा सकी हैं। अवसर मिलने पर इनको बनवाने का विचार किया जायगा।

प्रश्न

६१३. (७६/एस. एम.) श्री हनवन्तसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ५०—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जैसलमेर सब-डिवीजन के व्यापारियों को एडवाँस की रकम खाद्य विभाग में सन् ४६–५० से अब तक कितनी बाकी है ?

(ख) बाकी रकम कौन-कौन व्यापारियों की है ?

(ग) इस रकम को व्यापारियों को सरकार कब तक दे देगी ?

उत्तर

(१) जेसलमेर सब डिविजन के व्यापारियों के खाद्य विभाग में १४४७८ रुपए दो पैसे बाकी हैं और २५७५३ रुपए पाँच पैसे खाद्य विभाग को व्यापारियों से लेने हैं।

(२) व्यापारियों के नाम व रकम की सूची संलग्न है।

(३) व्यापारियों को रकम वापस लौटाने के मामले सरकार के विचाराधीन हैं और इसका निर्णय शीघ्र होने को है, फिर भी लगभग दो मास की अवधि इस में लग जायगी। कारण कुल अपेक्षों की पूर्ति अभी बाकी है।

सूची व्यापारीवार रकम खाद्य विभाग को देनी व लेनी।

	नाम	बाकी रकम देनी	रकम लेनी
१.	लक्ष्मीचन्द चुन्नीलाल हरिदास चुन्नीलाल		१४११६ रुपये १४ आने
२.	तेजपाल दास मिसरीलाल		६७५७ ,, ८ ,, ३ पाई
३.	जसराज गंभीरमल	७०६ रुपये १२ आने	
४.	मिसरीलाल लक्ष्मीचन्द	३१०३ ,, ८ ,, ६ पाई	
५.	श्रम ऐसोसिएशन	६५६० ,, ८ ,, ६ ,,	
६.	विलेज ,,	५६३ ,, ६ ,, ० ,,	
७.	कालूराम असेरा	१४१४ ,, १४ ,, ६ ,,	
८.	रूपचन्द नेमीचन्द	२०१५ ,, १४ ,, ६	
		१४४७८, १, ६,	२०८७४, ६, ३

इसके अलावा इन व्यापारियों से ४८७८ रुपये ११ आने खर्चे के जो कि भारत सरकार द्वारा हिसाब में लगाये गए हैं वह भी वसूल करने हैं।

प्रश्न

६१४. (६८/एम. एच. एम.) श्री वीरेन्द्रसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १५१--क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई माधोपुर जिले में सरकार की ओर से कितने औषधालय चल रहे हैं ?

(ख) प्रत्येक औषधालय पर प्रति मास कितने रुपये की औषधियाँ खर्च की जाती हैं ?

(ग) प्रति औषधालय, कर्मचारियों का मासिक व्यय कितना है ?

उत्तर

(क) ११.

(ख) औसत ३०) रु० प्रति माह।

(ग) औसतन १६० रु० प्रति माह।

६१५. (२२२/एफ. एम.) श्री सरदार सिंह एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३७—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) खंडार डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में क्या कोई गलाई सागर नामक तालाब है?

(ख) अगर हाँ, तो यह कब बना था और क्या लागत लगी थी?

(ग) इस तालाब से सरकार को किस कदर आमदनी होती है?

(घ) इस तालाब में पानी कब तक रहता है?

उत्तर

(क) जी हाँ।

(ख) यह सन् १९३८ ई० में बना था और इसकी लागत लगभग ५,३८,०७० रु० की थी।

(ग) लगभग १००० रु० की आमदनी होती है।

(घ) यह भराव पर निर्भर है लगभग १२ या १३ फुट का भराव होने पर दिसम्बर व जनवरी तक पानी रहता है।

916. (240/F. M.) Shri Khet Singh, M. L. A. Div. NO. 77—Will the Minister for Planning and Development be pleased to answer—

(a) How much amount was allotted to Jodhpur District for the various development works during the year 1953-54.

(b) How much of this sanctioned amount was really utilised for said works in the District?

(c) Is it a fact that not a single pie has been spent in Shergarh Tehsil due to the negligence and laziness of the concerning officers?

(d) How much was sanctioned and how much spent in the following tehsils ? Please give figures :—

(i) Shergarh.

(ii) Jaisalmer.

(iii) Phalodi.

(e) How much amount has been allotted to Jodhpur District for District Development work during the current year ?

उत्तर

(क) जोधपुर जिले में भिन्न-भिन्न विकास कार्यों के लिए १९५३-१९५४ में २११५६७० रुपए निम्न प्रकार रखे गये थे ।

१.	बिजली	९४०६०० रु०
२.	ग्रामीय पानी पूर्ति योजना	२९६४० रु०
३.	शिक्षा	३९३०० रु०
४.	सड़कें	९२६४६० रु०
५.	कृषि	१२४६७० रु०
६.	स्थानीय विकास कार्य	५५००० रु०
		२११५६७० रु०

(ख) उपरोक्त रकमों में से वाकई में निम्न प्रकार खर्च की गई —

१.	बिजली	१८३६७५ रु० दाखिले की रकम के अतिरिक्त
२.	ग्रामीय पानी पूर्ति योजना	२७०४० रु०
३.	शिक्षा	३९३०० रु०
४.	सड़कें	९११०५४ रु०
५.	कृषि	सूचना जिलाधीशों से प्राप्त नहीं हुई ।
६.	स्थानीय विकास कार्य	३५००० रु०

(ग) व्यय नहीं हुआ, किन्तु उसमें अफसरों की गलती नहीं है । गाँव वालों ने जो आधा रुपया देने का वायदा किया था वह नहीं दिया; कुछ टेक्नीकल अप्रूवल में देरी रही; यह तरीके व नियमों के कारण हुआ ।

(घ) इच्छित सूचना निम्न प्रकार है :—

	त० शेरगढ़,		जेसलमेर,		फलोदी	
	स्वीकृत	खर्च	स्वीकृत	खर्च	स्वीकृत	खर्च
१. बिजली	५०० रु०	सूचना प्राप्त नहीं है - - -				
२. ग्रामीय पानी पूर्ति योजना	२०,०००रु०	१९,४००			७०१५	७०१५
३. शिक्षा	४१९०	४१९०	३८९६	३८९०	७१८४	७१८४
४. सड़कें	१९७३५०	१९७३५०	,,		२९,४८६	२९,४८६
५. कृषि	तहसीलवार सूचना प्राप्त नहीं है।					
६. स्थानीय विकास कार्य	६०००	११०००			१२०००	१२०००

(ङ) सूचना निम्न प्रकार से है।

१. बिजली	४५६६५०० रु०
२. ग्रामीय पानी पूर्ति योजना	१७२०६० रु०
३. शिक्षा	अभी निश्चित रुप से तय नहीं हुआ।
४. सड़कें	१३३१४०० रु०
५. कृषि	अभी निश्चित नहीं है।
६. स्थानीय विकास कार्य	१५०००० रु०

सिचाई के कोई कार्य जोधपुर जिले में नहीं है।

प्रश्न

६१७. (२४१/एफ. एम.) श्री वीरेन्द्रसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५६:—क्या निर्माण मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिन जिला हैड क्वार्टर्स पर बिजली की सुविधा नहीं है सरकार वहां उक्त सुविधा देने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(ख) क्या सरकार इस दिशा में जिला हैड क्वार्टर्स को सब डिविजन और तहसील हैड क्वार्टर्स की तुलना में प्राथमिकता देगी ?

उत्तर

(१) ऐसे पांच जिला हैडक्वार्टर्स हैं जहां बिजली की सुविधा नहीं है और उन्हें पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये प्लानिंग कमीशन के समक्ष योजना प्रस्तुत कर दी गई है।

(२) हां।

प्रश्न

६१८. (७७/एस. एम.) श्री हनवन्त सिंह, एम. एल., डिविजन ५०—क्या आय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जैसलमेर सब डिविजन के व्यापारियों को सिक्यूरिटीज़, अरनेस्ट मनी, डिफरेन्स इन रेटस की रकम सरकार में अब तक कितनी जमा है ?

(ख) अगर जमा है तो किन किन व्यापारियों की और कितनी-कितनी ?

(ग) क्या यह रकम व्यापारियों को वापिस मिलेगी ?

(घ) अगर हां, तो कब तक इसकी उम्मीद कर सकते हैं ?

उत्तर

(१) जैसलमेर सब डिविजन के व्यापारियों की सिक्यूरीटीज़ अर्नेस्ट मनी की धन राशी लगभग ७२५० रुपये व डिफरेन्स इन रेट्स की धन राशि लगभग ३१६४ रुपये १३ आने सरकार के पास जमा है।

(२) व्यापारियों के नाम व धन राशि जो उनकी जमा है उनकी सूची सन्लग्न है

(३) यह धन राशि उनको लौटाये जाने योग्य है और लेखा-जोखा के आक्षेपों की पूर्ति हो जाने पर लौटा दी जायेगी।

(४) आक्षेपों की पूर्ति होते ही रकम लौटादी जावेगी और इसमें लगभग तीन मास का समय लगेगा।

Statement showing the amount of earnest money and Security money of the Dealers of Jaisalmer Sub Division lying in Deposit with the Government.

(1)	M/S Kalu Ram Asera...	Jaisalmer	Earnest money	Rs. 500/-	Grain
(2)	,, Bhagwan dass Mehta	Bap	Security money	100/-	Sugar
(3)	,, Sugar Association	,,	,,	50/-	,,
(4)	,, Jaigopal Rathi	,,	,,	50/-	,,
(5)	,, Bhanwarlal Bhatia	,,	,,	100/-	,,
(6)	,, Jatidas Hari shanker	Jaisalmer	,,	50/-	Sugar tender
(7)	,, Roopchand Liladhar	,,	,,	50/-	,,
(8)	,, Hazarimal Gordhandas	,,	,,	50/-	,,
(9)	,, Partapchand Askaran	Bap	,,	1000/-	Cloth Security
(10)	,, Madan Gopal Askaran vyas	,,	,,	1000/-	,,
(11)	,, Bhagwandas Mehta Bhikampur	,,	,,	1000/-	,,
(12)	,, Chunilal Sheonarain	,,	,,	100/-	For Grain tender.
(13)	,, Chunilal Ramnarain	,,	,,	100/-	,,
(14)	,, Ganesh Trading Co.	Jaisalmer	,,	200/-	,,
(15)	,, Purshotamdas Motilal Rathi	,,	,,	100/-	,,
(16)	,, Misrilal Loon Karan	,,	,,	100/-	,,
(17)	,, Sanghar Association Sangar	,,	,,	100/-	,,
(18)	,, Heera Chand Bhikam Chand	,,	,,	200/-	,,
(19)	,, Gopi Kishan Jawanlal	,,	,,	500/-	,,

(20)	,, Dhan Raj Aidan	,,	,,	100/-	,,
(21)	,, Anantlal Jeewanlal	,,	,,	100/-	,,
(22)	,, Tejpaldas Onkardas	,,	,,	100/-	,,
(23)	,, ,, ,,	,,	,,	100/-	,,
(24)	,, Nadiya Association	,,	,,	100/-	,,
(25)	,, Deo Kishan Gulabchand	,,	,,	100/-	,,
(26)	,, Haridas Tulsidass	,,	,,	100/-	,,
(27)	,, Madan Gopal As Karan Bap		,,	100/-	,,
(28)	,, ,, ,,	,,	,,	100/-	,,
(29)	,, ,, ,,	,,	,,	100/-	,,
(30)	,, ,, ,,	,,	,,	100/-	,,
(31)	,, Lilla Dhar Keshrimal Jaisalmer		,,	100/-	,,
(32)	,, Sagarmal Gopi Kishan	,,	,,	100/-	,,
(33)	,, Sanghidas Govindlal	,,	,,	100/-	,,
(34)	,, Keshrichand Dhoor Chand	,,	,,	100/-	,,
(35)	,, Kishanlal Narsindas	,,	,,	100/-	,,
(36)	,, Jethmal Misrilal	,,	,,	100/-	,,
(37)	,, ,, ,,	,,	,,	100/-	,,
(38)	,, ,, ,,	,,	,,	100/-	,,
				7,250/-	

Statement showing the amount payable to the Jaisalmer merchants on accounts of revision in issue rates and excess money deposit as cost of grain.

S.No.	The Name of the party	Particulars	Amount	Remarks.
1. M/S	Radha Kishan Ambalal	Refund due to revision in issue rate	160/13/-	Payment withheld, pending completion of enquiry by the Collector in Patiala Bajri case; matter under correspondence with the Asst. Collector.
2 ,,	Hari Shanker Radha Kishan	,,	224/-/-	,,
3 ,,	Chunnilal Sheo Narain	Excess money deposited	2810/-/-	Assistant Collector Jaisalmer has been requested to check his books in detail and submit account. The submission of accounts is still awaited.

प्रश्न

६१६. (६६/एम. एच. एम.) श्री नारायण चतुर्वेदी, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १०६—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या उन डॉक्टरों को जो मेडीकल कालेज में पढ़ने का काम भी करते हैं, पढ़ाने का अलग परिश्रमिक दिया जाता है।

(ख) मेडिकल कालेज के पेथोलोजी विभाग वालों से अस्पताल का विशेष कार्य लिया जाता है, क्या उनको भी इसके लिए अलग पारिश्रमिक दिया जाता है ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) केवल उन्हीं डाक्टरों को जो हस्पताल ड्यूटी के अतिरिक्त पढ़ाने का काम करते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) क्योंकि यह कार्य उनकी ड्यूटी का एक अंग ही है।

प्रश्न

६२०. (२४२/एफ.एम.) श्री वीरेन्द्रसिंह एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५६—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मलारना चोड़ तहसील में सरकारी बान्धों में काश्त की कूंत का क्या तरीका है ?

(ख) किसानों की सुविधा की दृष्टि से कूंत के बजाय लटाई करना सरकार क्यों आवश्यक नहीं समझती ?

(ग) उक्त बाँधों की जमीन में काश्त करने वाले काश्तकारों से नकद में लगान लेने की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

उत्तर

(क) एक चक के दो-चार खेतों में से १ विश्वाम्सी का अनाज काट कर पैदावार कायम की जाती है, यह कार्य तहसील से किया जाता है।

(ख) जहाँ हमेशा से लटाई होती है वहाँ लटाई की जाती है; जहाँ कूंत होता है वहाँ कूंत किया जाता है।

(ग) यह सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न

१२१. (२४३/एफ. एम.) श्री वीरेन्द्रसिंह, एम. एल. ए; डिवोजन नम्बर १५६– क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) भूतपूर्व जयपुर राज्य में मलारना चौड़ तहसील में सिंचाई की क्या रेट थी ?

(ख) राजस्थान बनने के बाद क्या रेट कायम की गई है ?

(ग) मोरल बन्ध के पानी की क्या सिंचाई की रेट कायम की गई है ?

उत्तर

(क) सिंचाई की रेट निम्न प्रकार थी।

१. खालसा में १ रु० ४ आना प्रति बीघा पहला पानी, १० आना प्रति बीघा दूसरा पानी या अधिक पानी।

गन्नाः—प्रति बीघा ६ पानी तक ५ रु० व ६ पानी से अधिक १५ आना प्रति बीघा।

चावलः—बेतादाद पानी ४ रुपये प्रति बीघा।

तमाखू :—प्रति बीघा २॥ रु० व दूसरा पानी १। रुपया।

रजकाः—प्रति बीघा ५ रु० ६ पानी तक नील व ७ व ७ से अधिक पर १५ आना प्रति बीघा।

भोकलाः—सब जगह आधी रेट थी।

२. जागीर में उपरोक्त वर्णित की गई रेटों से दुगनी थी।

(ख) राजस्थान बनने बाद भी जो पहले खालसा व जागीर में रेटें थी वही रेटें हैं।

(ग) मोरेल बन्ध के पानी की पृथक रेट नहीं है, सर्वत्र एक ही रेट लागू हैं।

प्रश्न

922. (244 F./M.) Shri H. K. Vyas. M. L. A., (Division No. 160)– Will the Minister for Public Works be pleased to answer :—

(a) Is the Government aware that on assurance from the Kishangarh Power House authorities to supply power, many citizens there installed power-pumps and flour mills ?

(b) Is power being supplied to them ?

(c) Is electricity being regularly supplied to ordinary consumers ?

(d) If the answers to (b) and (c) are in the negative, then what is the Government doing to set the things right ?

उत्तर

No individuals were given any such assurance.

(a) During the year 1952 the applicants for power connections were informed by the department to fulfill certain formalities and those who complied with were given connection.

(b) The consumers are supplied with energy as per availability. They are at present given power by staggering the load during off-peak hours.

(c) Yes.

(d) The Government are considering to improve the position by installing new sets and the provision for the same has been taken in the Five Year Plan.

प्रश्न

६२३ः (७६/एम. एच. एम.) श्री नारायण चतुर्वेदी, एम. एल. ए; डिविजन नम्बर १०६–क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार ने इसी विधान सभा के प्रथम व दूसरे सत्र में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७ ता० १८-४-५२ व ४८, ता० ६-१०-५२ के उत्तर में आश्वासन देने, राजस्थान जनसेवा आयोग द्वारा इन्टरव्यू हो जाने, तथा आपके कथनानुसार सी. एस. क्लास वन की एकीकरण लिस्ट सरकार के पास २२ जनवरी, १६५३ को पहुँच जाने व उसको एक साल से भी अधिक हो जाने पर सरकार ने कन्डेन्सड एम. बी. बी. एस. पास किये हुए सी. ए. एस. क्लास टू डाक्टरों के विषय में क्या फैसला किया है ?

(ख) अगर इन लोगों के नाम सी. ए. एस. वन के एकीकरण की लिस्ट में जनसेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये हों, तो क्या सरकार उनको शीघ्र ही सी. ए. एस. क्लास वन घोषित कर देगी? अगर हाँ, तो कौनसी तारीख तक, अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(ग) यह सी. ए. एस. क्लास वन की एकीकरण की लिस्ट कब से कार्यान्वित मानी जावेगी?

उत्तर

(क) एकीकरण से पहले जो डाक्टर सी. ए. एस. क्लास २ में थे, जिन्होंने एम. बी. बी. एस. पास कर लिया है, जिनकी जन सेवा आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उनको सी. ए. एस. श्रेणी १ में ले लिया गया है।

(ख) प्रथम लिस्ट छाप दी गई है।

(ग) प्रश्न विचाराधीन है।

प्रश्न

924. (245/F. M.) Shri H. K. Vyas, M. L. A. (Div No. 160)—Will the Minister for Public Works be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that roads are being constructed to link Bhandarej with Jaipur-Agra Road and with Gangapur?

(b) Is it a fact that many farmers have been forcibly ejected from their fields for this purpose?

(c) Could there be no other route except through the fields?

(d) Have the farmers been paid proper compensation for that?

उत्तर

(अ) जयपुर आगरा सड़क से भान्डारेज गांव तक सड़क बनाई जा रही है। गंगापुर के लिये भान्डारेज से कोई सड़क सीधी नहीं निकाली जा रही है। आगरा रोड से सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर गंगापुर भी सड़क द्वारा पहुँचा जा सकता है।

(ब) यह सत्य नहीं है। किसी भी किसान की कोई भूमि उसकी सम्मति के बिना नहीं ली गई।

(स) ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता जिसमें कुछ खेत न आयें जब तक कि सड़क ंजड़ भूमि में से न जा रही हो। कम से कम खेतों को लेने का अवश्य ध्यान रखा जाता है। जितने चाही खेत बचाये जा सकते हैं, बचाये जाते हैं।

(द) किसानों की सम्मति से उनकी भूमि ली गई है जिसका मुआवजा उन्हें शीघ्र दिया जायेगा। मुआवजे की रकम सम्बन्धी जांच हो रही है और उसमें शीघ्रता की जा रही है।

प्रश्न

925. (246/F. M.) **Shri Jujhar Singh, M. L. A. (Div. No. 10)**—Will the Development Minister be pleased to state :—

(a) Whether the Government has any plan to subsidize the efforts of such individual villages (Outside the Community Development area or the National Extention Service Scheme) who are keen to contribute their share towards the construction of works of public utility in their areas ?

(b) If so, to what extent the Govt. is prepared to help them ?

उत्तर

(अ) हां, ग्रामीय पानी पूर्ति योजना राज्य के पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक योजना है उसमें एक तिहाई हिस्सा जनता की ओर से और दो तिहाई हिस्सा राज्य की ओर से व्यय होगा। इसके अतिरिक्त एक स्थानीय विकास कार्यों की भी योजना है जिसके अन्तर्गत वे कार्य लिये जा सकते हैं जिनका मूल्य २०,०००) रु० से अधिक न हो और जिनमें जनता की ओर से लागत का ५० प्रतिशत रुपया दिया जावे।

(ब) ग्रामीय पानी पूर्ति योजना में पंचायतों द्वारा किये गये कामों पर १३३) रु० के कार्य पर सरकार से १००) रु० की सहायता दी जाती है। इसी भांति स्थानीय विकास कार्यों की योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर ५० प्रतिशत सहायता दी जाती है।

(स) ग्रामीय पानी पूर्ति तथा स्थानीय विकास कार्यों की योजनाओं के अन्तर्गत इन गांवों से कोई मांग नहीं की गई है। उपरोक्त दोनों गांवों के लिये सहायता प्राप्त करने के हेतु पंचायतों से तथा जिला विकास समिति से जिसमें जनता के प्रतिनिधि मौजूद है, कोई सिफारिश नहीं आई। सन् १९५०-५१, १९५१-५२ व १९५२-५३ में गांव वालों की ओर से सहायता के लिये कुछ प्रार्थना-पत्र पेश किये गये और उनको निम्न प्रकार सहायता दी गई :

	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३
	रु०	रु०	रु०
कर्इवास (करनवास)	१४३९–१३–९	१५००	–
कैथोनी	–	–	२५

प्रश्न

926. (247/F. M.) **Shri Jhujhar Singh, M L. A. (Div. No. 10)**—Will the Irrigation Minister be pleased to state :—

(a) Whether the water of 'Kadela Tank' in Sub-tehsil Asnaver, District Jhalawar can be utilized to irrigate the southern (dry) portion of Tehsil Khanpur comprising the area under the "Danoda" Kanugo Circle ?

(b) Is it a fact that the surplus water of this tank was, at some time, utilized for irrigation purposes in this area ?

उत्तर

(1) There is no such possibility as to give water to the southern portion to Tehsil Khanpur nor it will be remunerative if attempted.

(2) There is no such record available but the site does not reveal any possibility of utilising the surplus water, as the waste weir is towards Ratadevi tank.

प्रश्न

927. (101/M. H. M.) **Shri Jhujhar Singh, M. L. A. (Div. No. 10)**—Will the Minister-in-charge of Medical and Public Health be pleased to state :—

(i) Has the Government received applications on behalf of the people of "Panwad" and "Tarej" Tehsil Khanpur, District Jhalawar for opening medical dispensaries in these villages ?

(ii) What action the Government has taken so far and what is its decision for the future ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) आवेदन किये जाने पर सरकार विचार करेगी।

प्रश्न

६२८. (२५०/एफ. एम.) श्री हनवन्तसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ५०—क्या अर्थ मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या जैसलमेर सब-डिविजन के पेन्शन व ग्रेच्यूटी के केसेज़ बाकी हैं ?

(ख) अगर बाकी हैं तो किन-किन के, नाम बतलाने की कृपा करें ?

(ग) क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि उनको पेन्शन व ग्रेच्यूटी अब भी जल्दी से मिल जावे ?

उत्तर

(क) हां।

(ख) राजस्थान बनने के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुये उनमें से जिनके पेन्शन व ग्रेच्यूटी के claims अभी तक सेटल नहीं हुये हैं उनकी सूची निम्नलिखित है, इनमें से अभी तक केवल ६ को anticipatory pension दिये जाने के orders हो चुके हैं।

(ग) जैसलमेर सब डिविजन के पेन्शन व ग्रेच्यूटी के claims के verification में देरी होने के कुछ विशेष कारण हैं। इस प्रकार की देरी को दूर करने के लिये सरकार ने पूरी कोशिश की है और अब भी यह ही कोशिश की जा रही है कि ऐसे claims जल्दी से जल्दी तय हो जाय।

LIST OF PERSONS RETIRED AFTER THE FORMATION OF RAJASTHAN IN JAISALMER SUB DIVISION.

S. No.	Name.		Date of Retirement.
1	2		3
1.	Shri	Kundanlal Purohit	30-11-50
2.	,,	Ladhusingh	30- 9-51
3	,,	Raghunathdas Acharaya	31-10-50
4.	,,	Champalal Purohit	29-10-52
5.	Mst.	Jarao W/O Bulidan	July 1949
6.	Shri	Madan Lal Bissa	15-10-52
7.	Mst.	Kesar W/O Danmal	February 1951
8.	Shri	Govindlal Gopa	31- 3-50

LIST OF PERSONS RETIRED AFTER THE FORMATINN OF RAJASTHAN IN JAISALMER SUB DIVISION.

S. No.	Name.	Date of Retirement.
1	2	3
9	Shri Ajeetmal Purohit	31-3-50
10.	,, Babulal Gopa	31-3-49
11.	,, Babulal Driver Hazuri	31-3-49
12..	,, Raghula Hazuri	31-3-49
13.	,, Jeeta Hazuri	31-12-48
14.	,, Rikhiya Hazuri	31-3-49
15.	,, Dindayal S/O Aohala	31-3-49
16.	,, Ratanlal Hazuri	31-3-49
17.	,, Jaswanta Hazuri	31-3-50
18.	,, Bagh Singh, Customs Clerk	1-5-51
19,	,, Guman Singh Bhati	19-12-49
20.	,, Bijai Singh Purabiya	31-3-49
21.	,, Kojhiya Suthar	31 3 49
22.	,, Kheta Umar	31-3-49
23.	,, Mirasi Jusba	31-3-49
24.	,, Rana Mirasi	-do-
25.	,, Lalu Hazuri	31-7-49
26.	,, Bhanwarlal Barber	31-3-49
27.	,, Ranmal Kalar	31-3 49
28.	,, Aladin Lohar	31-3-49
29.	,, Naku (Bughiya) Hazuri	-do-
30.	,, Nek Mohd. Sipahi	-do-
31.	,, Ladhu S/O Himta Hazuri	-do-
32.	,, Bhapala Hazuri	31-3-49
33.	,, Labha S/O Tala	-do-
34.	,, Phusa Hazuri	-do-

LIST OF PERSONS RETIRED AFTER THE FORMATION OF RAJASTHAN IN JAISALMER SUB DIVISION.

S. No.		Name.	Date of Retirement.
		2	3
35.		Kup Singh Rajput	-do-
36.	,,	Dhanalal Driver	-do-
37.	,,	Deena S/O Achla	-do-
38.	,,	Motia S/O Dungra Hazuri	May 49
39.	,,	Gula S/O Chania	31-3-49
40.	,,	Jani Khan Kanghar	-do-
41.	,,	Ranjita Rupshi	-do-
42.	,,	Jeewania Hazuri	-do-
43.	,,	Mangilal Hazuri	-do-
44.	,,	Ratu Khan	-do-
45.	,,	Chhotu Lohar	-do-
46.	,,	Chanda Hazuri	-do-
47.	,,	Babulal S/O Tejpal Hazuri	-do-
48.	,,	Babulal S/O Ramlal Daroga	-do-
49.	,,	Chunilal S/O Taluji	-do-
50.	,,	Mukan Singh Sodha	-do-
51.	,,	Surta S/O Jasha Hazuri	-do-
52.	,,	Hardat Vyas Head Pandit	31-5-52
53.	,,	Chanda Barber	31-3-50
54.	,,	Mohd. Allah Bux	29-3-49
55.	,,	Babulal Vyas	23-9-52
56.	,,	Punja Barber	31-3-49
57.	,,	Narsingha S/O Mana Hazuri	31-5-49
58.	,,	Narsingh S/O Sama	31-3-49
59.	,,	Saranga S/O Soma	31-3-49
60.	,	Govindlal Chhangania	31-8-49

LIST OF PERSONS RETIRED AFTER THE FORMATION OF RAJASTHAN IN JAISALMER SUB DIVISION.

S. No.	Name.		Date of Retirement.
1	2		3
61.	Shri	Tejmal Mehta	31-3-51
62.	,,	Baga Hazuri	28-2-50
63.	,,	Kanhiyalal Mehta	15-7-51
64.	Mst	Dhuri W/O Pahara	Not known
65.	Shri	Moolsingh Sodha	Not known
66.	,,	Madan Singh	-do-
67.	,,	Kishanlal Purohit	-do-
68.	,,	Dungra	-do-
69.	Dr.	D. V. Dave	-do-
70.	Shri	Bir Singh Constable Pali	
71.	,,	Doongra Rajo Constable Pali	
72.	,,	Jamma Khan Kandhari	
73.	,,	Ganeshu Singh Naik	
74.	,,	Bhomla S/O Chanda Mali	
75.	,,	Isak S/O Akbar Mazdoor	
76.	,,	Kheta S/O Moda Bheel	
77.	,,	Bhanwroo S/O Mana Hazuri	
78.	,,	Hasnu S/O Aladin Chopdar	
79.	,,	Nawab S/O Soda Mahar	
80.	,,	Ramjha S/O Hussain Jani	
81.	,,	Surajmal Singh	
82.	,,	Labha S/O Mahadan	
83.	,,	Bapu	
84.	,,	Panji Thaned	
85.	,,	Ladhu Camel Sowar	

LIST OF PERSONS RETIRED AFTER THE FORMATION OF RAJASTHAN IN JAISALMER SUB DIVISION.

S. No.	Name.	Date of Retirement.
1	2	3
86.	Shri Rirmal Rangarh	
87.	,, Godhu Rangarh	
88.	,, Dalpat Singh Rangarh	
89.	,, Ladhu S/O Dungra Kangarh	
90.	, Mohammad Sowar	
91.	,, Tane Rao	
92.	,, Jaswanta	
93.	,, Jauj Jamma	
94.	,, Achla Hazuri	
95.	,, Khanu Sirai	
96.	,, Bal Kishan Purohit	
97.	,, Sajatmal Daroga	
98.	,, Bula Hazuri	
99.	,, Akhe Singh	
100.	,, Bula S/O Parabhu	
101.	,, Lal Chand Pnrohit	
102.	,, Takhat Singh	
103.	,, Luma Sowar	
104.	,, Janay Khan	
105.	,, Jeevrcj Hazuri	
106.	,, Bhomla	
107.	,, Shivlal S/O Rcghula	
108.	,, Dungardas Mehta	
109.	,, Gangadas Vyas	
110.	,, Sangidan Jasor	
111.	,, Mangal Singh	

प्रश्न

६२६. (२५१/एफ. एम.) श्री हनवन्तसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ५०—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जैसलमेर सब-डिविजन में माइनर इरिगेशन में सन् १९५३–५४ में कितने खडीन बन्ध बांधे ?

(ख) अगर एक भी नहीं बन्धवाया तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या सरकार अब कोई खडीन बन्धवाने बाबत सोच रही है ?

उत्तर

जैसलमेर सब डिवीजन में कोई नई खडीन नहीं बांधी। दो मौजूदा खडीन छुगोना व गर्ली जो मरम्मत तलब थी मरम्मत कर दी गई है।

जहां खडीन बंधने के स्थान अच्छे थे वहां पहले ही खडीन बनाई जा चुकी है जिसकी संख्या लगभग ३०० है।

इस जांच के लिये सरकार ने हाल ही में एक नया डिवीजन और दो नये सब डिवीजन स्वीकार किये हैं और शीघ्र ही नई खडीनों की जगह देखने की कार्यवाही की जायगी।